YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

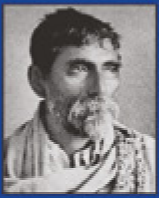

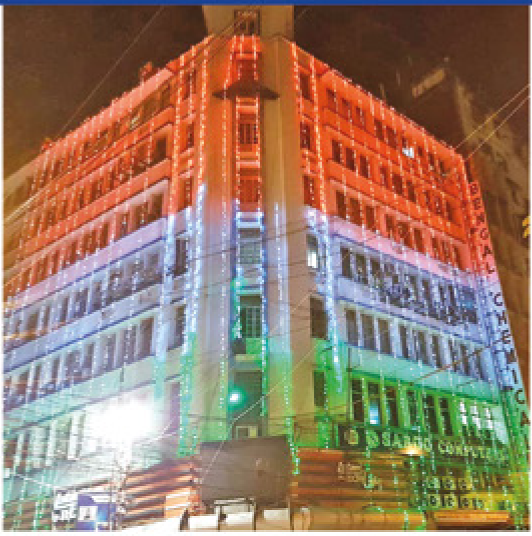

38वां

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-2019

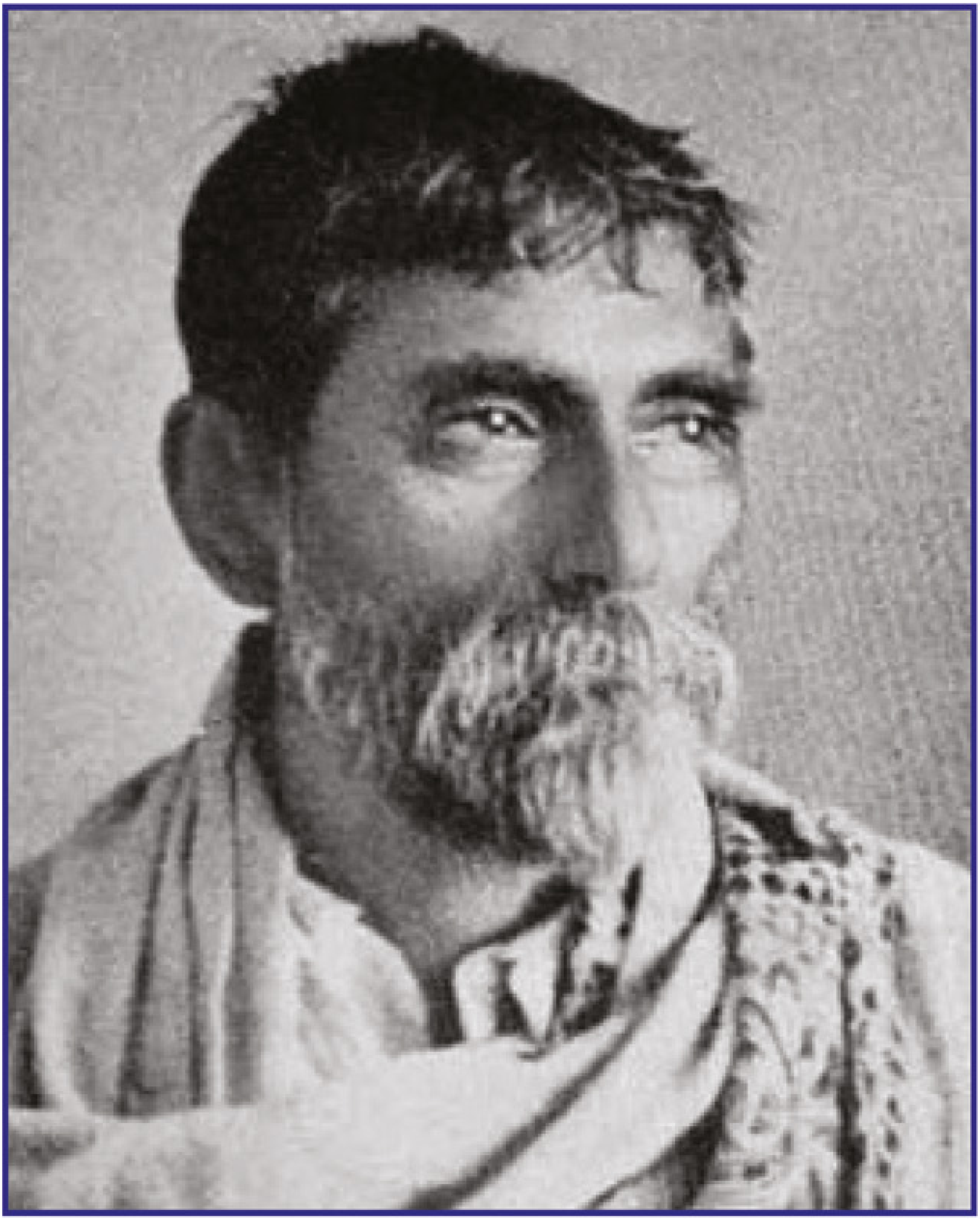

आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय

(अगस्त 2, 1861- जून 16, 1944)

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

दूरदृष्टि, मिशन और कंपनी के उद्देश्य:

दूरदृष्टि

सभी उपभोक्ताओं की जरूरतानुसार कम कीमतों पर गुणवत्ता चिकित्सा, जीवन रक्षक दवाओं, रसायन और गृह उत्पादों की पूर्ति कर एक विश्व स्तरीय सम्मानित संगठन बनना।

मिशन

- ➢ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के साथ विनिर्माण हेतु सुविधाएं प्राप्त करना।
- ➢ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए, नवाचार और आरएंडडी पहल के साथ उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना, जिससे ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया जा सके।
- ➢ सतत विकास के संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण और ग्रीन पहल के लिए प्रतिबद्ध।
- ➢ चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद प्रेरित और प्रतिभाशाली मानव संसाधन विकसित करना।
- ➢ सामाजिक रूप से निगमित प्रशासन और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध।
- ➢ निवल मूल्य में सुधार लाने के लिए लागत क्षमता को कम रखने की कोशिश।

उद्देश्य

संस्थान अपने दृष्टि/नियोग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी:

- ✓ मुख्य उत्पाद श्रेणियों में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व के साथ तेजी से विकास करना।
- ✓ अनुसंधान एवं विकास और ग्राहक देखभाल के क्षेत्र में निरंतर नवाचार की एक संस्कृति पैदा करना ।
- ✓ पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों पर जोर देना जिससे कि संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन के संरक्षण के सतत विकास में अग्रणी होगा। और
- ✓ आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन के तरीकों को अपनाकर कर्मचारी संतुष्टि के स्तर में सुधार।

गुणवत्ता नीति

- ❖ निर्धारित मानकों के अनुरूप दवाईयों का उत्पादन करना।
- ❖ उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के संचालन के सभी चरणों में गुणवत्ता का रखरखाव।
- ❖ उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देना।
- ❖ सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करना।

हमारे लेखापरीक्षक और बैंकर्स

वैधानिक लेखा परीक्षक
एम चौधरी एंड कं०

बैंकर्स

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय
6 गणेश चन्द्र एवेन्यू,
कोलकाता 700013

कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नं: U24299WB1981GOI033489

ईमेल आईडी : df@bengalchemicals.co.in
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

बीसीपीएल बड़ा सोचो

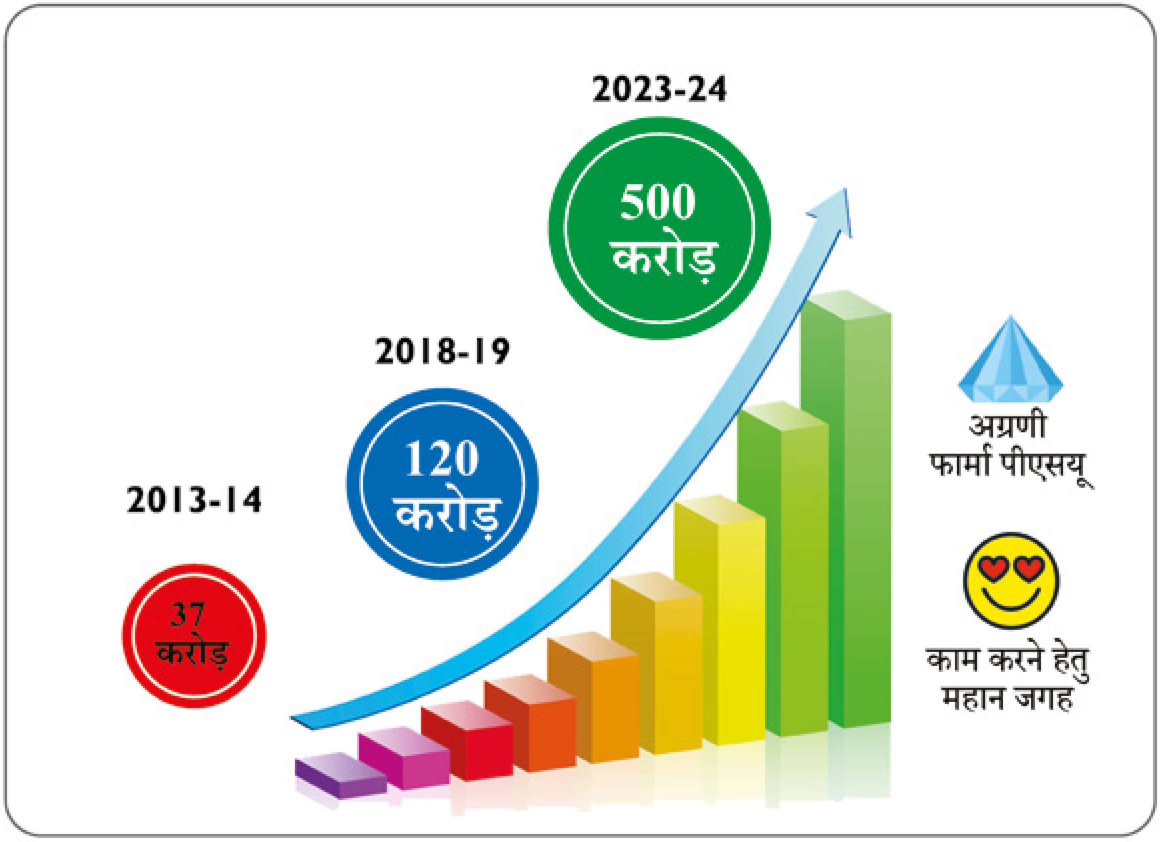

उत्पाद प्रोफाइल

प्रभाग I	प्रभाग -II		प्रभाग -III		
औद्योगिक रसायन	फार्मा- जेनेरिक	फार्म- ब्रांडेड	डिसइन्फेक्टेंट	हेयर आयल	अन्य उत्पाद
• एल्म • ब्लीचिंग पाउडर	• टेबलेट कैप्सूल • इंजेक्टेबल ऑइंटमेंट • लिक्विड एक्सटर्नल -लिक्विड • एएसवीएस	• एक्वा सायिकोटिस • कालमेघ • यूथेरिया • बेनफ्लेम	• फिनॉल • वाइट टाइगर • क्लीन टॉयलेट • लिजोल	• कैंथाराईडिन हेयर आयल	• नैप्थालीन बॉल्स • लिक्विड सोप • अगुरु इत्र

38वें वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 की विषय-वस्तु

विषय - सूचि	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	1
शेयरधारकों को पत्र	3
38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	7
वित्तीय विशिष्टताएं	16
ग्राफ चार्ट	18
रिपोर्ट:	
निदेशकों की रिपोर्ट	23
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	43
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	55
भारत के नियंत्रक एवं मह - लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	75
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	77
लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर	89
वित्तीय विवरण:	
तुलन पत्र	95
लाभ-हानि खाते का विवरण	96
नकदी प्रवाह विवरण	97
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	99
खातों पर नोट	107

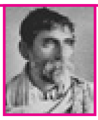

निदेशक मंडल

(आज की तारीख में)

पीएम चंद्रय्या

प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त) एवं प्रमुख वित्त अधिकारी

जितेन्द्र त्रिवेदी

अंशकालिक शासकीय निदेशक
(सरकार नामित निदेशक)

सजल कुमार राय चौधरी

अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक)

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

हमारे कार्यालय:

पंजीकृत कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय:
6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
दूरभाष सं. (033)2237-1525/1526
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in, ई-मेल: df@bengalchemicals.co.in

हमारे कारखाने:

मानिकतल्ला फैक्ट्री: 164 मानिकतल्ला मेन रोड, कोलकाता – 700054 दूरभाष सं. 033–2320 4157/ 4158 & 2320 4154 ई-मेल: works_mfy@bengalchemicals.co.in	**पानीहटी फैक्ट्री:** बी.टी. रोड, पी.ओ. – पानीहटी, कोलकाता – 700114, 24 परगना (उत्तर) दूरभाष सं. 033 – 25531924/ 4541 ई-मेल: works_pfy@bengalchemicals.co.in
मुंबई फैक्ट्री: 502, एस.वी.सावरकर मार्ग प्रभादेवी, मुंबई - 400025 दूरभाष सं. 022-2430 2081 ई-मेल: works_mumfy@bengalchemicals.co.in	**कानपुर फैक्ट्री:** 84/23, फैक्ट्री एरिया, फज़लगंज, कानपुर- 208012 दूरभाष सं. 512- 221 6292 ई-मेल: works_kfy@bengalchemicals.co.in

हमारे डिपो:

कोलकाता डिपो: 83 रशबिहारी एवेन्यू, कोलकाता 700026 दूरभाष सं. 033–2464 3770 ईमेल: kolkata@bengalchemicals.co.in	**गुवाहाटी डिपो:** 136, मोतीलाल नेहरु रोड, पान बाज़ार गुवाहाटी- 781001, असम दूरभाष सं. 0361- 254 7825 ई-मेल:bcpl.guwahati@gmail.com
दिल्ली डिपो: डी-डीII, शिवलोक हाउस–II, कर्मपुरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विपरीत: मिलन सिनेमा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110015 दूरभाष सं. 011- 2592 0486 ई-मेल: bengalchemicals@gmail.com	**रांची डिपो:** सुवम सुरवी निवास, केटरी बागान, स्वर्णरेखा नगर मेन रोड, नामकुम, रांची- 834010 दूरभाष सं. +91-8882388794 ई-मेल: ranchibcpl@gmail.com
चेन्नई डिपो: नं. 19ए/88, वेंकटेश नगर, एक्सटेंशन 1, II क्रॉस, दूसरी गली, विरुगम्बक्कम, चेन्नई- 600092 दूरभाष सं. 044- 2376-4510; ई-मेल: bcplchennaidepot@yahoo.com	**हैदराबाद डिपो:** ड़ोर नं. 4-98-1-6, न्यू नरसिम्हा नगर मेन रोड, मालापुरम नजदीक- नोमा कल्याण वेदेका हैदराबाद - 500076, दूरभाष सं. +91-8099422778 ई-मेल: bcplhyd@gmail.com

हमारे रिटेल स्टोर

- 6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
- 153, लेनिन सारणी, कोलकाता-700013
- 39, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700016
- 44, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता- 700036
- 502, एस.वी.सावरकर मार्ग प्रभादेवी, मुंबई - 400025

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय अंशधारको,

मैं आपकी कंपनी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की 38वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप सब के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा और बैठक में भाग लेकर इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। पिछले दो वर्षों 2016-17 और 2017-18 की तरह, आपकी कंपनी ने अपना "शानदार प्रदर्शन" जारी रखा है और 2018-19 में बेहतर प्रदर्शन किया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2018-19 के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है। निदेशकों की रिपोर्ट जिसमें प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जोकि सभी शेयरधारकों को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, और आपकी अनुमति से मैं इन्हें "पढ़ा" विचारित करूंगा। निदेशकों की रिपोर्ट बहुत ही व्यापक है और कंपनी की कार्य प्रणाली, इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और बीसीपीएल द्वारा किए गए बाधाओं का सामना और अवसरों का स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण करती है। मैं आप सब के समक्ष संक्षेप में कुछ प्रासंगिक और प्रमुख विषय जो हमारे सामने हैं, को रखूंगा। निदेशकों की रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रकटीकरण जोकि कंपनी अधिनियम 2013, डीपीई दिशानिर्देशों, तथा सचिवीय मानकों के तहत आवश्यक हैं, को सम्मलित करती है।

परिचालन प्रदर्शन

मैं आप सभी और उन हितधारकों को बधाई देता हूं, जो 2018-19 के दौरान बीसीपीएल को "लाभ वाली टर्नअराउंड कंपनी" बनाने के लिए और इसके 118 वर्ष के इतिहास में 25.26 करोड़ रूपए का उच्चतम शुद्ध लाभ हासिल करने के लिए इसके साथ जुड़े हुए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2017-18 में 98.18 करोड़ रुपये तथा 2013-14 में 19.70 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 123.45 करोड़ रुपये का उत्पादन किया। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने 2017-18 में 78.01 करोड़ रुपये की टर्नओवर तथा 2013-14 में 17.06 करोड़ रुपये की टर्नओवर की तुलना में, 2018-19 में 100.50 करोड़ रुपये की टर्नओवर हासिल की, जो लगभग छह गुना की वृद्धि में है तथा 118 वर्ष के इतिहास में उच्चतम टर्नओवर भी है।

वित्तीय प्रदर्शन

यह बहुत गर्व की बात है कि आपकी कंपनी ने 2017-18 में 10.06 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ, 2016-17 में 4.51 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ, तथा वर्ष 2013-14 में 36.55 करोड़ रूपए की शुद्ध हानि की तुलना में 2018-19 में

100.50 रुपये की टर्नओवर के ऊपर **25.26 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ** रिपोर्ट किया है। यहां यह बताना उचित होगा कि बीसीपीएल वर्ष 2016-17 के बाद से साल दर साल अपने शुद्ध लाभ को दोगुना कर रही है। फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद खंड कंपनी की टर्नओवर में उच्चतम योगदान दे रहा है और 2018-19 के दौरान इस खंड ने कुल टर्नओवर में 65% का योगदान दिया है। दूसरा सबसे बड़ा खंड प्रसाधन एवं गृह उत्पाद रहा है, जो कुल टर्नओवर में 30% का योगदान करते हैं। आपकी कंपनी ने 2017-18 में 24.23 करोड़ रूपए के सकल मार्जिन तथा 2013-14 में 36.63 करोड़ रूपए की कुल आय पर 20.36 करोड़ रूपए की रिपोर्ट की गई सकल हानि की तुलना में 32.83 करोड़ रूपए का सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) हासिल किया, जो इसके 118 वर्ष के इतिहास में उच्चतम सकल मार्जिन की उपलब्धि भी है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी दृढ़ विश्वास रखती है कि अच्छा नैगम प्रशासन सभी हितधारकों को दीर्घ विकास की ओर ले जाता है और इसने "अच्छे नैगम प्रशासन" के मानकों के स्तर को जारी रखा है और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। आपकी कंपनी ने लगातार पिछले चार वर्षों से "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा, 2013-14 तक "Poor" रेटिंग तथा 2015-16 में "Fair" रेटिंग की तुलना में, डीपीई ने वर्ष 2017-18, 2016-17, तथा 2015-16 के लिए आपकी कंपनी को "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ मूल्यांकित किया है। आपकी कंपनी संस्थान में नैगम प्रशासन प्रथा में सुधार और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रौद्यौगिकी उन्नयन तथा परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 'Inj. Pipercillin Plus Tazobactam (4.5g)' का फार्मूलेशन विकसित किया है। इसके अलावा, प्रभाग III के उत्पादों में आपकी कंपनी ने इसकी पानिहटी फैक्ट्री से 'वाइट टाइगर-लेमन वैरिएंट' का शुभारंभ किया है, तथा ब्लैक फिनाईल का 1 लीटर का एचडीपीई जार का भी शुभारंभ किया है।

मानव संसाधन

मैं हर्ष और गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी के कर्मचारी अब बीसीपीएल को औद्योगिक जगत में एक "500 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी" बनाने तथा इसे सकारात्मक निवल मूल्य वाली कंपनी बनाने के केन्द्रित उद्देश्य के साथ नव-उर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ की आपके संगठन की समृधि प्रेरित तथा समर्पित कर्मचारियों के समुदाय पर निर्भर करती है। 31 मार्च 2019 को आप की कंपनी के पास इसके रोल पर 195 कर्मचारियों का कार्यबल है।

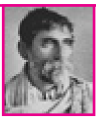

अभिस्वीकृति:

अंत में, मैं औषध विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के अन्य विभिन्न मंत्रालयों, पश्चिम बंगाल सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, कंपनी रजिस्ट्रार, औषध नियंत्रक प्राधिकरण का आपकी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्राप्त निरंतर समर्थन और सहायता के लिए, जिसके कारण बीसीपीएल 2016-17 में 4.51 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ रिपोर्ट करके तथा लगातार तीसरे वर्ष अर्थात् 2018-19 में भी शुद्ध लाभ रिपोर्ट करके, आपकी कंपनी ने न केवल 25.26 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया बल्कि गत वर्ष की तुलना में इसके शुद्ध लाभ को दोगुने से अधिक किया, जो कंपनी द्वारा इसके 118 वर्ष के इतिहास में रिपोर्ट किया गया उच्चतम शुद्ध लाभ है। मैं हमारे सभी मूल्यवान "वैधानिक लेखापरीक्षक, बैंकर्स, कर लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं, लायिसोनर, सी एण्ड एफ़ एजेंट, और स्टॉकिस्ट" द्वारा किये गये समर्थन और योगदान के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ और कंपनी के साथ व्यापर करने में विश्वास बनाए रखने के लिए और इस कंपनी, जो भारतीय रसायन के जनक, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय जी ने स्थापित की थी, को सेवाएं देने के लिए अपने तहे-दिल से धन्यवाद करता हूँ।

मैं निष्ठा से आपकी कंपनी के निदेशकों को वर्ष 2018-19 में कंपनी के इस गौरवशाली प्रदर्शन को हासिल करने एवं कंपनी के संचालन में उनकी बहुमूल्य सहायता और योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो कॉर्पोरेट दुनिया में इतिहास का निर्माण है। अंत में, मैं यूनियन और आपकी कंपनी के "इमारत ब्लॉक" अर्थात् "कर्मचारियों" को मेरा विशेष धन्यवाद करने का अवसर लेता हूँ।

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22 मई 2019

गणतंत्र दिवस उत्सव

सूचना

एतदद्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 38वीं वार्षिक आम सभा बुधवार, **22 मई 2019** को कंपनी के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, 6 गणेश चन्द्र एवेन्यू, (प्रथम तल), कोलकाता 700013 को अपराह्न 12:30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण जिसमें कि 31 मार्च 2019 का तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण तथा निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, उस पर विचार कर उसको स्वीकार किया जाएगा।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और संशोधन के साथ या संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए, निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य:

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना, तथा उस पर विचार करना तथा सही पाया गया तो एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   "**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम 2014 (कोई वैधनिक संशोधनों और समय-समय पर हुए पुन:संशोधनों) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखाकार, मैसर्स के बनर्जी एंड क०, लगत लेखाकार, को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी में लागत लेखापरीक्षा करने के लिए कुल 55000/- रूपए की फीस जमा लागू कर, टीए/डीए और जेब से किए गए खर्चों रहित, की पुष्टि की जाती है।

   आगे संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कृत्यों और सभी उचित, आवश्यक कदम उठाने के अधिकृत किया जाता है।"

2. केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की पूँजी पुनर्गठन के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन का अनुमोदन:

“संकल्प लिया जाता है कि केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की पूँजी पुनर्गठन के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)

दिनांक: 29/04/2019
स्थान: कोलकाता

टिप्पणियाँ:

1. **कंपनी की वार्षिक आम सभा में मतदान करने और भाग लेने के लिए अधिकृत कंपनी के सदस्य, लिखित रूप में अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी विधिवत् उसके द्वारा हस्ताक्षर किए कागजात के तहत नियुक्त कर सकते हैं और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रॉक्सी की नियुक्ति के कागजात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले जमा किये जाने चाहिए। (धारा 105 कंपनी अधिनियम, 2013)।**

2. दो प्रतियों में प्रॉक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है। यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के जो सदस्य प्रॉक्सी नियुक्त करना चाहते हैं, भरा हुआ, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित फार्म को वापस करें। (धारा 113 कंपनी अधिनियम, 2013)।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति 50 या 50 से कम सदस्यों और जो सदस्य कुल पूंजी के 10 प्रतिशत या 10 प्रतिशत से कम कंपनी की अंश पूंजी धारित करते हैं, के रूप में प्रॉक्सी हो सकता है। कंपनी के कुल अंश पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारित करने वाला कोई सदस्य एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा अंशधारक का प्रॉक्सी नहीं होगा (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105)। प्रॉक्सी फॉर्म जिसमें प्रॉक्सी का नाम या तिथि नहीं है, वैध नहीं माना जायेगा (आम सभा पर सचिवीय मानक)।

4. हर सदस्य जो बैठक में और वहां कोई प्रस्ताव के ऊपर वोट करने के लिए अधिकृत है, बैठक शुरू होने से चौबीस घंटे पहले से बैठक के निष्कर्ष तक, जमा की गई प्रॉक्सियों को कंपनी के कार्यालय समय के भीतर निरीक्षण करने हेतु अधिकृत है। हालांकि यह निरीक्षण करने का इरादा कंपनी को लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पहले सूचित करना होगा।

5. सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है एवं जो अपना ई-मेल आईडी बदलवाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से संपर्क करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि समय-समय पर कंपनी द्वारा भेजे गए सभी संदेश प्राप्त हो सके।

6. अंशधारक कृपया किसी भी प्रश्न/ शिकायत/ सुझाव के लिए df@bengalchemicals.co.in या cs@bengalchemicals.co.in ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं।

7. वार्षिक आम सभा स्थल सूचना का नक्शा सूचना के अंत में दिया गया है।

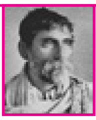

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण

निम्नलिखित विवरण सूचना में उल्लेखित विशेष कार्य से संबंधित सारे तथ्यों का वर्णन करता है:

विशेष कार्य की मद सं. 1

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए, निम्नलिखित विवरण के अनुसार लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित किया है:

लागत लेखापरीक्षक का नाम	लेखापरीक्षा शुल्क (रुपए में)
मैसर्स के बनर्जी एंड क०	55,000/-

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक बोर्ड की मंजूरी से कंपनी के सदस्यों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

तदनुसार, जैसाकि सूचना की विशेष कार्य की मद सं. 1 में वर्णित है, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए सदस्यों की सहमति से एक साधारण संकल्प करने की मांग की जाती है। सूचना के विशेष कार्य की मद सं. 1 के प्रस्ताव के तहत कोई भी निदेशक/ कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित रूचि नहीं रखते हैं। बोर्ड सूचना के विशेष कार्य की मद सं. 1 के प्रस्ताव में साधारण संकल्प पर सभी सदस्यों से अपना अनुमोदन देने की मांग करता है।

विशेष कार्य की मद सं. 2

20 जून 2016 को लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई सीपीएसईस की पूंजी पुनःसरंचना के दिशानिर्देशों के अनुसार, हर सीपीएसई इसके अंतिम खातों के अनुमोदन के लिए आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में एक अनुपालन नोट के साथ एक एजेंडा के रूप में इन दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिचित करेगा और इसके तुरंत बाद आयोजित की गयी एजीएम/ ईजीएम में अंशधारकों/ सदस्यों की वांछित अनुमति ली जाएगी। इसीलिए वर्ष 2018-19 के दौरान "सीपीएसई के लिए पूंजी पुनःसरंचना दिशानिर्देश" के अनुपालन का विवरण नीचे दर्शया गया है:

क्र.सं	प्रावधान	अनुपालन
1.	**लाभांश का भुगतान** पिछले दिशानिर्देशों का दमन करते हुए, हर सीपीएसई मौजूदा वैधानिक प्राबधान के अंतर्गत अधिकतम लाभांश को ध्यान में रखते हुए पीएटी का 30% अथवा निवल-मूल्य का 5% जो भी अधिक हो, वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगी।	वर्ष 2018-19 में 2,526 लाख रूपए के शुद्ध लाभ के बावजूद बीसीपीएल के पास 22,173 लाख रूपए की संचित हानि है। इसलिये वर्ष 2018-19 का 2,526 लाख रूपए का सारा शुद्ध लाभ कंपनी की संचित हानि को अवशोषित करने के लिए कंपनी के संचय में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके आलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, जिन कंपनियों के पास संचित हानि हैं वे जब तक सारी हानि अवशोषित नहीं होती तब तक लाभांश का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

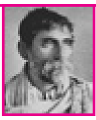

2.	**अंशो का वापसी क्रय** हर सीपीएसई जिसके पास कम से कम 2000 करोड़ रुपए का निवल-मूल्य और 1000 करोड़ रुपए से ज्यदा नगद एवं बैंक शेष है, वह अपने अंशों का वापसी क्रय के विकल्प का प्रयोग करेगा।	31/03/2019 को बीसीपीएल के पास 6,678 लाख रुपए का ऋणातमक निवल-मूल्य और 63.36 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था। इसीलिए बीसीपीएल इसके अंशों का वापसी क्रय के विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है।
3.	**बोनस अंश जारी करना** हर सीपीएसई यदि उनका निर्धारित संचय और अधिशेष इसकी प्रदत्त पूंजी का 10 गुणा और इससे अधिक है तो बोनस अंश जारी करेगा।	31/03/2019 को बीसीपीएल के पास संचय का 14,374 लाख रूपए का ऋणात्मक शेष था, जबकि कंपनी की प्रदत अंश पूंजी 7696.04 लाख रूपए है। इसलिये, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीपीएल बोनस अंश जारी करने के लिए वाध्य नहीं है।
4.	**अंशों का विभाजन** एक सीपीएसई जब इसके अंशों का बाज़ार मूल्य अथव वही मूल्य इसके अंकित मूल्य से 50 गुणा बढ़ जाए तो इसके अंशों का उचित विभाजन करेगी परन्तु इसके अंश का बर्तमान अंकित मूल्य एक रुपये या एक रुपए से अधिक हो।	बीसीपीएल के अंशों का वही मूल्य 868/- रूपए (ऋणातमक) है, जबकि इसके अंशों का अंकित मूल्य 1000/- रुपए प्रति अंश है। इसीलिए, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीपीएल इसके अंशों को विभाजित करने के लिए वाध्य नहीं है।

बोर्ड, सदस्यों के अनुमोदन के लिए सूचना के बिशेष कार्य की मद सं 2 में वर्णित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

सेवा में,

बीसीपीएल के सभी अंशधारक
प्रति:

i. बीसीपीएल के सभी निदेशक
ii. भारत सरकार के सचिव,
औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
iii. मैसर्स एम चौधरी एंड क०, सांविधिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)

दिनांक: 29/04/2019
स्थान: कोलकाता

फार्म नं एमजीटी-11

प्राक्सी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के अनुसरण और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के तहत]

सीआईएन	:	**U24299WB1981GOI033489**
संस्थान का नाम	:	**बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय	:	**6 गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013**

सदस्यों के नाम :

पंजीकृत पता :

इ-मेल आईडी:

फोलियो सं/ ग्राहक आईडी :

डीपी आईडी:

मैं/हम उपरोक्त .... कंपनी के शेयरधारक होने के नाते, निम्न व्यक्ति को नियुक्त करते है।

1. नाम :
   पता :
   ई-मेल आईडी :
   हस्ताक्षर : ...., उनके अनुपस्थित रहने पर

2. नाम :
   पता :
   ई-मेल आईडी :
   हस्ताक्षर : ...., उनके अनुपस्थित रहने पर

प्रॉक्सी के रूप में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 6 गणेश चंद्र एवेन्यू, 700013 में 22 मई 2019 को 12:30 बजे होने वाली 38वीं वार्षिक आम सभा एवं किसी भी स्थगन में उपस्थित होने तथा वोट देने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए नियुक्त करते हैं:

संकल्प:

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण जिसमें कि 31 मार्च 2019 का तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण तथा निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है उस पर विचार कर उसको स्वीकार किया जाएगा।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष कार्य:

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना।
2. केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की पूँजी पुनर्गठन के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन का अनुमोदन करना।

इस दिवस........ 2019 पर .... हस्ताक्षर किए गए।

शेयरधाक के हस्ताक्षर

1 रु० की रसीदी टिकट

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

नोट: इस प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु विधिवत् रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए।

38वीं वार्षिक आम सभा के स्थान के लिए मार्ग नक्शा

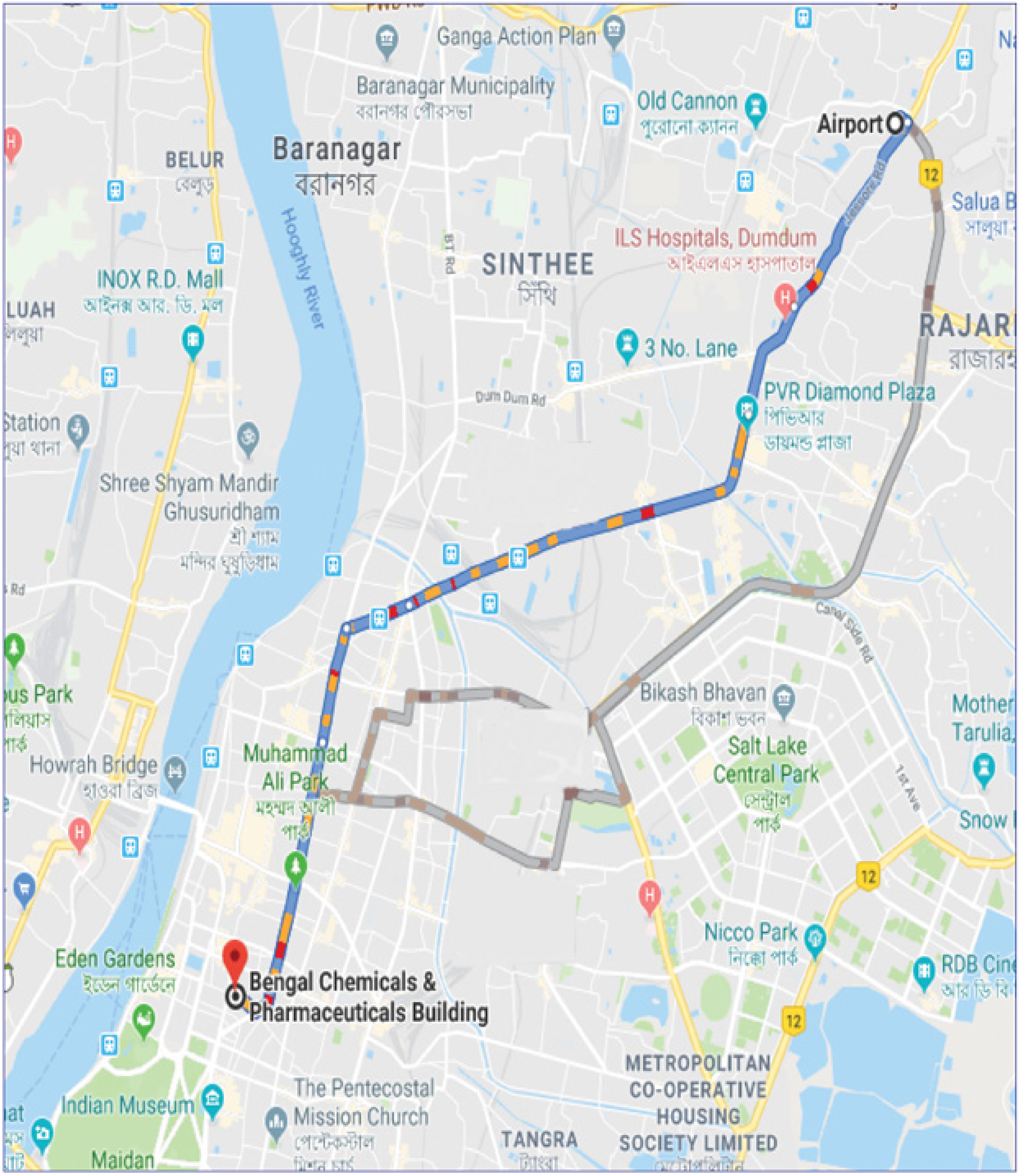

WELL DESERVED : Probir Roy receiving the SCOPE Award from Prime Minister Atal Bihari Vajpayee

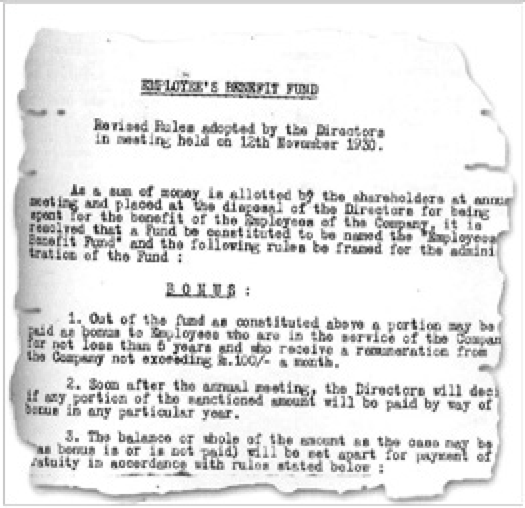

EMPLOYEE'S BENEFIT FUND

Revised Rules adopted by the Directors in meeting held on 12th November 1930.

As a sum of money is allotted by the shareholders at annu[al] meeting and placed at the disposal of the Directors for being spent for the benefit of the Employees of the Company, it is resolved that a Fund be constituted to be named the "Employees Benefit Fund" and the following rules be framed for the admini[s]tration of the Fund :

BONUS :

1. Out of the fund as constituted above a portion may be paid as bonus to Employees who are in the service of the Compan[y] for not less than 5 years and who receive a remuneration from the Company not exceeding Rs.100/- a month.

2. Soon after the annual meeting, the Directors will dec[ide] if any portion of the sanctioned amount will be paid by way of bonus in any particular year.

3. The balance or whole of the amount as the case may be (as bonus is or is not paid) will be set apart for payment of [gr]atuity in accordance with rules stated below :

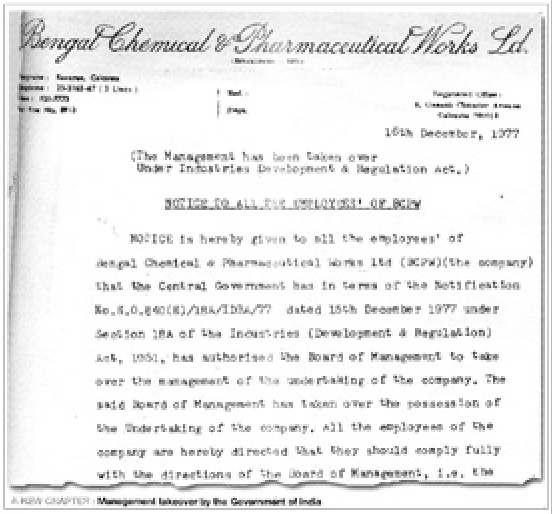

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.

16th December, 1977

(The Management has been taken over Under Industries Development & Regulation Act.)

NOTICE TO ALL THE EMPLOYEES' OF BCPW

NOTICE is hereby given to all the employees' of Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd (BCPW)(the company) that the Central Government has in terms of the Notification No.S.O.840(E)/18A/IDRA/77 dated 15th December 1977 under Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, has authorised the Board of Management to take over the management of the undertaking of the company. The said Board of Management has taken over the possession of the Undertaking of the company. All the employees of the company are hereby directed that they should comply fully with the directions of the Board of Management, i.e. the

A NEW CHAPTER : Management takeover by the Government of India

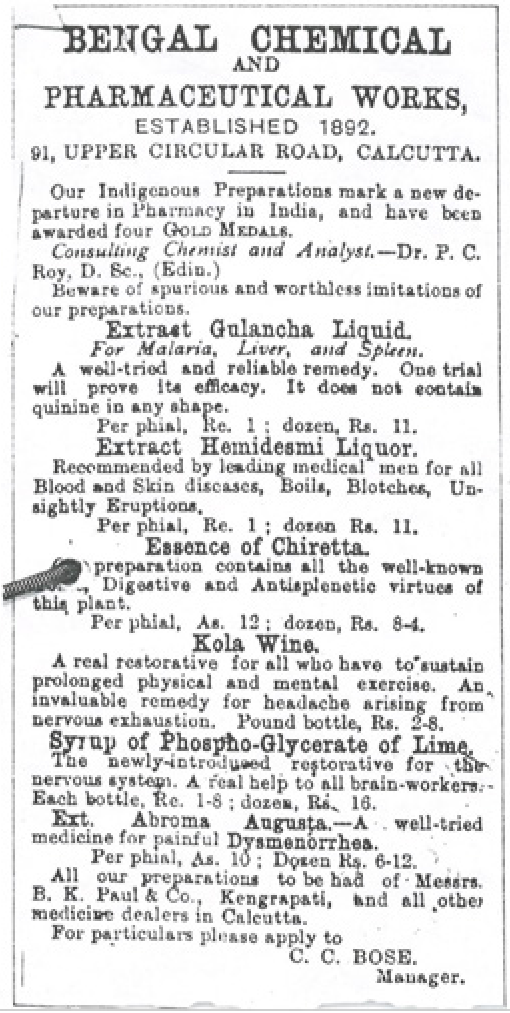

BENGAL CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL WORKS,

ESTABLISHED 1892.

91, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA.

Our Indigenous Preparations mark a new departure in Pharmacy in India, and have been awarded four GOLD MEDALS.

Consulting Chemist and Analyst.—Dr. P. C. Roy, D. Sc., (Edin.)

Beware of spurious and worthless imitations of our preparations.

Extract Gulancha Liquid.

For Malaria, Liver, and Spleen.

A well-tried and reliable remedy. One trial will prove its efficacy. It does not contain quinine in any shape.

Per phial, Re. 1; dozen, Rs. 11.

Extract Hemidesmi Liquor.

Recommended by leading medical men for all Blood and Skin diseases, Boils, Blotches, Unsightly Eruptions.

Per phial, Re. 1; dozen Rs. 11.

Essence of Chiretta.

preparation contains all the well-known Digestive and Antisplenetic virtues of this plant.

Per phial, As. 12; dozen, Rs. 8-4.

Kola Wine.

A real restorative for all who have to sustain prolonged physical and mental exercise. An invaluable remedy for headache arising from nervous exhaustion. Pound bottle, Rs. 2-8.

Syrup of Phospho-Glycerate of Lime.

The newly-introduced restorative for the nervous system. A real help to all brain-workers. Each bottle, Re. 1-8; dozen, Rs. 16.

Ext. Abroma Augusta.—A well-tried medicine for painful Dysmenorrhea.

Per phial, As. 10; Dozen Rs. 6-12.

All our preparations to be had of Messrs. B. K. Paul & Co., Kengrapati, and all other medicine dealers in Calcutta.

For particulars please apply to

C. C. BOSE.

Manager.

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

बंगाल केमिकल्स के वित्तीय परिणाम

(रूपए लाख में)

वार्षिक रिपोर्ट	वित्तीय वर्ष	स्रोत / निदेशक मंडल की बठक	परिचालन आय	अन्य आय	कुल आय	असामान्य आय से पहले कर पूर्व लाभ / हानि	असामान्य आय	वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ / हानि	असामान्य एवं अन्य आय रहित लाभ (हानि)
राष्ट्रीयकरण से पहले:									
25वां वर्ष	1925-26	जीवनी पुस्तक	25.00	0.10	25.10	**2.81**	-	2.81	2.71
40वां वर्ष	1940-41	09/07/1941	92.88	0.37	93.24	**7.68**	-	7.68	7.31
44वां वर्ष	1944-45	जीवनी पुस्तक	140.48	0.50	140.98	**13.68**	-	13.68	13.18
60वां वर्ष	1960-61	जीवनी पुस्तक	208.84	3.00	211.84	**18.01**	-	18.01	15.01
61वां वर्ष	1961-62	जीवनी पुस्तक	212.50	3.00	215.50	**9.16**	-	9.16	6.16
62वां वर्ष	1962-63	जीवनी पुस्तक	228.00	3.00	231.00	**13.24**	-	13.24	10.24
63वां वर्ष	1963-64	जीवनी पुस्तक	234.00	3.00	237.00	**18.50**	-	18.50	15.50
66वां वर्ष	**1966-67**	**1967-68 (गत वर्ष के आंकड़े)**	**296.28**	**4.60**	**300.88**	**20.16**	-	**20.16**	**15.56**
67वां वर्ष	1967-68	31/07/1968	299.63	5.46	305.09	**(0.41)**	0.67	0.26	(5.20)
68वां वर्ष	1968-69	26/07/1969	299.46	7.92	307.38	**(0.35)**	0.44	0.08	(7.84)
69वां वर्ष	1969-70	14/08/1970	306.62	7.78	314.40	**(23.66)**	-	(23.66)	(31.44)
70वां वर्ष	1970-71	8/28/1971	277.56	6.07	283.63	**(24.90)**	-	(24.90)	(30.97)
71वां वर्ष	1971-72	30/10/1972	277.89	7.71	285.60	**(50.62)**	-	(50.62)	(58.33)
72वां वर्ष	1972-73	31/08/1973	354.15	7.46	361.61	**(21.00)**	-	(21.00)	(28.45)
73वां वर्ष	1973-74	31/08/1974	414.97	8.79	423.76	**(11.24)**	1.03	(10.22)	(19.01)
74वां वर्ष	1974-75	04/08/1975	598.30	7.91	606.21	**(0.45)**	0.52	0.06	(7.85)
75वां वर्ष	1975-76	31/08/1976	575.50	12.19	587.69	**(34.79)**	-	(34.79)	(46.99)
76वां वर्ष	1976-77	एसटी-एलटी एक्शन प्लान	503.00	10.00	513.00	**(111.00)**	-	(111.00)	(121.00)
77वां वर्ष	1977-78	एसटी-एलटी एक्शन प्लान	388.00	10.00	398.00	**(198.00)**	-	(198.00)	(208.00)
78वां वर्ष	1978-79	एसटी-एलटी एक्शन प्लान	690.00	10.00	700.00	**(76.00)**	-	(76.00)	(86.00)
79वां वर्ष	1979-80	एसटी-एलटी एक्शन प्लान	802.00	10.00	812.00	**(146.00)**	-	(146.00)	(156.00)
80वां वर्ष	1980-81	एसटी-एलटी एक्शन प्लान	890.00	10.00	900.00	**(285.00)**	-	(285.00)	(295.00)
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम- राष्ट्रीयकरण के बाद			-	-	-		-	-	-
1	1981-82	26/03/1983	1,107	23	1,129	**(213)**	-	(213)	(235)
2	1982-83	21/12/1984	1,118	21	1,139	**(283)**	-	(283)	(304)
3	1983-84	24/03/1986	1,055	36	1,091	**(485)**	-	(485)	(521)
4	1984-85	14/08/1986	1,068	25	1,092	**(484)**	-	(484)	(509)
5	1985-86	08/07/1987	1,159	14	1,173	**(573)**	-	(573)	(587)
6	1986-87	11/03/1988	1,076	28	1,103	**(665)**	-	(665)	(693)
7	1987-88	04/10/1988	1,245	25	1,270	**(771)**	-	(771)	(796)
8	1988-89	20/09/1989	1,592	62	1,654	**(705)**	-	(705)	(767)
9	1989-90	15/09/1990	1,859	50	1,909	**(841)**	-	(841)	(891)
10	1990-91	30/08/1991	1,778	61	1,839	**(946)**	-	(946)	(1,007)
			-	-	-	-	-	-	-
11वां	1991-92	28/08/1992	1,615	77	1,691	**(1,513)**	-	(1,513)	(1,590)
12वां	1992-93	27/08/1993	1,323	103	1,426	**(1,274)**	-	(1,274)	(1,377)
13वां	1993-94	26/08/1994	1,584	124	1,708	**(1,098)**	-	(1,098)	(1,222)
14वां	1994-95	01/11/1995	1,928	128	2,056	**(638)**	-	(638)	(766)
15वां	1995-96	16/09/1996	2,530	195	2,725	**(359)**	-	(359)	(553)
16वां	1996-97	16/09/1997	3,061	150	3,211	**(260)**	1,835	1,575	(410)
17वां	1997-98	29/06/1998	3,550	233	3,784	**(337)**	-	(337)	(570)
18वां	1998-99	02/07/1999	3,640	214	3,854	**(368)**	303	(65)	(279)
19वां	1999-00	30/06/2000	3,633	379	4,013	**(387)**	-	(387)	(766)
20वां	2000-01	23/11/2001	3,374	588	3,962	**(702)**	-	(702)	(1,290)
			-	-	-	-	-	-	-
21वां	2001-02	06/06/2002	3,799	640	4,439	**(451)**	-	(451)	(1,091)
22वां	2002-03	17/06/2003	4,036	695	4,732	**(307)**	519	212	(484)
23वां	2003-04	25/08/2004	3,705	773	4,479	**(209)**	1,005	795	22
24वां	2004-05	23/12/2005	3,856	782	4,638	**(353)**	-	(353)	(1,135)
25वां	2005-06	06/12/2006	4,486	723	5,209	**(837)**	-	(837)	(1,560)
26वां	2006-07	05/01/2009	3,845	791	4,636	**(1,995)**	-	(1,995)	(2,786)
27वां	2007-08	01/06/2010	4,208	1,099	5,306	**(970)**	-	(970)	(2,068)
28वां	2008-09	15/09/2011	6,257	1,344	7,601	**(1,246)**	-	(1,246)	(2,591)
29वां	2009-10	31/12/2012	5,733	1,167	6,899	**(1,939)**	-	(1,939)	(3,106)
30वां	2010-11	04/10/2013	5,485	1,160	6,645	**(1,389)**	318	(1,070)	(2,230)
31वां	2011-12	30/06/2014	4,825	2,419	7,245	**(1,823)**	-	(1,823)	(4,243)
32वां	2012-13	17/01/2015	2,737	1,749	4,486	**(4,069)**	-	(4,069)	(5,818)
33वां	2013-14	27/03/2015	1,706	1,629	3,335	**(3,655)**	-	(3,655)	(5,284)
34वां	2014-15	26/06/2015	4,584	1,530	6,113	**(2,808)**	1,076	(1,732)	(3,262)
35वां	2015-16	27/05/2016	8,819	2,373	11,192	**(913)**	-	(913)	(3,286)
36वां	**2016-17**	**17/05/2017**	**8,536**	**2,362**	**10,898**	**451**	**-**	**451**	**(1,911)**
37वां	**2017-18**	**02/06/2018**	**7,801**	**1,679**	**9,480**	**1,006**	**-**	**1,006**	**(673)**
38वां	**2018-19**	**29/04/2009**	**10,050**	**1,917**	**11,967**	**2,526**	**-**	**2,526**	**609**

अतिरिक्त जानकारी:

1) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 28 करोड़ रु० के बैंक ऋण का भुगतान किया तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के भवन (1983) को बंधक मुक्त किया।
2) 2005-2007 के दौरान लिए गए भारत सरकार के 17 करोड़ रूपए के ऋण का पुनर्भुगतान किया।
3) 120 वर्ष के कंपनी के इतिहास में पहली बार 123 करोड़ रु० का उत्पादन, 101 करोड़ रु० की टर्नओवर, 33 करोड़ रु० सकल मार्जिन तथा 25 करोड़ रु० के शुद्ध लाभ की उपलब्धि हासिल की।
4) 2018-19 के वार्षिक खातों को 29 अप्रैल 2019 को अंतिम रूप दिया गया, जो कंपनी के खतों को अंतिम रूप देने की शीघ्रातिशीघ्र तिथि है।
5) 2016-17 में 4.51 करोड़ रु० का शुद्ध लाभ (असामान्य आय रहित) तथा 2018-19 में 6 करोड़ रु० का परिचालन से शुद्ध लाभ (असामान्य एवं अन्य आय रहित) रिपोर्ट किया, जो 50 वर्षों की एक लंबी अवधि के बाद हुआ।

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

दस वर्षों की वित्तीय विशिष्टताएँ

(रूपए लाख में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्पादन	8,324	8,049	5,922	3,633	1,970	6,410	10,670	10,269	9,818	**12,345**
वित्तीय प्रदर्शन:										
परिचालन आय/ परिचालन से राजस्व	5,733	5,485	4,825	2,737	1,706	4,584	8,819	8,536	7,801	**10,050**
अन्य आय	1,340	959	2,539	1,907	1,957	1,970	2,457	2,488	1,679	**1,917**
कुल आय	7,073	6,444	7,364	4,644	3,663	6,554	11,276	11,024	9,480	**11,967**
परिचालन लगत/ प्रत्यक्ष लागत	3,719	3,453	4,128	2,661	1,454	3,024	5,630	4,663	4,161	**5,532**
कर्मचारी लाभ व्यय	1,821	1,828	2,212	2,567	2,609	2,857	2,352	1,952	1,470	**1,479**
वित्त लगत	662	610	1,319	1,469	1,285	1,536	1,642	1,507	905	**245**
अन्य ब्यय	3,123	1,720	1,316	1,705	1,636	1,583	2,170	2,005	1,425	**1,673**
मूल्यहास	151	222	212	309	334	361	395	447	512	**512**
कुल ब्यय	9,476	7,832	9,187	8,712	7,319	9,361	12,189	10,573	8,474	**9,441**
असामान्य आय	464	318	-	-	-	1,076	-	-	-	**-**
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(1,126)	(239)	(292)	(2,290)	(2,036)	165	1,124	2,405	2,423	**3,283**
कर एवं असामान्य आय पूर्व लाभ (हानि)	(2,403)	(1,388)	(1,823)	(4,069)	(3,655)	(2,808)	(913)	451	1,006	**2,526**
कर पूर्व लाभ (हानि)	(1,939)	(1,070)	(1,823)	(4,069)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	**2,526**
परिसंपत्तियां और देयताएं:										
देयताएं										
अंश पूँजी	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	**7,696**
संचय एवं अधिशेष	(6,937)	(7,379)	(9,203)	(13,271)	(16,926)	(17,444)	(18,357)	(17,906)	(16,900)	**(14,374)**
निवल मूल्य	759	317	(1,507)	(5,575)	(9,230)	(9,748)	(10,661)	(10,210)	(9,204)	**(6,678)**
ऋण	21,055	26,855	15,021	18,426	19,256	21,145	21,740	21,955	21,021	**20,073**
नियोजित पूँजी	21,814	27,172	13,514	12,852	10,026	11,397	11,079	11,745	11,817	**13,394**
अन्य चालू देयताएं	7,531	5,547	12,408	7,868	8,534	9,283	9,317	8,082	7,612	**6,471**
प्रावधान	1,661	1,483	1,523	1,724	1,711	1,922	1,973	1,745	1,306	**1,027**
कुल देयताएं	31,006	34,202	27,445	22,444	20,271	22,602	22,369	21,572	20,735	**20,892**
परिसंपत्तियां:										
अचल संपत्ति (सकल ब्लॉक)	4,630	4,634	4,744	5,901	6,519	6,686	12,501	13,463	14,011	**13,507**
संचित मूल्यहास	1,913	2,135	2,348	2,758	3,225	2,370	2,765	3,212	3,724	**3,724**
अचल संपत्ति का शुद्ध ब्लॉक	2,717	2,499	2,396	3,143	3,294	4,316	9,736	10,251	10,287	**9,783**
प्रगतिशील कार्य पूँजी	3,880	7,025	11,418	11,092	10,973	10,923	5,718	5,149	4,754	**4,754**
इन्वेंटरी	2,233	1,777	1,515	1,046	811	1,428	1,463	1,467	1,970	**1,708**
व्यापार प्राप्य	2,803	2,985	2,833	1,100	743	1,441	2,633	2,171	2,252	**3,521**
नकद एवं बैंक बैलेंस	16,127	672	395	4,234	3,009	3,698	1,865	1,429	242	**63**
ऋण और अग्रिम	3,246	18,535	8,094	994	1,140	564	504	641	653	**381**
अन्य चालू परिसंपत्तियां	-	709	793	835	301	231	448	463	577	**681**
कुल परिसंपतियां	31,006	34,202	27,445	22,444	20,271	22,602	22,369	21,572	20,735	**20,892**
अन्य:										
कर्मचारियों की सं.	719	689	629	573	481	405	370	320	248	**195**
अंशों की सं.	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	769,604	**769,604**
अनुपात:										
प्रति कर्मचारी कुल आय (रु० लाख में)	9.84	9.35	11.71	8.10	7.62	16.18	30.48	34.45	38.22	**61.37**
प्रति अंश आय (रु०)	(251.95)	(139.05)	(236.90)	(528.66)	(474.94)	(225.06)	(118.65)	58.65	130.69	**328.21**
प्रशासनिक व्यय/ कुल व्यय %	52.17%	45.30%	38.41%	49.04%	58.01%	47.43%	37.10%	37.43%	34.17%	**33.38%**
प्रशासनिक व्यय/ कुल आय %	69.90%	55.06%	47.92%	92.01%	115.88%	67.74%	40.10%	35.89%	30.54%	**26.34%**
वित्त लगत/ कुल व्यय %	6.99%	7.78%	14.35%	16.86%	17.56%	16.41%	13.47%	14.25%	10.69%	**2.60%**
कुल आय के लिए कुल व्यय %	133.97%	121.55%	124.76%	187.62%	199.77%	142.83%	108.10%	95.91%	89.39%	**78.89%**
देनदार टर्नओवर अनुपात (दिन)	178	199	214	147	159	115	109	93	105	**128**
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (दिन)	142	118	115	140	173	114	61	63	92	**62**
ब्याज कवरेज पीबीडीआईटी के लिए वित्त लागत (No. of Times)	-1.70	-0.39	-0.22	-1.56	-1.58	0.11	0.68	1.60	2.68	**13.40**
चालू अनुपात (No.of Times)	3.24	4.45	1.10	1.04	0.70	0.79	0.74	0.76	0.75	**0.98**
ऋण समता अनुपात No.of Times	2.74	3.49	1.95	2.39	2.50	2.75	2.82	2.85	2.73	**2.61**
शुद्ध लाभ मार्जिन %	-27.41%	-16.61%	-24.76%	-87.62%	-99.77%	-26.43%	-8.10%	4.09%	10.61%	**21.11%**
परिचालन/ सकल लाभ मार्जिन (पीबीडीआईटी/ कुल आय) %	-15.92%	-3.71%	-3.97%	-49.31%	-55.57%	2.51%	9.97%	21.82%	25.56%	**27.43%**
परिचालन लागत/ परिचालन आय %	64.87%	62.96%	85.55%	97.24%	85.22%	65.99%	63.84%	54.63%	53.34%	**55.05%**

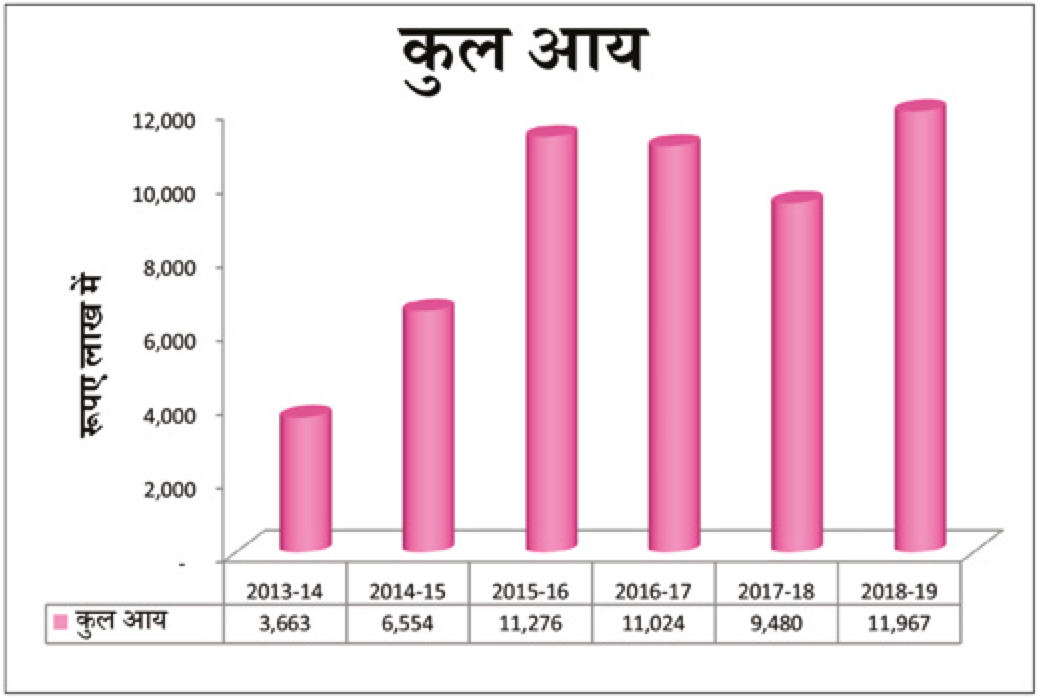
कुल आय
रूपए लाख में
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
कुल आय
3,663
6,554
11,276
11,024
9,480
11,967

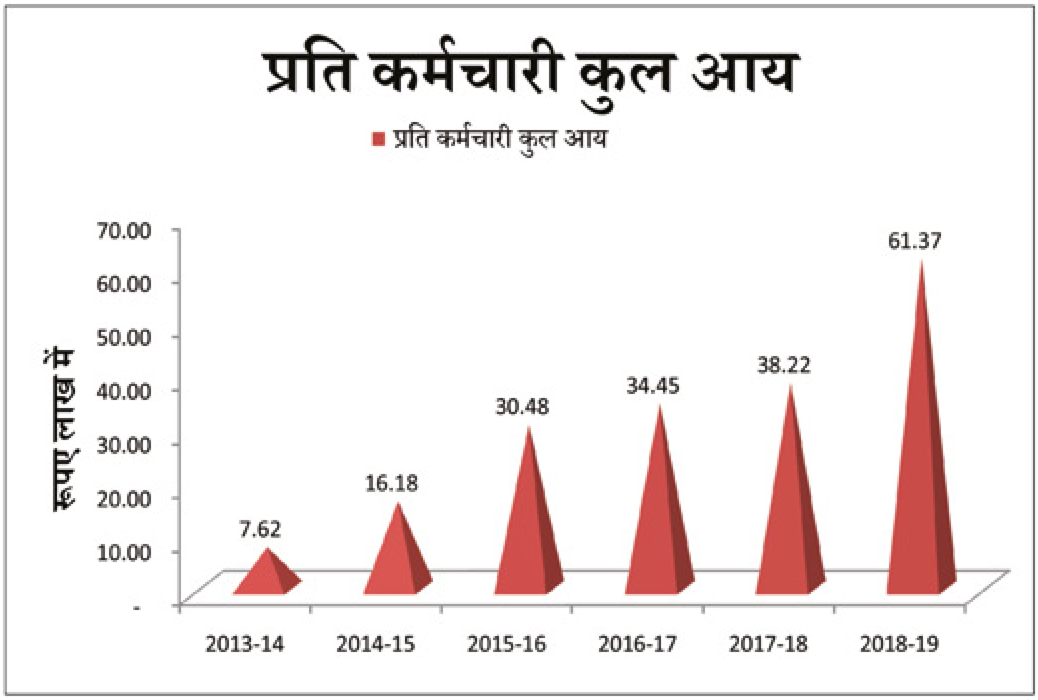
प्रति कर्मचारी कुल आय
प्रति कर्मचारी कुल आय
रूपए लाख में
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
7.62
16.18
30.48
34.45
38.22
61.37
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

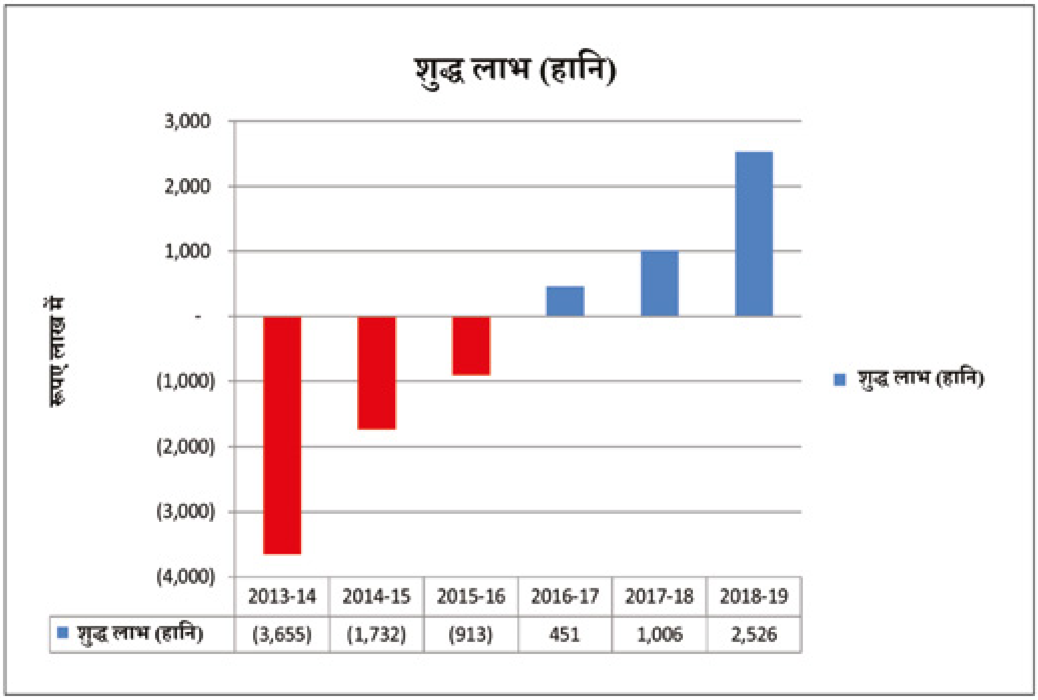

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
शुद्ध लाभ (हानि)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	2,526

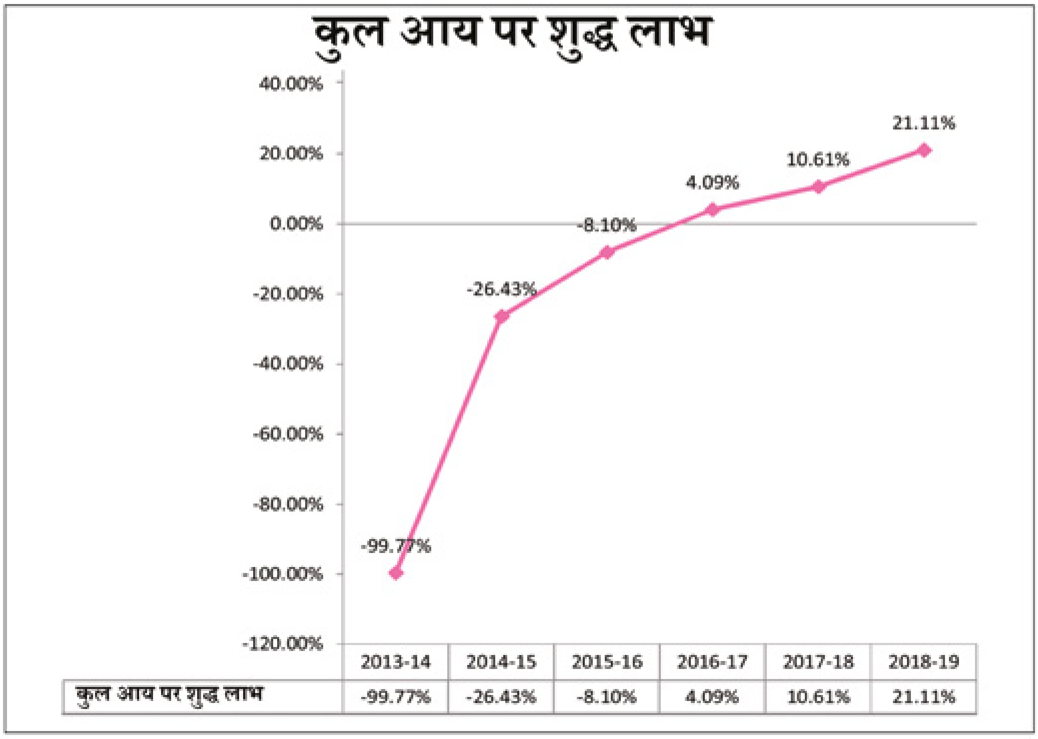

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल आय पर शुद्ध लाभ	-99.77%	-26.43%	-8.10%	4.09%	10.61%	21.11%

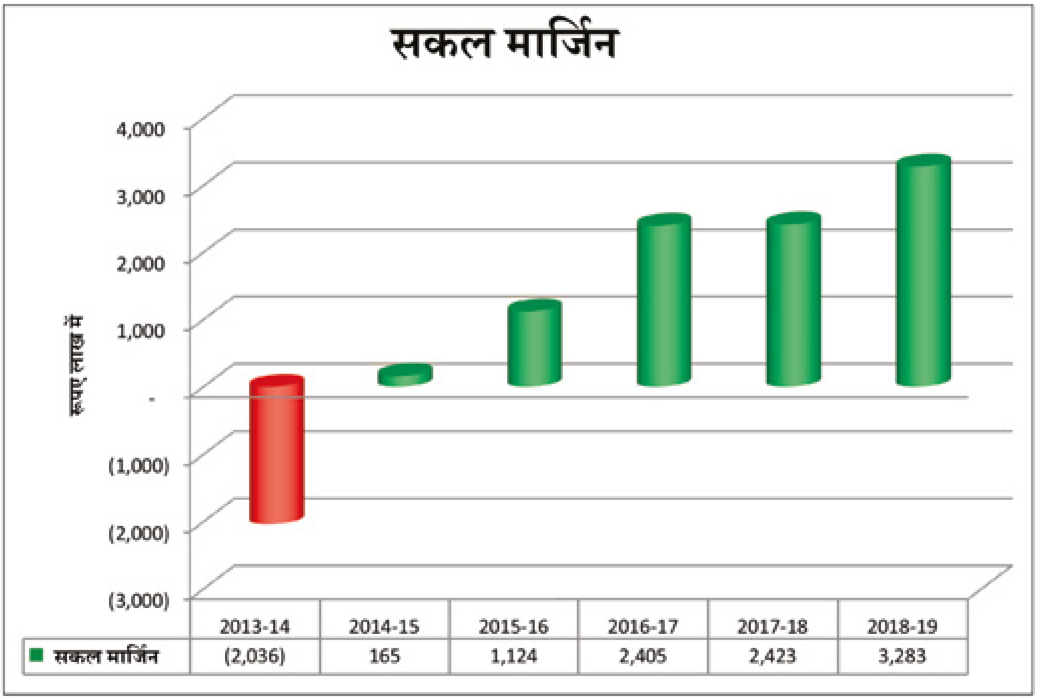
सकल मार्जिन
4,000
3,000
2,000
1,000
-
(1,000)
(2,000)
(3,000)
रूपए लाख में
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
सकल मार्जिन (2,036) 165 1,124 2,405 2,423 3,283

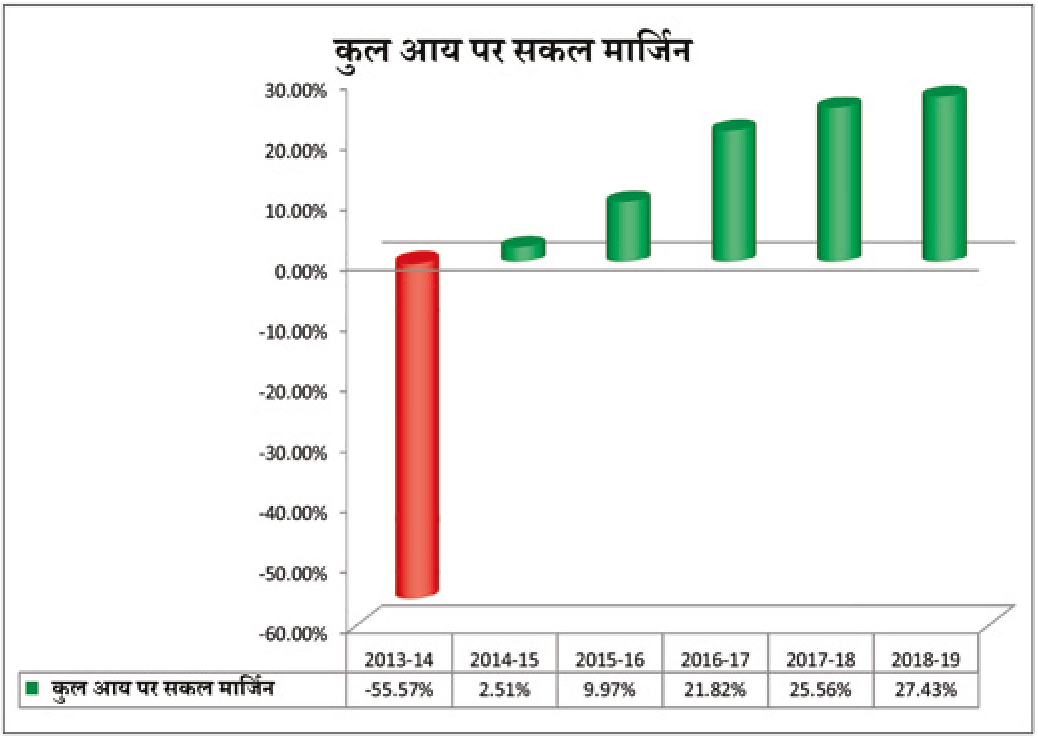
कुल आय पर सकल मार्जिन
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-60.00%
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
कुल आय पर सकल मार्जिन -55.57% 2.51% 9.97% 21.82% 25.56% 27.43%

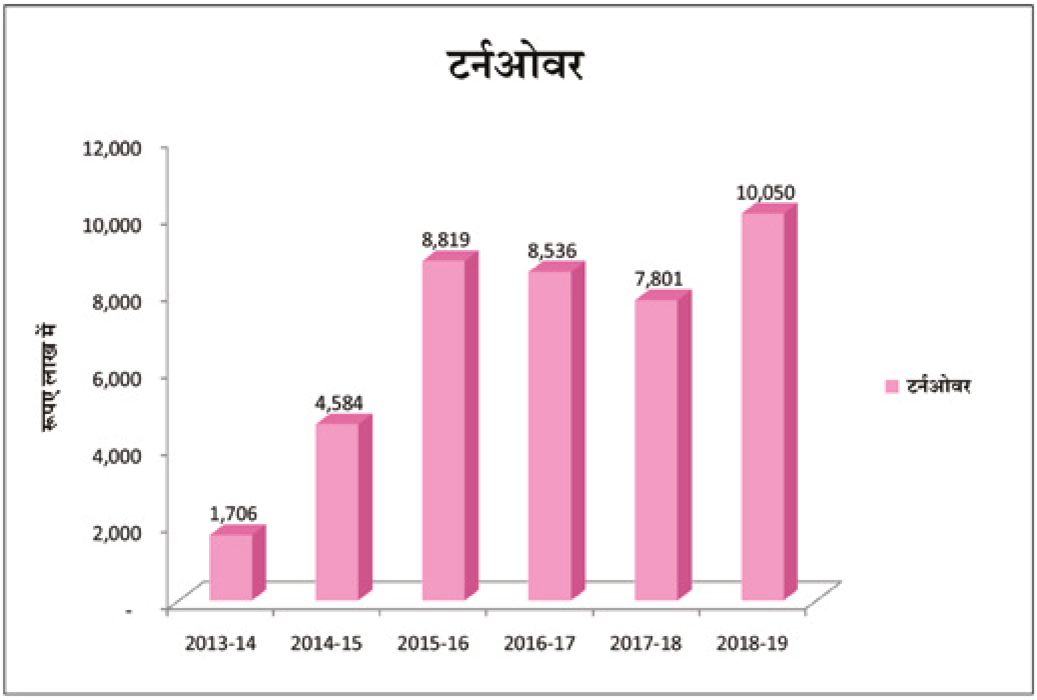

टर्नओवर
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
रूपए लाख में
1,706
4,584
8,819
8,536
7,801
10,050
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
टर्नओवर

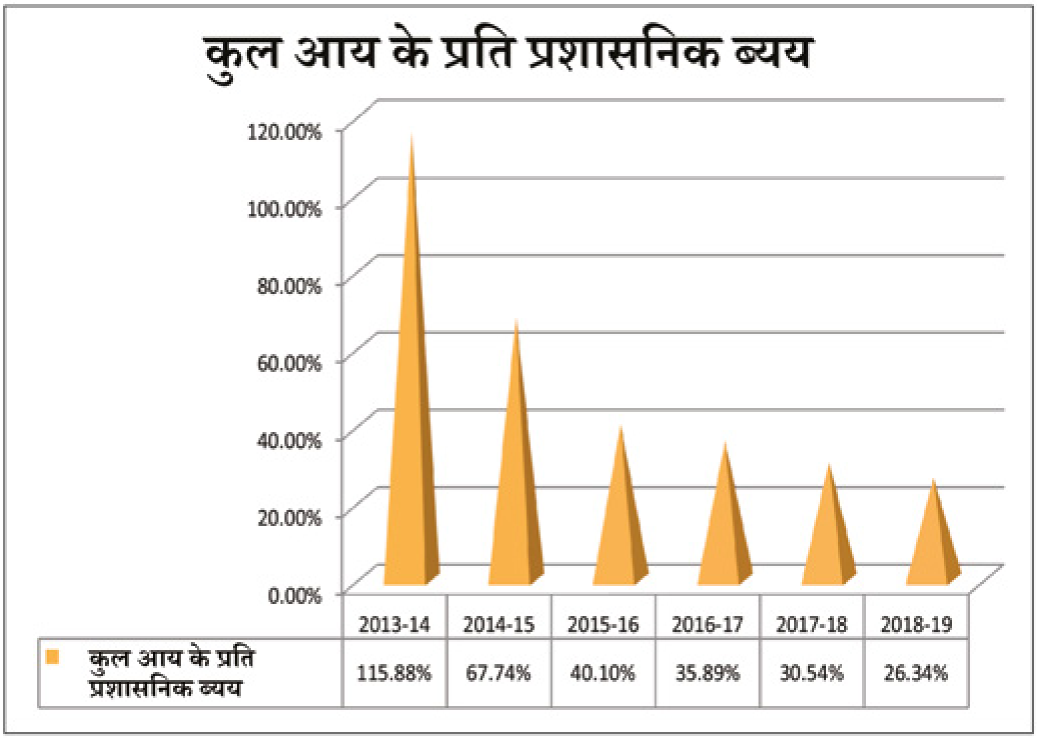

कुल आय के प्रति प्रशासनिक व्यय
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
कुल आय के प्रति प्रशासनिक व्यय
115.88%
67.74%
40.10%
35.89%
30.54%
26.34%

हिंदी पखवाड़ा का पालन

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारको,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु आपकी कंपनी के कारोबार और संचालन पर 38वां वार्षिक प्रतिवेदन और इसके अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं इनके ऊपर भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की अभिमत पेश करने में खुशी हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2016-17 में 8,536 लाख रूपए तथा 2017-18 के दौरान 7,801 लाख रूपए की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 10,050 लाख रूपये की टर्नओवर हासिल की। इसी तरह, वर्ष 2013-14 के प्रदर्शन, जिसमें 1,706 लाख रूपए की टर्नओवर तथा 3,655 लाख रूपए की शुद्ध हानि रिपोर्ट की थी, की तुलना में, आपकी कंपनी ने लगातार तीन वर्ष अर्थात् 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में शुद्ध लाभ अर्जित कर, काफी उन्नति की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 2016-17 में 451 लाख रूपए के शुद्ध लाभ तथा 2017-18 में 1,006 लाख रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 2,526 लाख रूपए का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय विशिष्टताएं तथा मुख्य वित्तीय अनुपात, पिछले दो वर्षों के परस्पर आंकड़ों के साथ निम्न प्रकार है:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
1	परिचालन आय (टर्नओवर)	8536	7801	**10050**
3	कर पूर्व लाभ (हानि)	451	1006	**2526**
4	मूल्यह्रास	447	512	**512**
5	वित्त लागत	1507	905	**245**
6	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	2405	2423	**3283**
7	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	**उत्कृष्ट***
8	देनदार आवर्त (दिनों की सं.)	93	105	**128**
9	इन्वेंटरी आवर्त (दिनों की सं.)	63	92	62
10	ब्याज कवरेज अनुपात	1.60	2.68	**13.40**
11	चालू अनुपात	0.76	0.75	**0.98**
12	ऋण समता अनुपात	2.85	2.73	**2.61**
13	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	21.82%	26.56%	**27.43%**
14	शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	4.09%	10.61%	**21.11%**

***कंपनी ने इसकी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग प्राप्त की है।**

2. पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 8000 लाख रूपये है (प्रत्येक 1000/- रूपये के हिसाब से 80000 सामान्य अंशों में विभाजित) और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 7696 लाख रूपये है। (769604 सामान्य अंशों में प्रत्येक 1000/- रूपये के हिसाब से विभाजित)।

3. लाभांश और संचय

यद्यपि आपकी कंपनी पिछले तीन सालों से शुद्ध लाभ रिपोर्ट कर रही है, लेकिन वर्ष दर वर्ष निरंतर हानि के कारण और इसके लाभ हानि खाते /सामान्य संचय खाते में 22,173 लाख रुपए का डेबिट शेष होने के कारण, आपके निदेशक वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान की सिफारिश नहीं करते हैं और 2,526 लाख रुपए के शुद्ध लाभ की संपूर्ण राशि लाभ-हानि खाते के डेबिट शेष/ संचित हानि के साथ समायोजित की गई है।

4. उत्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने गत वर्ष वर्ष 2017-18 के दौरान 9,818 लाख रुपये के उत्पादन तथा 2016-17 में 10,269 लाख रुपये के उत्पादन की तुलना में 12,345 लाख रुपये का उत्पादन किया। यह आपकी कंपनी द्वारा इसके 118 वर्षों के इतिहास में अब तक का उच्चतम उत्पादन है।

5. संचालन

बीसीपीएल के उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका नाम (i) औद्योगिक रसायन (प्रभाग I), (ii) फार्मास्यूटिकल्स (प्रभाग II), तथा (iii) गृह उत्पाद (प्रभाग III) है। वर्ष 2018-19 के दौरान, उपरोक्त प्रभागों की उपलब्धियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

5.1 औद्योगिक रसायन (प्रभाग I): आपकी कंपनी के औद्योगिक रसायन प्रभाग ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में किये गए 430 लाख रूपए की टर्नओवर और वर्ष 2016-17 में 500 लाख रूपए की तुलना में वर्ष 2018-19 में 487 लाख रूपये की शुद्ध टर्नओवर हासिल की। इस प्रभाग ने वर्ष 2018-19 में कंपनी की टर्नओवर में 5% का योगदान दिया।

5.2 फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग (प्रभाग II): बीसीपीएल के फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग ने वर्ष 2017-18 में 4967 लाख रूपये और 2016-17 में 5409 लाख रूपए की तुलना में, वर्ष 2018-19 में 6544 लाख रूपए की शुद्ध टर्नओवर रिपोर्ट की है, जो इसके 118 वर्षों के इतिहास में उच्चतम टर्नओवर है। इस प्रभाग ने वर्ष 2018-19 की टर्नओवर में 65% का योगदान किया है।

5.3 गृह उत्पाद (प्रभाग III): कंपनी के गृह उत्पाद प्रभाग ने वर्ष 2017-18 में 2406 लाख रूपए तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में किये गए 2628 लाख रूपए की टर्नओवर की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3019 लाख रूपये की शुद्ध टर्नओवर हासिल की है। इस प्रभाग ने वर्ष 2018-19 में कंपनी की टर्नओवर में 30% का योगदान किया है।

6. विपणन पहल/ प्रमुख व्यवसाय विकास

6.1 आपकी कंपनी ने अपने प्रभाग III के व्यवसाय के लिए "Bigbasket" नाम से प्रसिद्ध ऑनलाइन रिटेल स्टोर के साथ गठजोड़ के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है।

6.2 आपकी कंपनी ने Future Group (Big Bazar), Reliance तथा Grofers इत्यादि के साथ उनके ई-रिटेल आउटलेट/ सुपरमार्केट/ शौपिंग मॉल से अपने गृह उत्पादों के प्रदर्शन ओर बिक्री के लिए गठजोड़ कर मॉडर्न ट्रेड में प्रवेश करने की पहल की है।

6.3 आपकी कंपनी ने 1 लीटर एचडीपी जार की पैकिंग में अपना "फिनोल" लॉन्च किया है, जिसके कारण उपयोगकर्ता इस उत्पाद का उपयोग आसानी से कर रहे हैं।

6.4 आपकी कंपनी ने व्हाइट टाइगर के लिए लेमन फ्लेवर के साथ एक नया संस्करण/ ब्रांड एक्सटेंशन शुरू किया है। यह फर्श की सफाई के साथ ताज़गी और अद्वितीय मच्छर विकर्षक प्रदान करता है।

6.5 बीसीपीएल के उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और विपणन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, बीसीपीएल ने मुंबई और कोलकाता में एक्सक्लूसिव खुदरा स्टोर खोले हैं।

इसके अलावा, बीसीपीएल के फार्मास्यूटिकल्स फार्मूलेशन का व्यवसाय, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई औषधि क्रय नीति पर आधारित है। इस औषधि क्रय नीति का कार्यकाल 9 दिसंबर 2018 को समाप्त हो गया है और औषधि क्रय नीति (पीपीपी) का नवीकरण औषध विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है।

7. बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री की स्थिति

28 दिसंबर, 2016 को केंद्रीय कैबिनेट ने बीसीपीएल की बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक इसकी अधिशेष भूमि की बिक्री को मंजूरी दी। यह बिक्री सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए की जाएगी और बकाया देयताएं बिक्री की आय से चुकाई जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, बीसीपीएल ने पानीहटी फैक्ट्री में अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया और इसे एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किया। लेकिन अंतिम तिथि की तारीख को दो बार बढ़ाने के बाद भी किसी बोली लगाने वाले ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसी समय बंगाल केमिकल्स श्रमिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 20/06/2017 को कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर दी और इसकी सुनवाई 6 फरवरी, 2018 को हुई और कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त के सबंध में आदेश पारित किया और बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को रद्द कर दिया। इसके अलावा, उपरोक्त आदेश को चुनौती देने के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़नल बेंच के समक्ष अपील दायर की है, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

8. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-I में संलग्न है।

9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बीसीपीएल एक कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से व्यापार के संचालन में अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का मानना है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथा अपने सभी हितधारकों जैसेकि अंशधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, फाइनेंसरों, सरकार, कर्मचारियों और समुदाय के लिए दीर्घावधि तक धन के सृजन की ओर ले जाती है। बीसीपीएल लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के

दिशानिर्देशों का पालन करती है और प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करती है। वर्ष 2018-19 के लिए, आपकी कंपनी ने इसकी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए **"उत्कृष्ट"** रेटिंग प्राप्त की है। इसके अलावा, वर्ष 2017-18, 2016-17 तथा 2015-16 के लिए डीपीई ने बीसीपीएल को **"उत्कृष्ट"** कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग से पुरुष्कृत किया था। इसलिए, बीसीपीएल ने पिछले 4 वर्षों से लगातार "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग प्राप्त की है। अभ्यासरत कंपनी सचिव के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-II में संलग्न है।

10. सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता विभाग, सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी और एक अंशकालिक सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में है। सतर्कता विभाग, निवारक जांच के माध्यम जैसेकि (i) पारदर्शिता की त्रैमासिक सूचना (ii) निविदाओं और अनुबंधों के लिए वेबसाइट का उपयोग, से मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) की दिशा-निर्देशों/ प्रक्रियाओं के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग द्वारा पांच आकस्मिक निरीक्षण किए गए थे। तिमाही रिटर्न अर्थात वार्षिक कार्य और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और सीवीओ की मासिक रिपोर्ट निर्धारित समय में सीवीसी को भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त पूर्व-सतर्कता संबधी उपाय किए गए है जोकि निम्नलिखित हैं:-

- प्रतिस्पर्धा के लिए विक्रेता आधार का विस्तार
- बीसीपीएल की जमीन का सीमांकन और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण;
- लेखा परीक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण;
- सामग्री की गतिशीलता के निरिक्षण और कार्यालय/ फैक्टरी परिसर में सुरक्षा पर्यावरण में सुधार के लिए सीसीटीवी की स्थापना;
- विस्सल ब्लोअर पॉलिसी को स्वीकृति;

11. मानव संसाधन

31 मार्च, 2019 को आपकी कंपनी के पास 195 कर्मचारी थे, जिसमें से 42 कर्मचारी तकनीकी रूप से या व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। कंपनी के पास 27 महिला कर्मचारी हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसेकि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और समूह दुर्घटना बीमा, और मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी योजनायें कंपनी में उपलब्ध हैं।

11.1 प्रेसिडेन्सियल निर्देशों पर स्थिति

(क) आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण नीति पर दिशानिर्देश

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निर्देश, सीधी भर्ती में आरक्षण के लिए कुछ प्रतिशत निर्दिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थिओं जोकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक बिकलांग हैं, के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निर्देश सीधे भर्ती और निर्दिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों और छूट का भी प्रावधान करते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति निर्देश क्रमशः 15%, 7.5%/ 27%, तथा 10% हैं। चूंकि बीसीपीएल इसके राष्ट्रीयकरण 1981 के बाद से एक

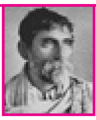

घाटे वाला पीएसयू था, इसलिये कर्मचारियों की भर्ती बिलकुल नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिकलांग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता।

(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग:

31 मार्च 2019 को कंपनी के रोल पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 23, 1 और 7 है, जो कुल संख्या का क्रमश: 11.80%, 0.51% एवं 3.59% हैं।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति:

31 मार्च 2019 को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 9 थी जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 4.61% है। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप हल्के काम में लगाया गया है।

11.2 श्रमशक्ति स्थिति

a) 31 मार्च 2019 को कुल कर्मचारी जिनमें एससी/ एसटी/ ओबीसी/ शारीरिक रूप से विकलांग/ अल्पसंख्यकों का विवरण शामिल है, को नीचे उल्लेखित किया गया है:

ग्रुप	स्थायी कर्मचारी		कुल कर्मचारी
	पुरुष	**महिला**	
क	7	0	7
ख	39	5	44
ग	92	11	103
घ	30	11	41
कुल	168	27	195
प्रतिशत	86.15%	13.84%	**100%**

b) 31/03/2019 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित-जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है:

ग्रुप	रोल पर कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	अलप्संख्यक	सामान्य
	सं.	सं.	सं.	सं.	सं	सं.	सं.
क	7	0	0	1	0	0	**6**
ख	44	4	0	2	0	1	**37**
ग	103	12	1	3	9	3	**75**
घ	41	7	0	1	0	0	**33**
कुल	195	23	1	7	9	4	**151**
प्रतिशत	100%	11.**80**%	0.51%	3.59%	4.61%	2.05%	**77.44%**

c) वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति:

ग्रुप	कुल कर्मचारी पदोन्नति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग
क	0	0	0	0	0
ख	2	0	0	0	0
ग	25	2	0	0	0
घ	2	1	0	0	0
कुल	29	3	0	0	0
प्रतिशत	100%	10.34%	0%	0%	0%

* क XIII से XIX स्तर तक दर्शाता है, ख X से XIII स्तर तक दर्शाता है, ग IV से IX स्तर तक दर्शाता है, घ I से III स्तर तक दर्शाता है।

11.3 कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण

कंपनी ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों की अंतर्निहित शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए भी पहल की है। कर्मचारियों को उनके तकनीकी, संचार, व्यक्तिगत कौशल को बढाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं में प्रायोजित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 67 मैनडेज प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, बीसीपीएल ने बीसीपीएल के निदेशक मंडल में नव-नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए निदेशकों की प्रशिक्षण नीति की भी शुरुआत की है। बीसीपीएल द्वारा कर्मचारियों को दिए गए आंतरिक व बाह्या प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है:

a) **आंतरिक प्रशिक्षण:** वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने इसके कार्यालय और कारखानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सभी आतंरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	दिनाक	स्थान	विषय	प्रशिक्षक का नाम	कुल मैनडेज
1	09-05-2018	कॉर्पोरेट ऑफिस, कोलकाता	टैली सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण	श्री विवेक सोनी, सलाहकार टैली सॉफ्टवेयर	18
2	06-08-2018		टैली सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण	मैसर्स इंटेलीजेंट कंप्यूटरस	10
3	07-08-2018				11
4	08-08-2018				11
5	02-11-2018				11
कुल					**61**

b) **बाहरी प्रशिक्षण-** वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम/ कोर्सेस हेतु कुछ अधिकारियों को विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कोर्सेस में नामित किया। विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

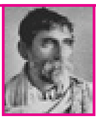

क्र.सं.	दिंनाक	स्थान	विषय	प्रशिक्षक का नाम	कुल मैनडेज
1	30-01-2019 & 31-01-2019	स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	एन्हान्सिंग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस	स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ़ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप), नई दिल्ली	2
2	06-03-2019	आईटीसी सोनार, कोलकाता	रिबिल्ट ईस्ट. इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट	कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री	2
3	27-03-2019	ईआरपीसी बिल्डिंग टलीगंज, कोलकाता	'इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अवेयरनेस' पर कार्यशाला	सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उर्जा मंत्रालय	2
कुल					**6**

12. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

बीसीपीएल अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी कारखानों, और सभी डिपो में राजभाषा/ हिंदी के कार्यान्वयन हेतु सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करती है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनिवार्यता पर जोर देती है।

कार्यालीन कार्यों में हिंदी नोटिंग्स, ड्राफ्टिंग आदेशों और परिपत्रों, मुद्रण सामग्री, लेबल्स, कार्टन, दवाइयों की पैकिंग आदि के ऊपर इंग्लिश के साथ हिंदी में प्रिंटिंग द्वारा कंपनी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने प्रयास किया है।

एक द्विभाषी वाक्य/ शब्द दैनिक रूप से कंपनी के सूचनापट्ट पर लिखा जाता है। कर्मचारी, जो सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए हिंदी अखबारें भी क्रय करती है। कंपनी की वेबसाइट का हिंदी संस्करण भी अपलोड किया गया है। बीसीपीएल प्रत्येक वर्ष इसकी हिंदी गृह पत्रिका “संजीवनी” भी प्रकाशित करती है। 14 सितम्बर 2018 से 28 सितम्बर 2018 तक आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस और सभी फैक्ट्रियों में हिंदी पखवाडा का आयोजन किया गया जिसमें बीसीपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता के अधीन बीसीपीएल के आठ बरिष्ठ अधिकारियों की एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनाई गई है। यह समिति नियमित रूप से मिलती है और दैनिक नियमित कार्यालीन कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव और सिफारिश करती है।वर्ष 2018-19 के दौरान, पत्राचार, नोटिंग्स एवं ड्राफ्टिंग से संबंधित भारत सरकार द्वारा 2018-19 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को बीसीपीएल द्वारा पूरा कर लिया गया था।

कंपनी ने हिंदी में अधिक आधिकारिक कार्यों के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षणों आदि की व्यवस्था करके पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, छह कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 में बीसीपीएल की “राजभाषा कार्यान्वयन समिति” की चार बैठकें आयोजित हुई।

प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन और बीसीपीएल में हिंदी की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए 04/10/2015 को बीसीपीएल का दौरा किया। इसके

अलावा, 29/10/2018 को "संसदीय राजभाषा समिति" द्वारा भी बीसीपीएल में राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण किया गया था।

13. प्रशासनिक व्ययों में मितव्ययता

सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2018-19 के दौरान बीसीपीएल में प्रशासनिक व्ययों में कमी करने के लिए प्रयास किये गए। गत वर्ष 2017-18 में 30.54% तथा 2016-17 में 35.89% की तुलना में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रशासनिक व्यय कुल आय के 26.34% थे।

बीसीपीएल ने लागत बचत के लिए कई निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

केंद्रीकृत क्रय प्रणाली, केंद्रीकृत लेखा प्रणाली, केंद्रीकृत उगाही प्रणाली, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, केंद्रीकृत बिल प्रोसेसिंग प्रणाली, केंद्रीकृत पेरोल प्रणाली, केंद्रीकृत स्टोर्स प्रणाली, केंद्रीकृत कोष प्रबंधन प्रणाली, केंद्रीकृत मानव संसाधन अभिलेख रख-रखाव प्रणाली, निष्क्रिय बैंक खातों को बंद करना, कॉर्पोरेट कार्यालय, फैक्ट्रियों और डिपो में सीसीटीवी की स्थापना, घोड़ों का निपटान जो वर्षों से अप्रयुक्त थे, मानिकतल्ला और पानिहटी में औद्योगिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन को वियोजित करके घरेलू इलेक्ट्रिक मीटर की स्थापना, अवांछित टेलीफोन कनेक्शनों का समर्पण/ वियोजित, बैंक खातों/ शेष का युक्तिकरण और बैंक ब्याज में कटौती, बिक्री/ वितरण नियमावली का कार्यान्वयन, डीपीई दिशानिर्देशों और जीएफआर नियमों का अनुपालन, कंपनी के बैंकरों के साथ अनुरोध और बातचीत के बाद बैंक ब्याज दरें कम की, अर्धवार्षिक स्टॉक सत्यापन प्रणाली की शुरुआत इत्यादि।

14. औद्योगिक संबंध

वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी के सभी फक्ट्रियों, डिपो और व्यवसायिक क्षेत्र/ कार्यालयों में औद्योगिक संबंध सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण रहे और वर्ष के दौरान कोई मैनडेज का नुकसान नहीं हुआ। वर्ष के दौरान सहभागिता संस्कृति और संचार पर जोर दिया गया।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं का सुरक्षण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए और रोकथाम के लिए और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का हल निकलने के लिए एक कानून "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" महिला एवं वाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों की अधिसूचना के साथ 9 दिसम्बर 2013 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों का सख्ती के साथ अनुपालन किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013'' उपलब्ध है।

16. निदेशक मंडल

क) वर्तमान में बीसीपीएल बोर्ड में निम्न शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	से प्रभावी
1.	श्री पीएम चंद्रय्या* प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त)	25 नवंबर 2014
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी अंशकालिक (शासकीय) निदेशक [सरकार नामित निदेशक]	6 जुलाई, 2016
3.	श्री एस. के. रॉय चौधरी गैर-शासकीय निदेशक [स्वतंत्र निदेशक]	9 अगस्त 2016

*औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री पीएम चंद्रय्या, निदेशक (वित्त) को 01 जून 2016 से प्रभावी तीन महीने की शुरुआती अवधि के लिए बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जो समय-समय पर 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था।

ख) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो कोई नया निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया था और न ही किसी निदेशक/ केएमपी ने इस्तीफा दिया था। निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारी से संबंधित नीति का उल्लेख इस रिपोर्ट के साथ स्लन्गित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

17. निदेशक मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान पांच निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन किया गया। निदेशक मंडल बैठकों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के साथ सल्न्गित कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

18. लेखापरीक्षा समिति का विवरण

निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति का विवरण इस रिपोर्ट के साथ सल्न्गित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नही है कि निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नही किया हो।

19. धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षक द्वारा धोखेबाजी मामले में दी गयी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी में न धोखेबाजी की कोई घटना घटी, और न ही सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा लागत लेखा परीक्षक ने कोई धोखेबाजी रिपोर्ट की है।

20. लेखा परीक्षक की अहर्ताओं पर बोर्ड की व्याख्या और टिप्पणियों संबधित विवरण

बीसीपीएल के प्रबंधन द्वारा दिये गए उत्तर और व्याख्या अलग से वर्ष 2018-19 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ स्लन्गित हैं।

21. तुलनपत्र की तारीख के बाद घटी धटनाएँ

तुलनपत्र की तारीख 31 मार्च 2019 के बाद ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, जो बीसीपीएल की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

22. सुरक्षा एवं बचाव

बीसीपीएल में हम सोचते हैं, कि मानव जीवन मूल्यरहित है जिसके खोने पर ना ही उसे पैसे से पूरा किया जा सकता है और ना ही इसकी निष्ठा और अनुभव का कोई विकल्प हो सकता है। यह हमें कर्मचारियों के साथ-साथ हमारे हितधारकों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित रखने की पेरणा देता है। बीसीपीएल की विनिर्माण इकाईओं में मजबूत स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ष के दौरान संस्थान में किसी भी प्रकार की गंभीर विपत्ति या दुर्घटना नहीं हुई। आपकी फैक्ट्रियों/ यूनिटों में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं बचाव का माहौल पैदा करने व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(a) संयंत्र और फैक्ट्री परिसर में उच्च स्तर की उपस्कर सज्जा बनाई रखी जाती है।

(b) अग्निशमक यंत्रों (मैकेनिकल फोम, ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन-डाईऑक्साइड) को फिर से भर दिया गया है।

(c) उत्पादन और रखरखाव से संबंधित नौकरी में काम करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) दिए गए हैं।

(d) फैक्ट्री परिसर में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे ठेकेदारों को भी पीपीई का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

(e) सभी कम्प्रेसर, आटोक्लेव और प्रेशर वाहिकाओं और लिफ्ट और स्टेकर के निरीक्षण के लिए अल्ट्रासोनिक शैल थिकनेस टेस्ट फैक्टरी नियमों की अनुसूची के अनुसार किया जाता है।

(f) आम उत्थान उपचार संयंत्र (सीईटीपी) उपयोग में है और ट्रीटेड पानी हमारे क्यूसी प्रयोगशाला में नियमित अंतराल में परीक्षित किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी अपनी प्रयोगशाला में हमारे संयंत्र से ट्रीटेड पानी का नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है।

(g) अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए एक वैट का निर्माण किया जा रहा है। अधिकृत एजेंसी इसके निपटान के लिए इसे इसी क्षेत्र से उठाएगी।

(h) मानिकतला फैक्ट्री के नए बीटालेक्टम संयंत्र में धुआँ डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाये गए हैं।

(i) बीसीपीएल के सभी कार्यालयों, फैक्ट्रियों और डिपो में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं।

(j) बीसीपीएल की सभी इकाइयों के आसपास के अतिक्रमियों को रोकने के लिए गेट कंट्रोल सिस्टम भी शुरू किया गया है।

23. निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के तहत आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते है कि:

i) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का महत्वपूर्ण विचलनों के उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है;

ii) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और

अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखों का समुचित रिकॉर्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

iv) निदेशकों ने "गोइंग कंसर्न" आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है;

v) निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन को सुनिचित करने के लिए समुचित प्रणालियाँ तैयार की है और ये सभी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं;

24. लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स के. बनर्जी एंड क०, लागत लेखाकार को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर केन्द्र सरकार को जमा कर दी जाएगी। वर्ष 2017-18 की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट वैधानिक समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी गई थी।

25. लेखापरीक्षक

वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स एम चौधरी एंड क०, कोलकाता, (सीए0063)	कॉर्पोरेट कार्यालय, मानिकतल्ला, पानीहटीं, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, कटक, कानपुर, मुंबई की लेखापरीक्षा, तथा समस्त भारत समेकन

26. प्रकटीकरण के विवरण

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा के संरक्षण की जानकारी, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी विस्तृत रूप से निम्नानुसार है:

26.1 ऊर्जा दक्षता एवं इसका संरक्षण

मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए और भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा संकटों का मुकाबला करने के लिए ऊर्जा संरक्षण हर क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बीसीपीएल निम्न तरीकों से इस संबंध में योगदान दे रही है-

a) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय: ऊर्जा की बढ़ती लागत को देखते हुए, कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है और एक ऊर्जा कुशल इकाई होना कंपनी की प्रतिबद्धता है। प्रति उत्पादन की इकाई विशिष्ट ऊर्जा खपत सभी विनिर्माण संयंत्रों में नियमित रूप से नजर रखी जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यकतानुसार की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम और उनके प्रभाव:

- वर्तमान लोड मांग पर विचार करने वाले तीन 1750 केवीए ट्रांसफार्मर में से किसी भी दो को बंद रखते हैं।
- पानिहटी फैक्ट्री में, फैक्ट्री परिसर के बाहर आवासीय क्वार्टर के लिए, 250KW टाइप एग्रीमेंटल लोड को 195KW हाई टेंशन रेट-A और 55KW हाई वोल्टेज डोमेस्टिक रेट-R में परिवर्तित कर दिया गया है।
- इंडस्ट्रियल टाइप एग्रीमेंटल लोड रेट-A, 195KW को 150KW तक कम कर दिया था।
- बीसीपीएल की पानिहटी फैक्ट्री सं. 2 में, हाई टेंशन एग्रिमेंटल लोड 50KW को 25KW तक कम कर दिया था।
- बीसीपीएल की पानिहटी फैक्ट्री सं. 2 में, हाई टेंशन एग्रिमेंटल लोड 25KW को हटा दिया गया क्योंकि यह प्रयोग में नहीं था।
- कुछ बैरियर की LT लाइनों को भी हटा दिया गया है क्योंकि ये भी प्रयोग में नहीं थी।
- उच्च क्षमता मेटल लाइट को LED, PL, CFL लैंप में परिवर्तित कर दिया गया है।
- विद्युत फैक्टर बढ़ाने के लिए और बिजली बिल में अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए ऑटो मोड में एपीएफसी पैनल को हर समय में सक्षम बनाए रखना।
- कार्यालय में ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के लिए सभी प्रकार की सावधानी जैसेकि जब भी कर्मचारी अपने कक्ष में नहीं होते हैं तब रोशनी/ पंखे/ एयर-कंडीशनर बंद करना, बरती जाती है।
- कुछ पुराने विंडो एयर कंडीशनर नए स्प्लिट एयर कंडीशनर से बदले गए है जिन्होंने ऊर्जा की खपत को कम किया है।
- मानिकतल्ला और पानिहटी फैक्ट्री के आवासीय क्वार्टरों में औद्योगिक विद्युत मीटर की जगह घरेलू विद्युत मीटर की स्थापना की गई है।

26.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल के लिए उठाए गए कदम:

- सामान्य प्रकाश बल्ब और ट्यूब लाइट एलईडी के साथ प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- कंपनी सौर छत प्रणाली के लिए योजना बना रही है।

26.3 तकनीकी समावेश

क. अनुसंधान एवं विकास:

दिसम्बर 2018 में इंज. पिपेर्सिल्लिन प्लस (4.5g) का फार्मूलेशन विकसित और सप्लाई किया गया।

प्रभाग-III के उत्पादों में, बीसीपीएल ने इसकी पानिहटी फैक्ट्री से वाइट टाइगर- लेमन वैरिएंट की शुरुआत की।

ख. तकनीकी समावेश

- तकनीकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास: न्यू बेटालैक्टम ब्लॉक में ड्राईपाउडर इंजेक्शन के लिए लगाए गए उपकरण, और एअर हैंडलिंग यूनिट्स (एएचयू) उनकी परिचालन योग्यता (ओक्यू) द्वारा योग्य हैं।
- उत्पाद विकास, लागत में कमी, उत्पाद सुधार आयात प्रतिस्थापन से हुए लाभ**:** कारखाने में नए उपकरणों की स्थापना के परिणामस्वरूप परिसर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया है और लागत भी कम हो गई है।
- आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)**:** कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया है।

27. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं किया।

28. गुणवत्ता प्रबंधन: आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित एवं जीएमपी प्रमाणित

प्रथम भारतीय औषध कंपनी होने के नाते, बीसीपीएल अपनी प्रतिबद्धता, नवनीकरण और सभी कर्मचारियों की टीम-वर्क की बदौलत उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अग्रणी पदर्शन में लगातार सुधार ला रही है। आपकी कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित एक आईएसओ 9001:2015 संस्थान है, जो 24/07/2018 से 01/07/2020 तक वैध है। बीआईएस द्वारा नवीकरण लेखापरीक्षा 19/07/2018 से 20/07/2018 को आयोजित की गई थी तथा वे आईएसओ 9001:2015 के वर्तमान संस्करण की आवश्यकतानुसार हमारे गुणवत्ता प्रणाली के प्रदर्शन से संतुष्ट थे और उन्होंने बीसीपीएल के प्रमाणपत्र के निरंतरता और उन्नयन के लिए भी सिफारिश की।

दवा नियमों के अनुसार, औषध नियंत्रक के निदेशालय, लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने मानिकतल्ला फैक्ट्री को जीएमपी प्रमाण पत्र जारी किया, जो 21/10/2019 तक मान्य है।

गुणवत्ता आश्वासन हेतु बीसीपीएल गुणवत्ता स्थायित्व टेस्ट करती है और यह टेस्ट मासिक आधार पर उत्पाद की शेल्फ लाइफ के अंत तक किया जाता है। संकलित टेस्ट रिपोर्ट निदेशक मंडल के सामने इसकी समीक्षा और सुझाव के लिए पेश की जाती है।

29. परियोजना कार्यान्वयन

भारत सरकार ने पानिहाटी में रासायनिक संयंत्र के आधुनिकरण के लिए 14500 लाख रूपये के कैपेक्स के अलावा मानिकतल्ला एवं कानपुर फैक्टरी में उन्नयन और जीएमपी अनुपालित उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के

लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तदनुसार बीसीपीएल ने मानिकतल्ला फैक्ट्री में ऑइंटमेंट और बेटालक्टम ब्लॉक परियोजना तथा सेफालोस्पोरिन शुरु कर दिया है।

एसएफसी मीटिंग के बाद, परियोजना परामर्शदाता मैसर्स एनएनइ फार्माप्लान के साथ प्रोजेक्ट कार्य शुरु करने तथा मानिकतल्ला में इंस्टालेशन और कमीशनिंग ब्लॉक के लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की गयी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बीसीपीएल बेटालाक्टम ब्लॉक में बेटालाक्टम टैबलेट और कैपसुल तथा सेफालोस्पोरिन इंजेक्शन (ड्राई पाउडर) विनिर्माण करेगी जो शिड्यूल एम गाइडलाइन के मुताबिक स्वीकार्य है। मुख्य कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	स्थान	परियोजना	कार्यान्वयन की स्थिति
1	मानिकतल्ला	न्यू ऑइंटमेंट ब्लाक	प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है तथा बीसीपीएल ने ऑइंटमेंट का उत्पादन शुरु कर दिया है।
2	मानिकतल्ला	ओरल लिक्विड सेक्शन	प्रारंभिक चरण में मुकद्दमेबाजी के कारण परियोजना रोक दी गयी थी। परन्तु, बाद में फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट बंद हो गया।
3	मानिकतल्ला बेटालक्टम ब्लॉक	ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल फिलिंग लाइन का वेलिडेशन 30/01/2017 को पूरा हो गया था।	
I.	ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल	मीडिया फिलिंग दिनांक 30/01/2017 को पूरा हुआ और शिड्यूल एम जीएमपी नॉर्म्स के अनुसार अनुपालित पाया गया। ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर ने 08/3/2017 को दौरा किया। वे इसकी सुविधाओं एवं प्रदर्शन से पूर्णतः संतुष्ट थे और दिनांक 20/03/2017 को बीसीपीएल को बेटालक्टम इंजेक्शन उत्पादन अनुमति पत्र दे दिया।	प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और वैधता भी पूरी हो गयी है। बीसीपीएल को वर्ष 2016-17 के दौरान ड्रग लाइसेंस मिला।
II.	ओएसडी	ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, पश्चिम बंगाल ने बीसीपीएल के बेटालक्टम ब्लॉक का दिनांक 16/05/2016 को दौरा किया। इससे पहले बीसीपीएल के पास बेटालक्टम टेबलेट बनाने के लिए श्रेणी बेचान और उत्पाद बेचान नहीं था। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, पश्चिम बंगाल ने बीसीपीएल को नए बेटालक्टम ब्लॉक में बेटालक्टम (सम्मलित सेफालोस्प्रिन) टेबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए 27/05/2016 को श्रेणी बेचान और उत्पाद बेचान दे दिया।	प्रोजेक्ट सम्पूर्ण हो चुका है और बीसीपीएल ने टेबलेट, कैप्सूल का उत्पादन शुरू कर दिया है।

क्र. सं.	स्थान	परियोजना	कार्यान्वयन की स्थिति
4	मानिकतल्ला नॉन बेटालक्टम (सेफालोस्प्रिन) ब्लॉक	वर्तमान बाजार परिदृश्य तथा शिड्यूल-एम की आवश्यकता पर आधारित बीसीपीएल परियोजना कार्यान्वयन बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बीसीपीएल नॉन बेटालक्टम टैबलेट और कैपसूल के विनिर्माण हेतु इस ब्लॉक का प्रयोग करेगा। लेआउट में आवश्यक संशोधन करके ड्रग कंट्रोल ने लेआउट को अनुमोदित कर दिया।	एचवीएसी कार्य चल रहा है। कमीशनींग तथा वेलिडेशन का कार्य प्रगति पर है।
5	मानिकतल्ला	एंटी स्नेक वेनम सीरम (एएसवीएस) विनिर्माण सुविधाओं, पशु हाउस के उन्नयन आदि की स्थापना	पूंजी में कमी होने के कारण तथा प्रशासनिक मंत्रालय की अनुमति न मिलने पर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है।
6	कानपुर	टेबलेट्स, ओआरएस, और स्टेराइल उत्पादों के विनिर्माण की सुविधा। क्यूसी ब्लॉक, क्वारंटाइन ब्लॉक, स्टोर। प्रशासनिक कार्यालय। ईटीपी, साइट के विकास, पावर हाउस, सेवा आदि।	परियोजना आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है। फंड में कमी होने की कारण तथा परियोजना गैर-व्यवहार्यता के कारण माड्यूलर कार्य, एचवीएसी अभी तक लंबित है।
7	पानिहटी	फिनोल की विनिर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करना। व्हाइट क्लीनिंग लीक्विड (व्हाइट टाइगर), टॉयलेट क्लीनर (क्लीन टायलेट), नेफ़थलीन बॉल्स आदि के निर्माण के लिए समग्र ब्लॉक की स्थापना। आलम प्लांट की क्षमता के विस्तार के लिए उन्नयन और आधुनिकीकरण। सड़क, अपवाहिकाएं, साइट के विकास, ईटीपी, बिजलीघर, प्रशासनिक भवन एवं अन्य सेवाएं।	परियागजनाएं पूरा हो चुकी हैं।

30. कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों के लिए वैधानिक सूचना नियम के संबंध में

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 05 जून 2015 की अधिसूचना के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

31. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मदारी (सीएसआर) और स्थिरता विकास

बीसीपीएल ने सीएसआर एवं स्थिरता विकास नीति को अपनाया है, जिसे बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं स्थिरता विकास समिति, तथा निदेशक मंडल ने इनकी बैठकों में विधिवत रूप से अनुमोदित किया था। 31 मार्च 2019 को

बीसीपीएल के पास 22,173 लाख रूपए की संचित हानि थी, जिसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार बीसीपीएल कोई सीएसआर गतिविधि आयोजित करने के लिए सक्षम नहीं है।

32. ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत पहल

आपकी कंपनी पहले ही अपने "गृह उत्पाद प्रभाग" के अंतर्गत विभिन्न कीटाणुनाशक और साफ-सफाई उत्पादों जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फिनोल, नैप्थालीन बाल्स, क्लीन टायलेट आदि का उत्पादन करती है और इन उत्पादों की विभिन्न अस्पतालों और सरकारी संगठनों में आपूर्ति कर रही है और **"स्वच्छ भारत अभियान"** में अपना योगदान दे रही है। आपकी कंपनी के प्रभाग III के उत्पादों की औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भी स्वच्छ भारत अभियान हेतु सिफारिश की है। इसके अलावा, बीसीपीएल ने दिनांक 01/09/2018 से 15/09/2018 तक **"स्वच्छ भारत पखवाड़ा"** भी मनाया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और फैक्ट्री/ कार्यालय परिसर और संलग्न रोड/ क्षेत्र की सफाई की। स्वच्छ भारत पखवाडा की कुछ गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है-

a) कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई और कार्यालय परिसर की सफाई की गई।

b) पार्किंग स्थल, रास्ते आदि सहित कार्यालयों/ फैक्टरी परिसर के बाहर सफाई।

c) कार्यालय/ कारखाने के परिसर की स्वच्छता सुविधाओं की सफाई और मरम्मत और परिसर में चारों ओर पड़ी हुई अप्रयुक्त सामग्री का निपटान।

d) मानिकतल्ला और कमरहाटी में ई.एस.आई. अस्पतालों के सफाई और कचरे का निपटान।

e) सार्वजनिक स्थानों पर 'क्या करें और क्या न करें' पर पर्चे के वितरण के द्वारा प्रकाश डाला गया।

f) श्रमिक कॉलोनियों सहित आसपास के क्षेत्रों की सफाई।

g) स्वच्छ भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

h) पुरानी और अप्रयुक्त फ़ाइलों, कागजात, बेकार फर्नीचर, कंप्यूटर, बिजली के उपकरणों का निपटान।

33. वार्षिक विवरण का सार

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ फार्म एमजीटी-9 (वार्षिक रिटर्न के उद्धरण) संलग्न की आवश्यकता को हटा दिया गया है। फॉर्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) बीसीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in पर अपलोड किया गया है।

34. कानून का अनुपालन

आपकी कंपनी सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती है। सभी विभागाध्यक्षों से उनके क्षेत्र से संबधित सभी कानूनों के अनुपालन का एक प्रमाण पत्र तिमाही आधार पर लिया जाता है और कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट तिमाही आधार पर बोर्ड की बैठक में इसकी समीक्षा एवं सुझाव के लिए प्रस्तुत की जाती है।

35. सरकार के दिशानिर्देशों, नीतियों तथा सचिवीय मानकों का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग और औषध विभाग और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश और नीतियों का सचिवीय मानकों सहित अनुपालन किया गया है।

36. ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किसी भी तरह का ऋण/ किसी भी तरह की गारंटी एवं सुरक्षा/ कोई निवेश नहीं किया है।

37. ऋण अदायगी

भारत सरकार का ऋण: भारत सरकार ने अधिकतर 2005 से 2011 के दौरान 10642 लाख रुपये का योजना ऋण और 2310 लाख रुपये का गैर-योजना ऋण दिया है। 31/03/2019 को योजना ऋण में 97 करोड़ रूपए शेष तथा गैर-योजना ऋण में 18.10 करोड़ रूपए शेष था और बाकि राशि का पिछले तीन वर्षों में पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

38. निदेशक 'नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कार्यकारी निदेशकों सहित सभी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रबंध निदेशक को 1997 के वेतनमान के 22,500-600-27,300 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है, और निदेशक (वित्त) को 1997 के वेतनमान के 20,500-500-25,000 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है। उनके नियमों और शर्तों को भी प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक का घोषणापत्र

श्री एस.के. रॉय चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

40. जमा

कंपनी ने किसी भी तरह का डिपोजिट नहीं लिया है, जोकि कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 5 के अंतर्गत आता हो और जो इसके अनुपालन में नहीं है।

41. संबंधित पार्टी के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने संबंधित पार्टी के साथ किसी भी तरह का अनुबंध या व्यवस्था नहीं किया है।

42. सूक्षम, लघु और मध्यम उपक्रम

लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा एम एस एम ई के लिए अधिसूचित सार्वजनिक क्रय नीति के तहत, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 5573 लाख रूपए की खरीद (प्रोप्राइट्री आइटम, ब्रांडेड/ लोन लाइसेंसिंग आइटम को छोड़कर) में से लघु एवं मध्यम उपक्रम से 1577 लाख रूपए का माल क्रय किया, जो 28.30% है। एम एस एम ई से क्रय का विवरण निम्नानुसार है:

2018-19 में क्रय का विवरण	मूल्य रूपए लाख में	प्रतिशत
कुल क्रय	5573	100%
एम एस एम ई से क्रय (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं सहित)	1577	28.30%
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले एम एस एम ई से क्रय	4.70	0.30%
महिला स्वामित्व वाले एम एस एम ई से क्रय	162	10.27%

43. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। आपकी कंपनी ने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की गई है जिसकी तिमाही बैठक होती है और यह अपनी संकलित रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करती है।

44. प्रचार एवं जनसंपर्क

आपकी कंपनी को निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से विशाल सार्वजनिक दृश्यता और ब्रांड को बढ़ावा देने में फायदा हुआ है:

विधि	विवरण
प्रिंट मीडिया	पत्रिकाओं, और प्रमुख समाचार पत्रों में प्रदर्शन
प्रदर्शनी	स्थानीय प्रदर्शनी: पानीहाटी उत्सव

45. अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

45.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

45.2 नियामक अथवा अदालत अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है। हालांकि, बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री की स्थिति का इस रिपोर्ट में अलग से उल्लेख किया गया है।

45.3 एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीसीपीएल को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन और बोर्ड की रिपोर्ट में मूल्यांकन तंत्र के संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

45.4 वर्ष के दौरान बीसीपीएल के पटना और जयपुर डिपो से संचालन बंद कर दिया गया।

45.5 तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरणों/ रिपोर्टों का कोई संशोधन नहीं हुआ।

45.6 वर्ष के दौरान, कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

45.7 न्यायिक निकायों/ विनियमों के महत्वपूर्ण आदेश:

क. बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय: बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की स्थिति इस रिपोर्ट के कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है।

ख. न्यायालय/ एनसीएलटी में निपटाए गए/ लंबित मामले: न्यायालय/ एनसीएलटी में निपटाए गए/ लंबित कुछ मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) बायोजेनेटिक्स ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड- निपटाया गया

(ii) सविता आयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड- निपटाया गया

(iii) गांधार आयल रिफाइनरी (इंडिया) लिमिटेड- निपटाया गया

(iv)यूईएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- लंबित

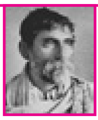

A. फार्मा सीपीएसई के उत्पादों के लिए औषध खरीद नीति (पीपीपी): फार्मा सीपीएसई द्वारा निर्मित दवाओं के संबंध में औषध खरीद नीति (पीपीपी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यालय ज्ञापन सं. "50(9)/2010-Pt-IV" दिनांकित 10/12/2013 के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी थी (जो 09/12/2018 तक वैध थी)। पीपीपी का आगे नवीनीकरण भारत सरकार के औषध विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है, और इसलिए, 2019-20 के लिए बीसीपीएल का संचालन तदनुसार प्रभावित हो सकता है।

46. अभिस्वीकृति

वर्ष 2018-19 के दौरान, निदेशक सभी अंशधारकों द्वारा दिये गए वहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक तहे-दिल से भारत सरकार विशेष रूप से औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, और विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों और सांविधिक प्राधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और अभ्यासरत पेशेवरों का उनके सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। निदेशक मंडल सभी बैंकर्स, हितधारकों, ग्राहकों, सलाहकारों, ठेकेदारों और विक्रेताओं को भी उनके निरंतर सहायता और कंपनी पर विस्वास बनाये रखने के लिए लिए धन्यवाद देते है। आपके निदेशक सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनियन को भी कंपनी की तरक्की में वहुमुल्य योगदान और सहायता देने के लिए तथा इसे पिछले तीन सालों से निरंतर लाभ कमाने वाली कंपनी बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

वार्षिक खेल दिवस समारोह

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आपके निदेशक सभी शेयरधारकों को बताना चाहते हैं कि कंपनी के पास कोलकाता (मानिकतल्ला एवं पानीहाटी), मुम्बई और कानपुर में ड्रग्स और फार्मूलेशन, औद्योगिक रसायन और प्रसाधन एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के उत्पादन के लिए इसकी अपनी विनिर्माण सुविधाएँ हैं। कंपनी के उत्पाद तीन प्रभागों में वर्गीकृत किए गए हैं जैसे प्रभाग I-औद्योगिक रसायन, प्रभाग II-ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, तथा प्रभाग-III: गृह उत्पाद। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण नीचे दिए गए हैं:

वैश्विक औषधि उद्योग

औषधि उद्योग, दवाओं के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए जिम्मेदार है। उद्योग ने रोगी कल्याण सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्विक औषधि क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारतीय औषधि क्षेत्र उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50 प्रतिशत, अमेरिका में सामान्य मांग का 40 प्रतिशत और यूके में सभी दवाओं के 25 प्रतिशत की आपूर्ति करता है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा पूल भी है, जिनके पास उद्योग को और भी आगे उच्च स्तर तक पहुंचाने की क्षमता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर एड्स (एक्वायर्ड इम्युनो डिफीसिअन्सी सिंड्रोम) का मुकाबला करने के लिए 80 फीसदी एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं का उपयोग किया जाता है जिसकी आपूर्ति भारतीय औषध फर्मों द्वारा की जाती है।

वैश्विक जेनेरिक बाजार में 2022 तक 104 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने के लिए 2017-22 की अवधि के लिए 5% सीएजीआर बढ़ने का अनुमान है। दुनिया भर में सरकारें बढ़ती स्वास्थ्य लागतों के दबाव का सामना कर रही हैं, इस प्रकार आवश्यकता के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादों को सस्ता बनाने में जेनरिक के महत्व और उनकी भूमिका पर जोर दिया जा रहा है।

बाजार का आकार

बाजार के विकास में अधिक से अधिक दवा लागत नियंत्रण, उपयोग और सामर्थ्य में सुधार के साथ समवर्ती होने की संभावना है। 55 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँचाने के लिए, देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग का विस्तार 2015-20 में 22.4 प्रतिशत के सीएजीआर से बढने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का दवा निर्यात 20 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा। फार्मास्यूटिकल निर्यात में बल्क ड्रग्स, इंटरमीडिएट, ड्रग फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल, आयुष और हर्बल उत्पाद और सर्जिकल आदि शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से 304 एब्रिविएटिड न्यू ड्रग एप्लिकेशन (एएनडीए) अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। देश, यूएस जेनेरिक मार्केट में लगभग 30 फीसदी (मात्रा के हिसाब से) और करीब 10 फीसदी (मूल्य के हिसाब से) 70-80 बिलियन यूएस डॉलर है। भारत के बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में बायो-फार्मास्यूटिकल्स, बायो-सर्विसेज, बायो-कृषि, बायो-उद्योग और बायोइन्फार्मेटिक्स शामिल हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 30 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़ने और 2025 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

निवेश और नवविकास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ शर्तों के अधीन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर ने अप्रैल 2000 और सितंबर 2018 के बीच 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी एफडीआई आकर्षित किया है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हाल के कुछ विकास/ निवेश इस प्रकार हैं:

- भारतीय फार्मा उद्योग पिछले पांच वर्षों से 15% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में वृद्धि कर रहा है और इसके विकास के महत्वपूर्ण अवसर हैं।
- जुलाई-सितंबर 2018 के बीच, भारतीय फार्मा सेक्टर ने 217 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 39 पीई निवेश सौदे किए।
- भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास में निवेश (बिक्री का%) वित्तीय वर्ष 2012 में 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 8.5 प्रतिशत हो गया।
- 2017 में, भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ने 46 विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) के सौदे किए, जिसकी कीमत 1.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- अमेरिका में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 2017-2019 के दौरान 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांडेड दवाएं ऑफ-पेटेंट हो जाएंगी।
- भारतीय दवा कंपनियों विनियमित और अर्द्ध-विनियमित बाजारों में निर्यात के अवसर पर पूंजीकरण कर रहे हैं।

भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल उत्पादों को अधिक किफायती बनाने और जेनरिक के प्रचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जनसंख्या के निम्न-आय वर्ग के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। भारत सरकार दवाईयों की खोज को बढ़ावा देने और दवाइयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 640 मिलियन यूएस डॉलर की उद्यम पूंजी निधि की स्थापना करने की योजना बना रही है। सरकार के औषध विभाग द्वारा 'फार्मा विजन 2020' का लक्ष्य है कि शुरू से अंत तक दवा की खोज के लिए भारत को एक प्रमुख केंद्र बनाना है।

औषध क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:

औषधि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेश के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) स्वतः मार्ग के माध्यम से और ब्राउनफील्ड निवेश के लिए 74% तक स्वत: मार्ग के माध्यम से और 74% से परे सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से अनुमन्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24/05/2017 को आयोजित अपनी बैठक में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के उन्मूलन को मंजूरी दी है। प्रशासनिक मंत्रालय/ विभागों को एफडीआई के लिए वांछित सरकारी अनुमोदन के लिए आवेदन प्रक्रिया करनी है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर, औषधि क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों को औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नियंत्रित किया जा रहा है।

फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास

भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक

उद्योग के फार्मास्यूटिकल अनुभाग ने बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी आधार और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के मामले में अतिबृहत प्रगति दिखाई है। निम्नलिखित भारतीय औषधि बाजार के विकास कारक हैं:

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर ने अप्रैल 2000 से कुल अन्तर्वाह में 4% से अधिक संचयी एफडीआई प्रवाह को आकर्षित किया है।
- भारत में आयुर्वेद क्षेत्र 2025 तक 16 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।
- कई देश भारत में विविध नए उत्पादों के विस्तार और प्रक्षेपण की तलाश में हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नई दवाओं को विकसित करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियों के साथ सहयोग कर रही हैं।
- भारत अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक विनियमित बाजारों सहित 200 से अधिक देशों को दवाईयां/ औषधियों का निर्यात करता है।
- बड़ी घरेलू फार्मास्यूटिकल कंपनियां विकसित हो रही हैं, जो भारतीय बाज़ार में चिकित्सा और कई क्षेत्रों में नेतृत्व के साथ-साथ एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय निर्यात कर रही है।
- भारतीय उद्योगकर्ताओं ने बायोलॉजिक्स क्षमताओं में भी महत्वपूर्ण विशेषज्ञता विकसित की है।
- सरकार भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में आधुनिक दवाओं के प्रवेश को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।
- बड़े स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता।
- उच्च डिस्पोजेबल आय
- अच्छा आर्थिक विकास
- अस्पताल बीमा का बढ़ता निवेश
- स्वास्थ्य देखभाल समाधान में सुधार
- उद्योग विभिन्न डोसेज फॉर्म के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट "अच्छा विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी)" अनुरूप सुविधाएं विकसित की है।
- कम अनुसंधान एवं विकास लागत सहित उत्पादन की कम लागत
- अभिनव और वैज्ञानिक जनशक्ति
- उत्कृष्ट और विश्व स्तरीय राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं प्रक्रिया विकास और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के विकास में विशेषज्ञता रखती हैं।
- फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में व्यापार का बढ़ता संतुलन।
- जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी स्रोत

सरकार की पहल

विकास की संभावना को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने जुलाई 2008 में एक अलग विभाग (अर्थात औषध विभाग) बनाकर भारतीय फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के विकास के लिए पहल की है। विभाग को फार्मास्यूटिकल उद्योग की नीति, योजना, विकास और विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार ने 'फार्मा विजन 2020' का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य भारत को दवा उत्पादन में शुरू से अंत एक वैश्विक अग्रणी बनाना है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाओं के लिए अनुमोदन का समय कम कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने दवाओं की कीमत और उपलब्धता की समस्या से निपटने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जैसे तंत्र बनाए हैं।

भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्न प्रकार हैं:

- भारत सरकार ने देश में प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आठ मिनी दवा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं, जिनसे दवा नियामक प्रणाली और बुनियादी सुविधाओं में सुधार और आयातित और निर्यातित दवाओं के मानकों की निगरानी तथा गुणवत्ता मूल्यांकन में लगने वाले समग्र समय को कम करने की उम्मीद है। ये प्रयोगशालाएं मुख्य रूप से बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के हवाई अड्डे पर निर्यात के लिए 40 सेकंड से भी कम समय में नकली, नॉट-ऑफ-स्टैंडर्ड (एनएसक्यू) गुणवत्ता वाली दवाओं और नकली दवाओं के विश्लेषण और पता लगाने की क्षमता बढ़ाएगी।

- भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल उत्पादों को अधिक किफायती बनाने और जेनेरिक के प्रचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आबादी के निम्न-आय वर्ग के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो देश में माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये (7,723.2 अमेरिकी डॉलर) का आवरण प्रदान करके 100 मिलियन गरीब परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी।

- भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सहमति, अनुमोदन और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक 'एकल खिड़की' सुविधा शुरू करने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बल देना है।

- भारत सरकार आसान उपलब्धता के कारण किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए, एक नई नीति के तहत ऑनलाइन फार्मेसियों को विनियमित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने की योजना बना रही है।

- भारत सरकार ने 'फार्मा विजन 2020' का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य भारत को दवा उत्पादन में शुरू से अंत एक वैश्विक अग्रणी बनाना है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाओं के लिए अनुमोदन का समय कम कर दिया गया है।

- सरकार ने दवाओं की कीमत और उपलब्धता की समस्या से निपटने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जैसे तंत्र बनाए हैं।

- भारत सरकार दवाईयों की खोज को बढ़ावा देने और दवाइयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 640 मिलियन यूएस डॉलर की उद्यम पूंजी निधि की स्थापना करने की योजना बना रही है। सरकार के औषध विभाग द्वारा 'फार्मा विजन 2020' का लक्ष्य है कि शुरू से अंत तक दवा की खोज के लिए भारत को एक प्रमुख केंद्र बनाना है।

- सरकार की योजना बायोसिमिलर विकसित करने के लिए घरेलू उद्योगकर्ताओं के लिए 70 मिलियन यूएस डॉलर आवंटित करने की है।

- भारत सरकार कच्चे माल के आयात पर उद्योग की निर्भरता को कम करने के लिए मेगा बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है।

- भारत सरकार ने इस क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए होम्योपैथी के राष्ट्रीय आयोग, विधेयक, 2018 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
- भारत में बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए 'इंडस्ट्री-एकेडेमिया मिशन' की शुरुआत की है।
- बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल (बीआईआरएसी) भारत के बायोटेक उद्योग में अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह कौंसिल प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए बायोटेक कंपनियों के लिए धन उपलब्ध कराएगा।
- औषध विभाग ने एक अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति की स्थापना की है, जो समय-समय पर भारतीय दवा कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और बाधाओं के समाधान की समीक्षा, समन्वय और सुविधा प्रदान करती है।

औषध विभाग को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई है:

- ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, अन्य विभागों को विशेष रूप से आवंटित किए गए को छोड़कर।
- चिकित्सा उपकरण–संवर्धन, उत्पादन और निर्माण से संबंधित उद्योग संबंधी मुद्दे; अन्य विभागों को विशेष रूप से आवंटित किये गए को छोड़कर।
- फार्मास्यूटिकल सेक्टर के क्षेत्रों में बुनियादी, लागू और अन्य शोध का प्रचार और समन्वय
- फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और कौशल का विकास और संबंधित जानकारी का प्रबंधन
- नवीनतम तकनीकी अनुसंधान सहित शिक्षा और प्रशिक्षण और भारत और विदेशों में फैलोशिप का अनुदान, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से संबंधित सभी मामलों पर सूचना और तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान।
- फार्मास्यूटिकल से संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का संवर्धन
- भारत और विदेशों में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों संबंधित कार्य सहित फ़ार्मास्यूटिकल अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तहत संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय सहित अंतर-क्षेत्रीय समन्वय।
- फार्मास्यूटिकल सेक्टर में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए तकनीकी सहायता।
- मूल्य नियंत्रण/ निगरानी संबंधित कार्यों सहित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले।
- फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित सभी मामले।
- विभाग से संबध रखने वाले सभी उधोगों को योजना, विकास और नियंत्रण, और सहायता प्रदान करना।

रसायन उद्योग

भारतीय रसायन उद्योग अत्यधिक विविध है, जो 80,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पादों का आवरण करता है। इसे बड़े पैमाने पर बेसिक केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में वर्गीकृत किया गया है। मध्य पूर्व के लिए भारत की निकटता, पेट्रोकेमिकल्स फीडस्टॉक के दुनिया के स्रोत, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बनाती है। भारत एक मजबूत वैश्विक डाई आपूर्तिकर्ता है, जो दुनिया के लगभग 16% डाइस्टफ और डाई इंटरमीडिएट उत्पादों का उत्पादन करता है। भारत में रसायन उद्योग को कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर डी-लाइसेंस किया गया है। आगामी प्लास्टिक पार्क रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। भारतीय रसायन उद्योग में छोटे पैमाने के साथ-साथ बड़े पैमाने की इकाइयाँ भी शामिल हैं। "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की पहल के साथ, भाप, निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचा प्राप्त करना रासायनिक उद्योगकर्ताओं के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बनने जा रहा है। भारतीय रसायन उद्योग 2025 तक 304 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रासायनिक क्षेत्र में कुछ खतरनाक रसायनों के अलावा रासायनिक क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। देश का रसायन उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है, जो वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और कोरिया के बाद उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरे स्थान पर और विश्व में छठे स्थान पर है। भारतीय रसायन उद्योग विश्व स्तर पर निर्यात में 14वें स्थान पर है। अगले 5 वर्षों में रासायनिक उत्पादों की मांग लगभग 9% प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है।

2022 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने के लिए भारत में पेट्रोकेमिकल बाजार 10% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में फसल सुरक्षा रसायनों का बाजार 2022 तक 7.5 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेशलिटी केमिकल बाजार में पिछले पांच वर्षों में 14% की वृद्धि देखी गई है, 2020 तक बाजार का आकार 70 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए, आयात पर अंकुश लगाने के लिए, और क्षेत्रों पर नई नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा मजबूत बाजार का आकार सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। डाउनस्ट्रीम उद्योगों का समर्थन और विकास करने के लिए, भारत सरकार चार नामित पेट्रोलियम, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रही है। पीसीपीआईआर क्लस्टर मोड में क्लस्टर के रूप में संचालित करने के लिए उम्मीद कर रहे हैं और उपयोगिताओं, पाइपलाइनों और ईटीपी के आम बुनियादी ढांचे का निर्माण करके समग्र पूंजीगत व्यय को कम करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं।

सरकार भी इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, सरकार छोटे पैमाने के क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित रासायनिक वस्तुओं की सूची को लगातार कम कर रही है, जिससे प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण में अधिक निवेश की सुविधा हो।

भारतीय रासायनिक उद्योगकर्ता सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जल, पर्यावरणीय प्रभाव, कच्चा माल, जीवनचक्र और ऊर्जा के उपयोग पर सुरक्षा उद्योग की कुछ समस्याएं है। भारतीय रासायनिक कंपनियां इन चुनौतियों के उचित जवाब खोजने के लिए बड़े पैमाने पर नए समाधानों में निवेश कर रही हैं। रासायनिक उद्योग भी बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों की पेशकश कर रहा है। उद्योग ने वस्त्रों के लिए माइक्रोबियल डी-कलरआईजेसन और डीग्रेडेसन की प्रक्रिया विकसित की है और नेचुरल डाइज के लिए जैव-विविधता की तलाश शुरू की है और सिंथेटिक डाइज के लिए पर्यावरण-अनुकूल पद्धति विकसित कर रहा है।

1. वृद्धि के कारक

- निम्नलिखित प्लांट का आधुनिकीकरण:
  a) बीटालेक्ट्म ब्लाक
  b) ऑइंटमेंट एंड एक्सटर्नल सोल्यूशन ब्लाक
  c) इन्जेक्टिबल ब्लाक
  - जीएमपी अनुपालन और आईएसओ 9001 प्रमाणित कंपनी
  - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बीसीपीएल के उत्पादों की उपलब्धता
  - पश्चिम बंगाल और मुंबई में कई रिटेल स्टोर खोले गए हैं
  - जनशक्ति का इष्टतम उपयोग
  - वेंडर आधार का विस्तार
  - ब्रांड एक्सटेंशन का परिचय
  - मैन्युअल संचालन से स्वचालन में स्थानांतरित कर दिया गया है
  - बिक्री/ वितरण नियमावली का कार्यान्वयन
  - केंद्रीकृत लेखा प्रणाली, पेरोल भुगतान, क्रय, बिल प्रोसेसिंग, बिल बसूली, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी की स्थापना आदि का कार्यान्वयन
  - सभी अग्रिम समायोजित/ पुनर्प्राप्त

2. प्रोडक्ट प्रोफाइल, खंड अनुसार और उत्पाद अनुसार प्रदर्शन

वर्तमान में, आपकी कंपनी तीन श्रेणियों के अंतर्गत उत्पाद बनाती है जो कि:

- प्रभाग-1: औद्योगिक रसायन
- प्रभाग–II: फार्मास्यूटिकल्स
- प्रभाग–III: गृह उत्पाद

औषधि उत्पाद खंड कंपनी की टर्नओवर में उच्चतम योगदान देता है और इस खंड ने 2018-19 के दौरान गत वर्ष 2017-18 में 64% और 2016-17 में 63% की तुलना में कुल टर्नओवर में 65% का योगदान दिया है। दूसरा सबसे बड़ा खंड प्रसाधन और गृह उत्पाद प्रभाग है जिसने वर्ष 2018-19 के दौरान गत वर्ष 2017-18 में 31% और वर्ष 2016-17 में 31% की तुलना में कंपनी की कुल टर्नओवर में **30%** का योगदान किया है। खंड-वार कंपनी के संचालन का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

(रूपये लाख में)

क्र.सं	उत्पाद खंड	2016-17		2017-18		**2018-19**	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	**टर्नओवर**	**%**
1	औषधि	5408.78	63%	4966.92	64	6544.45	65
2	प्रसाधन एवं गृह उत्पाद	2627.80	31%	2404.19	31	3020.00	30
3	रासायन	499.72	6%	430.04	5	486.58	5
	कुल	8536.30	100	7801.15	100	10050.06	100

3. स्वॉट विश्लेषण

(i) शक्ति

- बीसीपीएल एक प्रसिद्ध पीएसयू एवं भारत की सबसे पहली औषध एवं गृह-उत्पाद कंपनी है, जो कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, महान आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा स्थापित की गयी थी।
- ब्रांड और गुणवत्ता वाले उत्पादों की मजबूत छवि जैसे कि फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर आदि।
- जीवन रक्षक दवाओं की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा
- पूरे देश में डिपो, सी एंड एफए और रिटेल स्टोर्स के बड़े वितरण नेटवर्क
- ड्रग कंट्रोल और बीआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है।
- बीसीपीएल के सभी कार्यालय शहरों में स्थित हैं और इनमें परिवहन की आकर्षक सुविधाएँ हैं।
- नए उत्पाद निर्माण के साथ लागत प्रबंधन
- शून्य श्रमिक अशांति
- जनशक्ति का इष्टतम उपयोग
- कंपनी में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना तथा कर्मचारियों के बीच अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करना।
- ड्राई पाउडर इंजेक्शन का इन-हाउस उत्पादन कमीशन किया गया है।
- एक प्रसिद्ध "ब्रांड नाम" के साथ भारत या विदेशों में अनुकूल बाजार की स्थिति में नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम है।

(ii) दुर्बलता/ जोखिम चिंता

- विज्ञापन और ब्रांड प्रचार के लिए कम पहल
- अनुरूप उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा
- उत्पाद सुधार और नए उपक्षेप की सुविधाओं का अभाव
- दक्षता और पर्याप्त कौशल का अभाव
- कम क्षमता का उपयोग
- खराब वेतन के कारण सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में समस्या
- अधिकतर सरकारी संस्थाओं के लिए बिक्री पर निर्भर हैं

(iii) अवसर

- विशेष रूप से एंटीबायोटिक और जेनरिक सेगमेंट में फार्मास्यूटिकल्स बाजार की लगातार वृद्धि

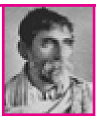

- भारत में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी चिकित्सा क्षेत्रों का विस्तार
- गृह उत्पाद/ स्वच्छता उत्पादों का बड़ा आधार जो लगातार विस्तार कर रहा है।
- उत्पाद पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन
- स्वच्छ भारत अभियान
- स्वास्थ्य बीमा में अधिक निवेश
- उत्पादन विविधीकरण
- चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार

(iv) चुनौतियाँ

- कई स्थानीय कंपनियां तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे है
- प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की मजबूती का स्तर हमारी विशिष्टता लुप्त कर रही है
- जनशक्ति/ क्षेत्रीय शक्ति को प्रतिस्पर्धा के प्रति बढ़ावा देने के लिए
- बीसीपीएल में एपीआई/ अपवाद निर्माताओं की दिलचस्पी कम है
- ब्लैक फिनोल और एलम की खपत में कमी।
- बाजार में नकली उत्पाद (बीसीपीएल मुद्रांकित)
- बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता
- पुराने बिक्री और विपणन तरीके
- मूल्य निर्धारण की नीतियां
- निर्माण की उच्च लागत

4. जोखिम और चिंता

बीसीपीएल ने एक बोर्ड स्वीकृत जोखिम प्रबन्धन निति को अपनाया है जो कंपनी में उपक्रम जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बीसीपीएल ने बीसीपीएल के सात अधिकारियों की एक 'जोखिम प्रबंधन समिति' बनाई है जिसे कंपनी के जोखिम प्रशासन संरचना, जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन ढांचा, दिशानिर्देश, नीतियाँ और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और कार्यान्वित करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम प्रबंधन नीति के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी तिमाही बैठकों में की जाती है, और इन बैठकों की बैठक कार्यवाही के साथ अनुपालन रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को उनकी समीक्षा और सुझावों के लिए प्रस्तुत की जाती है।

5. दृष्टिकोण

आपकी कंपनी अपने सेरा/ एंटी स्नेक वेनम के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जो न केवल जीवन रक्षक थी, बल्कि कंपनी का एक बहुत लोकप्रिय उत्पाद भी था। फार्मा उत्पादों विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, हाइपरग्लाइसेमिया और डिस्लिपिडेमिया जैसे क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट को बढ़ाने की योजना है। कंपनी क्रॉनिक डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के जटिल प्रबंधन में अपनी उपस्थिति में विविधता लाना चाहती है, जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत है।

इसके अलावा, कंपनी की योजना घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई की जरूरतों में नए उत्पादों को लाने की है।

6. आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के संचालन के आकार के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। इसका आंतरिक लेखा परीक्षा सेल कोलकाता में इसके कॉरपोरेट कार्यालय में स्थित है, जिसका प्रमुख मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नियमित आडिट, प्रणाली की समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभाव की जांच करता है और कंपनी के कानूनी, विनियामक और आंतरिक नीतियों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करता है।

इसके अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा टीम उस तरह की प्रणाली, नियंत्रण और उन रिपोर्टों जिन पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है, की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखती है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान, बीसीपीएल ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में काफी सुधार किया है और कंपनी में वित्तीय रिसाव को भी नियंत्रित किया है। बीसीपीएल ने कंपनी में लेखापरीक्षा के निम्नलिखित पांच स्तरीय प्रणाली को भी अपनाया और कार्यान्वित किया है:

(i) बैंकिंग लेनदेन जांचपरीक्षा

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा

(iii) सीएजी द्वारा नियुक्त, ऑडिट फर्म द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षा

(iv) वस्तु एवं सेवा कर लेखापरीक्षा और

(v) कैग लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी लेखापरीक्षा

इन सभी प्रयासों के कारण, कंपनी हेरफेर, गलतियों और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोक सकती है।

7. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने गत वर्ष की 7801 लाख रूपए की टर्नओवर की तुलना में 10050 लाख रुपये की टर्नओवर हासिल की, और गत वर्ष 2017-18 के 1006 लाख रूपए के शुद्ध लाभ की तुलना में 2526 लाख रूपए का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया। आपकी कंपनी ने लगातार तीन वर्षों तक शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है और भविष्य में भी शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए विश्वस्त है।

8. मानव संसाधन, औद्योगिक संबधों, और कार्यरत लोगों की संख्या में भौतिक विकास

कंपनी अपने कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करती है और इसके विकास के लिए उनके कौशल और क्षमताओं को अद्यतन करती है और साथ ही उत्पादन, विपणन और लेखांकन गतिविधियों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करती है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारी संगठन में एक कर्मचारियों ने संगठन में सक्षम प्रदर्शन संस्कृति को विकसित करने और बनाए रखने में प्रबंधन के प्रयासों को पूरा किया। कंपनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देते समय कर्मचारियों के विचारों को भी समय-समय पर ध्यान में रखा जाता है।

9. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण

(i) **पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण:** पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता का पालन करने के लिए, फैक्ट्री परिसर में और आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाये जाने, पर्यावरण के अनुकूल कच्चे माल का उपयोग, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने पर महत्व दिया गया है। कर्मचारी बिजली के उपकरणों जैसे रोशनी, पंखों, कंप्यूटर, जब वे प्रयोग में नहीं हैं, को बंद करके ऊर्जा की खपत में कमी के प्रति संवेदनशील हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी संरक्षण:** तकनीकी संरक्षण के रूप में, बीसीपीएल ने कुछ उत्पादों के माध्यमिक और तृतीयक पैकेजों में बार-कोडिंग और क्यूआर कोडिंग लागू की है। इस तकनीक का मुख्य लाभ गोदाम/ स्टॉक पॉइंट में उत्पादों का बेहतर अनुरेखण करना है।

(iii) **विदेशी मुद्रा संरक्षण:** वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन नहीं किया।

सजग वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विवरणों को, लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत देख सकते हैं। वास्तविक परिणाम, दिये गये परिणामों से थोड़ा बहुत अलग या भिन्न रूप से व्यक्त या लागू हो सकते हैं। मुख्य कारक कंपनी के कार्यों में निहित वैश्विक और भारतीय मांग पूर्ति के शर्तों और तैयार माल की कीमतों, कंपनी के प्रधान बाजार में प्रतियोगी कीमतों, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर नियम, भारत की आर्थिक अवस्था में थोड़ा फर्क दिखा सकती है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

हिंदी पत्रिका "संजीवनी" का विमोचन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की दार्शनिकता

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के सभी हितधारकों के लिए स्थायी रूप से लाभार्जन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुख्य रूप से पारदर्शिता, महत्वपूर्ण तथ्यों के संपूर्ण प्रकटीकरण, बोर्ड की स्वतंत्रता और हितधारकों के प्रति ईमानदारी से संबधित होती है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी को लागू अन्य कानूनों के नियमों एवं प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई‌स के लिए जारी किये गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों, तथा सचिवीय मानकों के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है।

1. निदेशक मंडल

1.1 बोर्ड की संरचना

बीसीपीएल के सभी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में तीन निदेशक नामत: निदेशक (वित्त), एक अंशकालिक शासकीय निदेशक [सरकार नामित] और एक स्वतंत्र [अंशकालिक गैर-शासकीय] निदेशक कार्यरत है।

1.2 निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों की श्रेणी, बोर्ड की बैठक में उपस्थिति, और वार्षिक आम बैठक (एजीएम), और वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य निदेशक पद के विवरण नीचे दिए गए हैं:

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकों में उपस्थित	37 वीं आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (बीसीपीएल के अलावा)	कार्यकाल
(i) पूर्णकालिक /कार्यात्मक निदेशक					
श्री पीएम चंद्रय्या डीआईएन: 06970910	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक(वित्त)*	5	हां	शून्य	25/11/2014 से प्रभावी
(ii) सरकार नामित /अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी निदेशक (पीएसयू), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग डीआइएन: 07562190	निदेशक	5	हाँ	2 (केएपीएल, आरडीपीएल)	06/07/2016 से प्रभावी

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकों में उपस्थित	37 वीं आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (बीसीपीएल के अलावा)	कार्यकाल
(iii) स्वतंत्र/ अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक					
श्री एस.के. राय चौधरी, स्वतंत्र निदेशक [अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक] डीआइएन: 00757497	निदेशक	5	हाँ	शून्य	09/08/2016 से प्रभावी

*औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री पीएम चन्द्रय्या, निदेशक (वित्त) को 01/06/2016 से प्रारंभिक तीन महीनों हेतु बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जिसे समय-समय पर 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया है।

**इस्तेमाल किए गए संकेताक्षर-

- केएपीएल- कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- आरडीपीएल- राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

टिप्पणियाँ-

वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या पद से इस्तीफा और उसके बाद इस रिपोर्ट तक की तारीख तक नीचे उल्लिखित है:

निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा

(a) श्री जितेन्द्र त्रिवेदी

अंशकालिक शासकीय निदेशक

भारत सरकार द्वारा नामित

डीआइएन: 07562190

श्री जितेन्द्र त्रिवेदी जी, उम्र 43 वर्ष, जो कि औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं, उन्हे आदेश एफ.न.25012/3/2010–पीएसयू दिनांकित 06 जुलाई, 2016 के अंतर्गत अंशकालिक शासकीय निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है। श्री जितेन्द्र त्रिवेदी जी ने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेस (आइओएफएस) में 05, सितम्बर, 2000 को कार्यभार संभाला। श्री जितेन्द्र त्रिवेदी जी को ऑर्डिनेंस फैक्टरी सर्विसेज, सार्वजनिक प्रशासनिक, और सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में बहुत अनुभव है। वह कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

(b) श्री सजल कुमार राय चौधरी

अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक

[स्वतंत्र निदेशक]

डीआइएन: 00757497

औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने श्री सजल कुमार राय चौधरी जी, जिनकी उम्र 69 वर्ष है, को आदेश एफ.नं.25012/2/2016-पीएसयू-1, दिनांकित 09 अगस्त, 2016 के अंर्तगत अंशकालिक गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक के रुप में नियुक्त किया है। श्री सजल कुमार रॉय चौधरी, ड्रग्स कंट्रोल अथारिटी, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व निदेशक हैं। उनके पास ड्रग्स और दवाइयों के क्षेत्र में बहुत अनुभव है। श्री चौधरी जी के पास सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का भी बहुत अनुभव है।

(c) श्री पीएम चंद्रय्या

प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)

डीआइएन: 06970910

औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आदेश संख्या "25012/2/2014-पीएसयू", दिनांकित 03 नवम्बर 2014, के अंर्तगत श्री पीएम चंद्रय्या जी, उम्र 54 वर्ष, को उनके पदाग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। श्री चंद्रय्या जी ने 25 नवम्बर 2014 को निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाला। औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आदेश संख्या "25012/1/2014-पीएसयू-I", दिनांक 19 जुलाई 2016 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या, निदेशक (वित्त) को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा है। वह एक लागत लेखाकार हैं और उनके पास विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एनटीपीसी, इरेडा, इरकॉन, एनएसपीसीएल, ईपीआई तथा बीसीएपीएल आदि में मानव संसाधन, सतर्कता, वित्त प्रबंधन, विपणन आदि विभागों में काम करने का 35 वर्षों का अनुभव है। बीसीपीएल वर्ष 2016-17 में श्री पीएम चंद्रय्या के गतिशील नेतृत्व में टर्नअराउंड कंपनी बनी तथा तीन वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19 से लगातार लाभ अर्जित कर रही है।

नियुक्तियां: औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आदेश संख्या "एफ.नं.25012/1/2014-पीएसयू-1/(वीओएल-II)", दिनांक 05 सितम्बर 2018 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या जी को 01 सितम्बर 2018 से अगले 6 महीने के लिए फिर से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने आदेश "एफ. नं.25012/1/2014-पीएसयू-I(वीओएल-II)" दिनांक 21 जनवरी 2019 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या जी को 01 मार्च 2019 से अगले 6 महीने के लिए फिर से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

समाप्ति: वर्ष 2018-19 के दौरान, कोई भी निदेशक बीसीपीएल के निदेशक मंडल को छोड़ कर नहीं गया।

1.3 बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी के सुशासन और कामकाज सुनिश्चित करने में निदेशक मंडल प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। निदेशक मंडल की बैठकें एजेंडा कागजात के साथ उचित सूचना देकर आयोजित की जाती हैं। निदेशक मंडल की बैठकों को आमतौर पर कोलकाता में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा डीपीई के ओएम सं. "एफ.नं.18(17)/2005-जीएम" दिनांकित 24/05/2018 के अनुसार आयोजित की जाती हैं। कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बोर्ड

नियमित अंतराल पर बैठकें करता है। बैठक के लिए एजेंडा कागजात संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को भेजे जाने से पहले प्रबंध निदेशक/ निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किए जाते हैं। विचार-विमर्श/ चर्चाओं के बाद निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाता है। पिछले बोर्ड की बैठक के निर्णय पर "कार्रवाई की गई रिपोर्ट" निदेशक मंडल की हर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त, मिनट पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त इसकी अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। निदेशक मंडल की समिति के कार्यवृत्त भी निदेशक मंडल की जानकारी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य कंपनी की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1.4 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडा पत्रों के तहत, आमतौर पर बीसीपीएल के निदेशक मंडल को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट और अद्यतन
- त्रैमासिक आधार पर वित्तीय परिणाम
- बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- बोर्ड स्तर के ठीक नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी
- श्रम की महत्वपूर्ण समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंधों मजदूरी जैसे समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण विकास।
- निवेश, सहायक कंपनियों, संपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री, जो व्यापार के सामान्य प्रकार में नहीं है।
- विदेशी मुद्रा अन्नावृत्ति का तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम
- निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट
- लागू कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट
- कारण बताएं, अभियोजन पक्ष के मांग के नोटिस और जुर्माना नोटिस जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, किसी भी महत्वपूर्ण घटना का प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएं
- कोई भी मुद्दा, जो मत्वपूर्ण संभावित प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व के दावों को शामिल करता है, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल है, या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल हो सकता है जो कंपनी के संचालन पर कठोर पारित हो सकता है, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति
- कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की स्थिति

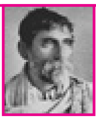

- जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन
- गुणवत्ता स्थिरता परीक्षण पर रिपोर्ट
- अर्ध-वार्षिक आधार पर सतर्कता कार्य की समीक्षा
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी या सूचना के लिए कोई अन्य जानकारी

1.5 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वर्ष 2018-19 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	बैठक की दिनांक	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	02 जून 2018	3	3
2.	05 जुलाई 2018	3	3
3.	21 सितम्बर 2018	3	3
4.	12 दिसम्बर 2018	3	3
5.	28 फरवरी 2019	3	3

1.6 निदेशकों की नियुक्ति

अंशकालिक निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 'जी. एस.आर.,163(ई)' दिनांकित 5 जून 2015 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जिनकी संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो।

चूंकि, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के माध्यम से धारित की जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) (रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति) बीसीपीएल पर लागू नहीं होती।

1.7 स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में चर्चा/ विचार-विमर्श में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कंपनी को फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, प्रबंधन, आदि के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता से अवगत कराते हैं।

स्वतंत्र निदेशक, मंडल द्वारा गठित बीसीपीएल की बोर्ड स्तरीय समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर और स्थिरता विकास समिति का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति, और बीसीपीएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। श्री एस.के. रॉय चौधरी, स्वतंत्र निदेशक बीसीपीएल के कार्यालयों और फैक्ट्रियों में नियमित रूप से आते रहते हैं।

2.0 निदेशक मंडल की समितियां

2.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित शक्तियों और भूमिका के साथ विधिवत रूप से निदेशक मंडल द्वारा गठित किया गया है। लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता कंपनी के स्वतंत्र (गैर-शासकीय निदेशक) द्वारा की जाती है। 2018-19 के दौरान, 02 जून 2018, 05 जुलाई 2018, 21 सितम्बर 2018, 12 दिसम्बर 2018, तथा 28 फरवरी 2019 को समिति की पांच बैठकें हुई।

(i) उपस्थिति विवरण निम्नानुसार हैं-

सदस्य	उनके संबंधित समयकाल में आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति
श्री सजल कुमार राय चौधरी स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	5	5
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी अंशकालिक शासकीय निदेशक सदस्य, लेखापरीक्षा समिति	5	5
श्री पीएम चंद्रय्या प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) सदस्य, लेखापरीक्षा समिति	5	5

(ii) लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

1	श्री सजल कुमार राय चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी	सरकार नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री पीएम चंद्रय्या	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	सदस्य

(iii) लेखापरीक्षा समिति की शर्तें

कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति की शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।
2. लेखापरीक्षा कार्य में परीक्षक की कार्य क्षमता, निर्भरता और क्रियाशीलता की जाँच और नियमन करना।
3. वित्त संबंधी रिपोर्ट और उस पर दी गयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करना।

4. संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन की सहमति और बाद में संशोधन।

"बशर्ते कि लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन कर सकती है, जो कि कंपनी द्वारा निर्धारित प्रस्तावित शर्तों के अधीन हो सकता है"

5. इंटर-कॉरपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।

6. आवश्यकतानुसार सम्पति और उपक्रमों का मूल्यांकन।

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।

8. आवश्यकतानुसार पब्लिक ऑफर और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र की गई रकम के उपयोग पर निगरानी।

9. लेखापरीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों, लेखापरीक्षा के दायरे, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित, और वित्तीय विवरणों की समीक्षा पर चर्चा कर सकती है और कंपनी के आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ भी किसी भी संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में वर्णित विषयों में किसी भी मामले की जांच-पड़ताल करने और बोर्ड को सौंपे जाने का पूर्ण अधिकार है, और इसके लिए उन्हें बाहरी पेशेवरों से सलाह लेने और कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

11. कंपनी के बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से, आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कार्यक्षेत्र, कार्य, आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करेगी।

12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।

13. सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन

14. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्त विवरण की विशेष संदर्भ के साथ समीक्षा:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले मामलों;
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन और उसके कारण, यदि कोई हो;
- प्रबंधन द्वारा अनुमानों के आधार पर लिए गए निर्णय को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए समायोजन;
- वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
- किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा/ प्रकटीकरण;
- मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अहर्ताएं।

15. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की जांच।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की जांच।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आधिकारिक विभाग के शीर्ष अधिकारी, स्टाफिंग और वरिष्ठता की रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति।

18. आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उसके अनुवर्ती जाँच।

19. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षक द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या किसी भौतिक प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।

20. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ, लेखापरीक्षा के उद्देश्य और प्रकृति और साथ ही साथ लेखापरीक्षा के बाद के विषयों के बारे में चर्चा करना।

21. जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में हुई चूक के कारणों पर गौर करना।

22. विस्सल ब्लोअर/ निगरानी तंत्र के कामकाज की समीक्षा।

23. कैग की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

24. सरकारी उपक्रम (सीओपीयू) पर संसदीय समिति की अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

26. लेखापरीक्षक के साथ मिलकर, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के ताल-मेल की जांच करना ताकि कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक कार्यों की कमी और सभी लेखापरीक्षा के संसाधनों के सही उपयोग पर ध्यान दिया जा सकें।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करना:

कंप्यूटर सूचना व्यवस्था नियंत्रण और सुरक्षा के आंतरिक नियंत्रण की स्पष्टता की जांच करना, और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्षों पर चर्चा।

28. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करना:

पूर्व लेखापरीक्षा की सिफारिशों की स्थिति के साथ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण जाँच-निष्कर्ष।

लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी भी कठिनाइयों या आवश्यक जानकारी के लिए गतिविधियों का दायरा या उपयोग पर कोई प्रतिबंध का सामना करना पड़ा हो।

29. लेखापरीक्षा समिति के पास यह भी अधिकार होगा:

इसकी शर्तों के अनुसार किसी भी गतिविधि की जांच करना।

किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में या किसी और के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

निदेशक मंडल की अनुमति के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवरी सलाह लेना।

यदि यह आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों से सहायता।

विस्सल ब्लोअर की रक्षा करना

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारियों की समीक्षा करेगी:

वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण;

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/ आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं उसका निष्कासन लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा; और

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण।

31. कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके अंतर्गत बने नियमों और डीपीई की कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन्स में वर्णित कोई अन्य कार्य।

लेखापरीक्षा समिति परीक्षकों को आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, लेखा जांच के उद्देश्य, परीक्षकों की

देखरेख और बोर्ड को वित्तीय विवरण जमा करने के पहले उसकी जांच पर अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार रखती है, और आंतरिक लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ संबंधिक विषयों पर चर्चा कर सकती है। लेखापरिक्षा समिति धारा 177(4) में निहित विषय से संबंधित या बोर्ड को संदर्भित विषयों पर जांच-पड़ताल करने का पूरा अधिकार रखती है, और उसके लिये समिति बाहरी स्त्रोतों से पेशेवर सलाह लेने का पूरा अधिकार रखती है, और कंपनी के रिकार्ड में निहित सभी जानकारी पर कार्य करने का अधिकार भी रखती है।

कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में जब लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, सुनवाई का अधिकार होगा लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

2.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल और सभी अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के वितरण के लिए नीति तय करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति को 23 सितंबर 2016 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया गया है:

1	श्री एस.के.रॉय चौधरी	स्वंतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी	सरकार नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री पीएम चंद्रय्या	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	सदस्य

वर्ष 2018-19 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें 02 जून 2018 तथा 28 फरवरी 2019 को हुई। बैठक में अध्यक्ष सहित सभी सदस्य उपस्थित थे।

2.3 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास समिति

कंपनी ने बोर्ड स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता विकास समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया था:

1	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार नामित निदेशक)	अध्यक्ष
2	श्री सजल कुमार राय चौधरी गैर शासकीय निदेशक (स्वंतंत्र निदेशक)	सदस्य
3	श्री पीएम चंद्रय्या प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (वित्त)	सदस्य

वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर एवं स्थिरता विकास समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। 31 मार्च 2019 को बीसीपीएल के पास 22173 लाख रूपए की संचित हानि थी, जिसके कारण बीसीपीएल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर की कोई भी गतिविधि कराना आवश्यक नहीं है।

3.0 अंशधारिता स्वरुप

31 मार्च, 2019 को कंपनी का अंशधारिता स्वरुप निम्नानुसार था:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक की कीमत 1000 रू.)
1	भारत के राष्ट्रपति	769601
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	2
3	श्रीमती उमा मगेश अवर सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	1
	कुल	769604

4.0 बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति

बीसीपीएल ने व्यापार और उद्योग की समझ की सुविधा के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति तैयार की है जिसमें कंपनी के कारोबार से जोखिम प्रोफाइल सहित, कंपनी के शासन में उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां, कर्तव्यों और कार्यों के साथ सभी नए निदेशकों को परिचित करवाने एवं निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यापार नीतिशास्त्र, आचार संहिता आदि जिनका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं, के बारे में जागरूक बनाना है।

5.0 विस्सल ब्लोअर पालिसी

कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अंतर्गत बीसीपीएल के निदेशक मंडल ने 23 सितम्बर 2016 को आयोजित इसकी बैठक में विस्सल ब्लोअर पॉलिसी को अनुमोदित किया है। बीसीपीएल की विस्सल ब्लोअर पॉलिसी सभी विभागाध्यक्षों, फैक्ट्री प्रमुखों को दी गई है, और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राकशित की गई है। इस पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक "स्क्रीनिंग समिति" भी बनाई गयी है:

1.	प्रबंध निदेशक/ कार्यालय प्रमुख	अध्यक्ष
2.	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	मानव संसाधन प्रमुख	सदस्य
4.	वित्त प्रमुख	सदस्य
5.	विपणन प्रमुख	सदस्य

6.0 आम सभाएं:

6.1 कंपनी की गत तीन वर्षों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि और समय
37वां	2017-18	05 जुलाई 2018 को, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 14:00 बजे
36वां	2016-17	19 जून 2017 को, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 15:30 बजे
35वां	2015-16	11 जुलाई 2016 को, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 12:30 बजे

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 38वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एजीएम के दिन, तिथि, समय और स्थान के बारे में जानकारी देती है।

6.2 पिछले तीन आम बैठकों में पारित विशेष संकल्प का विवरण

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प का विवरण
37वीं	2017-18	शून्य
36वीं	2016-17	शून्य
35वीं	2015-16	शून्य

7.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन किया गया है। कंपनी ने अपने उप-प्रबंधक स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी का एक बरिष्ठ प्रबंधक आरटीआई अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी है।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त किए गए और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

1	1 अप्रैल, 2018 को लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या	शून्य
2	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या	12
3	वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या	12
4	31 मार्च, 2019 को लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या	शून्य
5	वर्ष 2018-19 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को भेजे आरटीआई आवेदन की संख्या	शून्य

8.0 शेयरधारकों के साथ संचार के साधन

कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी (अंग्रजी व हिंदी) वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक रिटर्न जोकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में फाइल की गई है, अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ अपलोड किए गए हैं। वार्षिक प्रतिवेदन भौतिक रूप में भी शेयरधारकों को भेजी जाती है।

9.0 लेखापरीक्षा अहर्ताएं

सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन/ खातों पर अहर्ताओं के जवाब, और भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निदेशक रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में सलंग्न हैं।

10.0 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता निर्धारित की है।

11.0 प्रकटीकरण

11.1 वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान एवं स्वतंत्र निदेशकों की फीस के भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i) कार्यकारी/पूर्ण-कालिक निदेशक/ केएमपी:

(रुपये लाख में)

कार्यात्मक निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल
श्री पीएम चंद्रय्या प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	20.79	0.93	21.72

ii) स्वतंत्र निदेशक:

(राशि रुपए में)

निदेशक के नाम	बैठक फीस		कुल
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
श्री एस.के. राय चौधरी स्वतंत्र निदेशक	25,000	35,000	60,000

स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा बोर्ड की बैठक और बोर्ड स्तर समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए 5000/- रूपये की बैठक फीस प्रत्येक बैठक के लिए अधिकृत हैं।

11.2 सभी निदेशक तय वेतनमान पर औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है। उनकी नियुक्ति की अन्य नियम और शर्तें भी औषध विभाग द्वारा तय की जाती हैं।

11.3 निदेशकों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक के अलावा और स्वतंत्र निदेशकों के लिए अधिकृत बैठक फीस के अलावा, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी तरह का महत्वपूर्ण अथवा मौद्रिक संबंध नही है, जो उनकी न्याय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सके।

11.4 वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष से कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ, जिससे कंपनी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सके। लेखा मानक-18 के अनुसार संबंधित पार्टी से जुड़े लेन-देन का विवरण खातों की टिप्पणियों में दिया गया है। साथ ही फॉर्म एओसी-2 इस रिपोर्ट में अनुलंग्नक के रूप में सलंग्न है।

11.5 किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई भी दंड या प्रतिबंध लगाये जाने की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है।

11.6 कंपनी डीपीई के द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के सभी नियमों का पालन कर रही है।

11.7 कंपनी की लेखा प्रक्रिया समय-समय पर संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है।

11.8 जोखिम प्रबंधन का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में वर्णित है।

11.9 कंपनी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी राष्ट्रपति निर्देशों का अनुपालन करती है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

11.10 वर्ष के दौरान, बही खातों में ऐसा कोई भी खर्च डेबिट नहीं किया गया जोकि व्यापार के उद्देश्य से न जुड़ा हो एवं उच्च प्रबंधन और निदेशक मंडल के किसी भी निजी खर्च को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

11.11 प्रशासनिक खर्च 2018-19 में कुल खर्चों के मुकाबले **33.38%** है जोकि वर्ष 2017-18 में 34.17% तथा 2016-17 में 37.43% थे। वित्तीय लागत/ खर्चे 2018-19 में कुल खर्चों के मुकाबले 2.60% रहे जोकि 2017-18 में 10.69% तथा 2016-17 में 14.25% थे।

11.12 कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.bengalchemicals.co.in कंपनी के आधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक प्रतिवेदन, टेंडर एवं करियर के अवसर आदि को प्रदर्शित करती है।

12.0 अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस गॉइडलाइन्स के सभी वांछित नियमों का अनुपालन करती है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-VII के नियमों में वर्णित किए गए सभी विषयों को सम्मलित करती है। डीपीई के द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन से संबधित अभ्यासरत कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में सलंग्न है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

फार्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) की खंड (एच) के तहत और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के तहत)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के संदर्भ में तृतीय प्रावधान के तहत के कुछ शर्तों के साथ हुए लेन-देन के साथ कंपनी के ठेकों/ अनुबंधों (लेखा) के विवरणों के संबध में प्रकटीकरण करने के प्रपत्र।

1	असामान्य अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का ब्यौरा	वर्ष 2018-19 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।
2	सामान्य महत्वपूर्ण अनुबंध या आर्म्स लेंथ बेसिस पर लेन-देन की व्यवस्था का ब्यौरा	वर्ष 2018-19 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र / घोषणा

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार का असत्य बयान या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या भ्रमित करने वाले बयान सम्मलित नहीं है;

(ii) यह विवरण लेखा मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन के साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं;

(iii) हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने कोई भी ऐसे लेनेदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता के खिलाफ हो;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष इन आंतरिक नियंत्रणों की रुपरेखा एवं संचालन में कमी, यदि कोई है, जिनसे हम अवगत हैं, और इनको सुधारने के लिए उठाये गए और प्रस्तावित कदमों का प्रकटीकरण किया है;

(v) हम लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्लिखित सूचित कर चुके है:

a) वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

b) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय वक्तव्यों के नोट में बताया गया है;

c) कोई कर्मचारी और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति का वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी की घटना, जिससे हम अवगत हैं

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

Prateek Kohli & Associates
Company Secretaries

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र

सेवा में
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों

हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (इसके बाद **'कंपनी'** या 'बीसीपीएल' के रूप में संदर्भित), एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम [सीपीएसई] द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 मई 2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लागू की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है। दिशानिर्देशों का पैरा 2.3 दर्शाता है कि गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई, अगले अध्यायों में दिए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का पालन करेगी, जो कि अनिवार्य हैं। उपरोक्त शर्त के अनुसरण में, बीसीपीएल एक गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई है, जिसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 का पालन करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच संस्थान द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं, कि बीसीपीएल के निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशानिर्देशों को अनिवार्य आधार पर बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नीति को मंजूरी दी गई है, को अपनाया है तथा कंपनी ने जहाँ तक संभव हो सका है, दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हम फिर से कहते हैं, कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के रूप में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29.04.2019

PRATEEK KOHLI & ASSOCIATES KOLKATA COMPANY SECRETARIES

प्रतीक कोहली एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव के लिए

Prateek Kohli

प्रतीक कोहली
भागीदार
सी.पी. नं- 16457

50, Weston Street, 1st Floor, Room No. 105, Kolkata - 700 012
✉ : cspkohli@gmail.com ✆ : +91 33 4601 0323

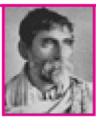

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों 2010" और उसके अंतर्गत अनुलंग्नको ('दिशानिर्देशों') में निर्धारित 31 मार्च 2019, को समाप्त वर्ष के लिए **बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** ('कंपनी') द्वारा अनुपालन की जाँच कर ली है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं, कि कंपनी ने गैर-सूचीबद्ध लोक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया है।

हम दोबारा बताते हैं की यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही क्षमता और प्रबंधन द्वारा किये गए कंपनी के कार्यों की प्रभावशीलता है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

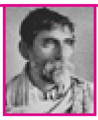

आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा राय का जन्मदिन समारोह

39वां स्थापना दिवस समारोह

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विविरण वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अधिनियम 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 29 अप्रैल 2019 में दर्शया गया है कि यह कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा
महापरीक्षक की तरफ से

ह/-
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
वाणिज्यक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-II
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06 मई 2019

Bengal Chemicals & Pharmaceutical Ltd. achieves turnover of 120cr

KOLKATA, 30 APRIL

Over the past 4 years, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. undertook a policy of revamping its operations in almost every department and managed to increase the annual turnover from 37 crores in 2013-14 to 120 crores in 2018-19, said Mr PM Chandraiah, the company's managing director and director (finance).

Mr Chandraiah was speaking at a press meet held at the company's corporate office in the city to declare its outstanding performance in the last financial year.

Mr Chandraiah informed the media that the company had found place among the top 100 Public Sector Units (PSUs) last year and was also ranked first among the top profit-making pharmaceutical PSUs in the country.

He said, "The company had been nationalised back in 1980, but despite this, its performance failed to improve after a sudden slump that had started in the 1950s. For the past 4 years, we undertook a policy of revamping our operations in almost every department and managed to increase our annual turnover from 37 Crores in 2013-14 to 120 crores in 2018-19."

Mr Chandraiah further said that the employees of the organisation had achieved this through their combined efforts, through the maintenance of value-based discipline and through commitment to their work. SNS

Bengal Chemicals eyes Mini Ratna tag by 4 yrs

Headed For BIFR Just 3 Yrs Ago, Rejuvenated Iconic Pharma PSU Aims To Post ₹500Cr Income By 2025

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: This can be an ideal comeback story of inspiration for any beleaguered corporate entity around the world. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals (BCPL), which had been bleeding till three years ago, seeks to get the Mini Ratna status in the next four years. In the run-up to achieve this target, BCPL, the country's oldest domestic pharmaceutical company set up in 1901 by legendary scientist Acharya Prafulla Chandra (APC) Roy, plans to repay all its financial loans by 2022. Mini Ratnas can afford less extensive financial autonomy from the Centre.

On Tuesday, BCPL managing director P M Chandraiah said here that in the last financial year, the PSU had made a net profit of Rs 25 crore, the highest in its 118 years' of history. BCPL's current total income amounts to Rs 120 crore. This Central PSU has been posting profit for the last three years. Its last net lose (of Rs 9.13 crore) was reported in 2015-16.

Chandraiah said: "This year, Bengal Chemicals will enter the list of the first 100 public sector companies of India. Among the 13 pharmaceutical PSUs in the country, Bengal Chemicals ranked at number 1 in terms of net profit. Our aim is to bring the total income to Rs 500 crore by 2025. Every year, the income of the organization is increasing by 25%-26%. If that trend persists, then it is easily possible. So by 2023, the goal of getting the Mini Ratna status is kept intact."

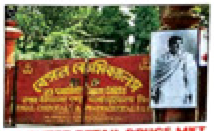

TO ENTER RETAIL DRUGS MKT

BCPL has Rs 105crore debt to the Centre. In the next three years, it can be possible to repay the entire loan through internal accruals, said Chandraiah. The company has urged the government to waive the interest of Rs 85 crore on the loan.

On how the income will increase, the MD said: "Now, we have Rs 30 crore of business from our home products every year, which can be easily increased to Rs 100 crore. On the other hand, our medicines have garnered business worth around Rs 65 crore a year. Our present production capacity can make it possible to do Rs 1,000 crore business a year."

Presently, BCPL is supplying medicines to government and government entities only. As the PSU wants to enter the drug retail market, the company officials feel that BCPL will have to appoint medical representatives. However, since the name of BCPL is on the list of strategic disinvestment, no new recruitment is allowed by the government, informed Chandraiah. However, the decision of the Center is pending at the Calcutta high court.

In order to increase the revenue, BCPL has planned to sell its products through various e-commerce platforms. Now, it only sells different home products on Big Basket.

बंगाल केमिकल्स को 25 करोड़ का शुद्ध लाभ

30 APRIL, 2019

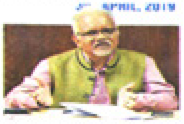

जागरण संवाददाता, कोलकाता : महानगर आधारित देश की पहली फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने बीते वित्त वर्ष में कुल 120 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है जिसमें 25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ शामिल है। अब कंपनी की नजर 2025 तक 150 करोड़ की लाभ अर्जित करने के साथ 500 करोड़ रुपये की टॉप लाइन में शामिल होने की है। उक्त जानकारी मंगलवार को महानगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंगाल केमिकल्स के प्रबंध निदेशक व निदेशक (वित्त) पीएम चंद्रय्या ने दी। कंपनी को 2022 तक मिनीरत्न श्रेणी में शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर देश के शीर्ष 100 सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में प्रवेश करने की उम्मीद करते हैं। चंद्रय्या ने कहा कि पिछले पांच साल से हम 27 फीसद सीएजीआर से बढ़ रहे हैं और अगर हम अगले कुछ सालों में 20-25 फीसद का सीएजीआर बनाए रख सकते हैं, तो हम आसानी से 500 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल कर सकते हैं।

চার বছরে 'মিনি রত্ন' হওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালস

এই সময়: আগামী চার বছরের মধ্যে 'মিনি রত্ন' হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বেঙ্গল কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। তবে তার আগে আগামী ২০২২-এর মধ্যে সমস্ত আর্থিক ঋণ পরিশোধ করা হবে। মঙ্গলবার কলকাতায় এই লক্ষ্যমাত্রার কথা জানিয়েছেন বেঙ্গল কেমিক্যালস ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি এম চন্দ্রাইয়া। গত অর্থ বছরে বেঙ্গল কেমিক্যালস তাদের ১১৮ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা নিট মুনাফা করেছে। মোট আয়ের পরিমাণ ১২০ কোটি টাকা। এই নিয়ে টানা তিন বছর মুনাফার মুখ দেখল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি। বেঙ্গল কেমিক্যালস ২০১৫-১৬ সালে ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা নিট লোকসান করেছিল।

চন্দ্রাইয়া বলেন, 'চলতি বছরে বেঙ্গল কেমিক্যালস ভারতের প্রথম ১০০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তালিকায় ঢুকে পড়বে। পাশাপাশি, দেশে যে ১৩টি ফার্মাসিউটিক্যালস কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রয়েছে, তাদের মধ্যে নিট মুনাফার নিরিখে এক নম্বরে বেঙ্গল কেমিক্যালস। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য, মোট আয় ৫০০ কোটি টাকাতে নিয়ে যাওয়া। প্রতি বছর সংস্থার আয় ২৫ থেকে ২৬ শতাংশ বাড়ছে। সেই ধারা বজায় থাকলে তা সহজেই সম্ভব। তাই ২০২৩ সালের মধ্যে মিনি রত্ন তকমা পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।'

কেন্দ্রের কাছে ১০৫ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর। আগামী তিন বছরের মধ্যে সেই ঋণ সংস্থার নিট মুনাফা থেকে পরিশোধ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন চন্দ্রাইয়া। ওই ঋণের উপর ৮৫ কোটি টাকা সুদ মকুব করার জন্য সরকারকে আর্জি জানিয়েছে সংস্থাটি।

কী ভাবে ২০২৫ সালের মধ্যে সংস্থার আয় বর্তমানের তুলনায় চারগুণ বাড়বে? তাঁর কথায়, 'এখন আমাদের বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্য থেকে বছরে ৩০ কোটি টাকার মতো ব্যবসা আসে, যা সহজেই ১০০ কোটি টাকাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অন্য দিকে, ওষুধ থেকে এখন বছরে প্রায় ৬৫ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। কিন্তু, আমাদের যা উৎপাদন ক্ষমতা তাতে একাই ১,০০০ কোটি টাকার ব্যবসা করা সম্ভব।'

বর্তমানে সরকার ও সরকারি সংস্থাগুলিকে ওষুধ সরবরাহ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি। তারা চায় ওষুধের খুচরো বাজারেও প্রবেশ করতে। কারণ, সেটা হলেই তবেই সংস্থার আয় বিপুল বাড়ানো সম্ভব। ওষুধের খুচরো ব্যবসায় প্রবেশ করার জন্য বেঙ্গল কেমিক্যালস-কে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করতে হবে। আর তাতেই সমস্যা। কেন? চন্দ্রাইয়ার ব্যাখ্যা, 'যেহেতু বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর নাম কৌশলগত বিলগ্নিকরণের সংস্থাগুলির তালিকায় রয়েছে, তাই কোনও নয়া নিয়োগের অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্র।' তবে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি আপাতত কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন।

তবে আয় বাড়াতে আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম মারফত পণ্য বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে বেঙ্গল কেমিক্যালস। এখন শুধুমাত্র বিগবাস্কেট-এ তাদের বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্য মেলে। পাশাপাশি, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে সংস্থার কর্মীরা ২০০৭ সালের বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন পাবেন বলে চন্দ্রাইয়ার আশা। বর্তমানে তাঁরা ১৯৯৭ সালের বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন পান। ফলে, নয়া বেতনক্রম চালু হলে কর্মীদের মাসিক বেতন খানিকটা বাড়বে।

আবার মুনাফা বাড়ল বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌সের

আজকালের প্রতিবেদন

মুনাফার অঙ্ক বাড়াল বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌স অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স লিমিটেড। চলতি আর্থিক বছরে তাঁদের মুনাফা হয়েছে ২৫ কোটি টাকা। যা গত দুই আর্থিক বছরের তুলনায় বেশি। লোকসানে চলা এই সংস্থাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে পরপর তিন বছর মুনাফা অর্জন করল। ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে দিয়েছে এই সংস্থাটি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছে ঋণের সুদ মকুবের জন্য। উল্লেখ্য, এবছর এই সংস্থাটি দেশের প্রথম সারির ১০০টি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলবার সংস্থার বার্ষিক আয়–ব্যয়ের হিসাব পেশের অনুষ্ঠানে সংস্থার ডিরেক্টর (ফাইনান্স) এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পিএম চন্দ্রাইয়া বলেন, 'ব্যাঙ্কের কাছে থাকা ২৮ কোটি টাকা দেনা আমরা ২০১৭তে শোধ করে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দেনা আছে ২০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ১১৫ কোটি টাকা আসল এবং ৮৫ কোটি টাকা সুদ। এই সুদ মকুব করার জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছি। আমরা আশাবাদী ২০২২ সালের মধ্যেই আমাদের সংস্থা ঋণমুক্ত হয়ে যাবে। কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সংস্থা সেইভাবেই এগোচ্ছে।'

চলতি আর্থিক বছরে সংস্থা ১২০ কোটি টাকা আয় করেছে বলে তিনি জানান। তবে আবেদন করলেও ফের কবে থেকে সাপের বিষের প্রতিষেধক তাঁরা তৈরি করা শুরু করতে পারবেন তা নিয়ে কিছু জানাতে পারেননি পিএম চন্দ্রাইয়া। যে ক'টি পণ্য এই সংস্থায় উৎপন্ন হয়, সেগুলির মধ্যে কালো ফিনাইল সব থেকে বেশি বিক্রি হয় বলে এদিন জানানো হয়েছে। তবে আগামীদিনে সংস্থার সুগন্ধী ফিনাইলটি আরও নতুন নতুন গন্ধ নিয়ে বাজারে আসছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সংস্থার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচ আর অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) তপন চক্রবর্তী বলেন, 'নির্বাচনের পর গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পণ্যগুলির বিক্রী বাড়ানোর জন্য কমিশন ভিত্তিক 'সেলসম্যান' নিযুক্ত হবে।'

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
बंगाल केमिकलस एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र, उस वर्ष को समाप्त लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मलित है, की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. अधिनियम की धारा 133, प्रासंगिक नियमों के साथ पठित के अंतर्गत निर्धारित भारत में आम-तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में निहित विषयों के सन्दर्भ में कंपनी के इन वित्तीय विवरणों और वित्तीय प्रदर्शन जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दर्शाते हैं, को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा-अभिलेखों का रखरखाव; धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और पता लगाना; उचित लेखा नीतियां जो उचित और दूरदर्शी हैं, का निर्णय और उपयोग करना; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जोकि सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और महत्वपूर्ण गलतफहमी, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से हो, से मुक्त हैं, सम्मलित हैं।

लेखापरिक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जो अधिनियम और प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक हैं।

4. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय विवरणों को दुरुपयोग से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें।

5. एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में मात्रा और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए होता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

एक लेखा परीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

6. लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमानों का उपयोग उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में अनिश्चितता के रूप में नहीं है जो इकाई की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकते हैं, सामयिक तिथि तक उपलब्ध लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हमारी रिपोर्ट, उचित प्रतीत होती है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कंसर्न खत्म हो सकता है।

7. हम विश्वास करते हैं की जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं वो वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय देने के लिए उचित और उपयुक्त आधार हैं।

राय

8. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, अनुलंग्नक I के पैरा (viii) में सरकार से ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के बारे में तथा नोट 2 में मद सं. 2.3 में 307.16 लाख रुपये को अन्य आय के रूप में दर्शाना, के साथ पठित, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से वांछित जानकारी देते हैं और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष, का इसका लाभ और इसका उस तारीख को समाप्त नकदी प्रवाह भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

9. (क) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा आवश्यक है, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I, में दिया है।

   (ख) अधिनियम की धारा 145(5) के तहत आवश्यक, हमने वाणिज्यक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-II, कोलकाता कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों ओर अतिरिक्त निर्देशों पर एक बयान, लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद, उसके ऊपर कार्रवाई करके तथा कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव देखने के बाद, इस रिपोर्ट के अनुलंग्नक II में दिया है।

10. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (a) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

   (b) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं, जो उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती हैं।

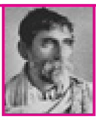

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

(c) कंपनी की इकाइयों के खातों को मुख्यालय में भेज दिया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनको संदर्भित किया गया है।

(d) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, तथा नकद प्रवाह विवरण इकाइयों से प्राप्त खातावाहियों तथा रिटर्न्स के अनुसार हैं।

(e) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण जारी संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, का अनुपालन करते हैं।

(f) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं है, जिसका कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(g) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए, के आधार पर, 31 मार्च, 2019 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(h) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता अनुलग्नक III में दी गई है।

(i) खातों के रखरखाव और प्रासंगिक अन्य मामलों से संबंधित कोई अहर्ता, निग्रह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(j) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

   (i) हमारी जानकारी में कोई भी लंबित मुकद्दमा नहीं आया है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा;

   (ii) कंपनी को लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर हानि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध-I

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (क) में संदर्भित)

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हम बताते हैं कि:

i) (क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है।

(ख) उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

(ग) अचल संपत्तियों का स्वामित्व कंपनी के नाम पर है।

ii) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

iii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

iv) कंपनी के पास धारा 185 के प्रावधान और अधिनियम की धारा 186 के तहत ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।

v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 और 76 के प्रावधानों या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आने वाले जमा को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है।

vi) अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के संबंध में, कंपनी ने ऐसे खातों और रिकॉर्डों को बनाया और बनाए रखा है।

vii) (क) कंपनी के कोलकाता और मुंबई संपत्तियों से संबंधित नगरपालिका कर और भूमि राजस्व के संबंध में 1341.82 लाख रू को छोड़कर, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया हैं, को छोड़कर कंपनी आम तौर पर प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और माल और सेवाओं जैसे अन्य सांविधिक बकाए सहित उचित प्राधिकृत निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करती है।

(ख) आयकर या धन कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं सहित कुल राशि और वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है, परिशिष्ट क में दिए गए हैं।

viii) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। हालाँकि, इसने निम्नानुसार सरकार से ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है। कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र बकाया नहीं था।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

विवरण	मूल राशि (रु लाख में)	उपार्जित ओर देय ब्याज (रु लाख में)
भारत सरकार – योजना ऋण	9478.00	5259.76
भारत सरकार- गैर योजना ऋण	2310.00	3303.02

ix) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगली सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रतिभूतियों सहित) के माध्यम से एकत्र धन कंपनी पर लागू नहीं थे। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया।

x) लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किए गए कोई भी धोखाधड़ी संज्ञान में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट की गई है।

xi) अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची V के अनुसार कंपनी द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/ प्रदान नहीं किया गया है।

xii) यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह निधि कंपनी नहीं है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 में परिभाषित किया गया है।

xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान अंशों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।

xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन में नहीं किया है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

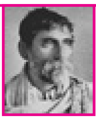

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

परिशिष्ट क

बकाया जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं

(अनुलंग्नक I में पैरा (vii) (ख) में संदर्भित)

अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रूपए लाख में)	जिस अवधि से बकाया संबंधित हैं	फोरम जहां विवाद लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम	उत्पाद शुल्क	41.82	जुलाई 1997 से जून, 2001	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		36.49	जुलाई 2001 से अप्रैल, 2003	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		21.41	मार्च,1985 से जुलाई 1986	आयुक्त (अपील), कोलकाता
		10.94	अप्रैल 1988 से मार्च, 1990	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		41.06	जुलाई, 1987	आयुक्त (अपील), कोलकाता
		41.08	सितम्बर 1989 से फरवरी 1994	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		1.22	सितम्बर 1999	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		1.51	2015-16	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, खरदाह डिवीजन के अधीक्षक
		0.15	2016-17	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बड़ाबाजार डिवीजन के अधीक्षक
	केन्द्रीय बिक्री कर	21.42	2003-2004	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		292.50	2004-2005	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		440.53	2005-2006	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		294.97	2006-2007	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		16.36	2008-2009	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		5.63	2009-2010	अपीलीय प्राधिकरण
		92.13	2010-2011	अपीलीय प्राधिकरण
		3.01	2011-12	अपीलीय प्राधिकरण
		2.22	2012-13	अपीलीय प्राधिकरण
		4.51	2013-14	अपीलीय प्राधिकरण
		1.89	2012-13	वरिष्ठ सयुंक्त आयुक्त, धर्मतल्ला

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

परिशिष्ट क

बकाया जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं

(अनुलंग्नक I में पैरा (vii) (ख) में संदर्भित)

अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रूपए लाख में)	जिस अवधि से बकाया संबंधित हैं	फोरम जहां विवाद लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम	मूल्य वर्धित कर	119.58	2004-2005	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		101.61	2005-2006	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		49.52	2006-2007	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		265.27	2007-2008	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		629.83	2008-2009	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		205.66	2009-2010	अपीलीय प्राधिकरण
		88.21	2010-2011	अपीलीय प्राधिकरण
		93.45	2011-2012	अपीलीय प्राधिकरण
		42.29	2012-2013	अपीलीय प्राधिकरण
		9.74	2012-2013	वरिष्ठ सयुंक्त आयुक्त, धर्मतल्ला

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

अनुलंग्नक II

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (ख) में संदर्भित)

वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशा-निर्देश

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखों की अखंडता पर निहितार्थ, यदि कोई हो, तो दर्शाएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर किसी भी तरह के लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की जाती है।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी के ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है अथवा ऋण/ब्याज आदि की छूट दी गई है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ बताया जा सकता है।	किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है। 31 मार्च 2018 को "दीर्घावधि ऋण" (नोट सं.5.) के तहत अवधि ऋण, पश्चिम बंगाल बिक्री कर ऋण के खाते में 82.48 लाख रुपए के मूल राशि के तहत307.16 लाख रुपए अर्जित ब्याज शामिल था। कंपनी द्वारा नवंबर 2018 में ऋण की पूरी मूल राशि चुका दी गई है। उपार्जित ब्याज की अब तक मांग नहीं की गई है, कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय वित्त मंत्री के समक्ष इसकी छूट हेतु एक प्रार्थना कर अनुरोध किया है। इस प्रार्थना के आधार पर, जो उपयुक्त अधिकारियों को उनके अनुकूल विचार के लिए भेज दी गई थी, कंपनी ने 307.16 लाख रुपये की उक्त राशि "अन्य आय" के रूप में वापस लिखी है।
3	क्या केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का, उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	कंपनी द्वारा केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन प्राप्त/ प्राप्य नहीं है।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

अनुलंग्नक क

वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

1	अतिक्रमण के तहत भूमि का क्षेत्र बताएं, यदि कोई हो, और उसे हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में संक्षेप में बताएं।	प्रबंधन द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार, भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

एम चौधरी एंड कं०

चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068

दूरभाष: (033) 2429-2417

ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध-III

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 10 (ज) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2019 की तारीख को कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वितीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वितीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किये गए निर्देशों (गाइडेंस नोट्स) में वर्णित महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वितीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंडो के आधार पर आतंरिक वितीय नियंत्रण की स्थापना और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकना, लेख-अभिलेखों की पूर्णता और सटीकता के लिए, और विश्वशनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आतंरिक वितीय नियंत्रण की रूपरेखा, लागू करना और बनाए रखना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट तथा लेखा परीक्षा मानकों ("मानक") के अनुसार की है, जो आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं, और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत समझी गई हों। उन मानकों और गाइडेंस नोट्स की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें कि उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

4. हमारी लेखापरीक्षा करने की प्रक्रियाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में, महत्वपूर्ण कमजोरी वाले जोखिमों का आंकलन, रूपरेखा का परीक्षण और मूल्यांकन, और आंके गए जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण परिचालन प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयान, चाहे वो गलती से हो या धोखाधड़ी से, के जोखिम का आंकलन सम्मलित है, पर निर्भर करती है।

5. हम विश्वास करते हैं कि ऑडिट अभिलेख जो हमने प्राप्त किए हैं, वो पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए यथोचित आधार प्रदान करते हैं।

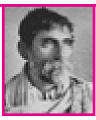

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

6. एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया आम तौर पर सामान्य स्वीकृत लेखांकीय सिद्धांतों के प्रयोजनों के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्य के लिए बनाये गए वित्तीय विवरणों के लिए बनाई जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो:

   (i) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति का उचित व्यौरा, और लेनदेन को सही और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है;

   (ii) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेनों का रिकॉर्ड, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों में अनुज्ञप्त के अनुसार किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुज्ञा के अनुसार किये जाते हैं; तथा

   (iii) समय पर अनाधिकृत अधिग्रहण या रोकथाम, उपयोग, या कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति का पता लगाने जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसके लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं के कारण भ्रम अथवा अनुचित प्रबंधन नियंत्रण, महत्वपूर्ण गलत बयान त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न होने की संभावना है और जिसे पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों के जोखिम के अधीन हैं क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त बन सकते हैं अथवा नीतियों और प्रक्रिआओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

राय

8. हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2019 को आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जारी गाइडेंस नोट्स में वर्णित आतंरिक नियंत्रण के प्रमुख घटकों पर विचार कर के सभी मामलों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रभावशाली संचालन किया है।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
दूरभाष: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु **बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वाणिज्यक लेखापरीक्षा के महानिदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-II, कोलकाता के सभी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन किया है।

एम चौधरी एंड कं०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

29 अप्रैल 2019
कोलकाता

2018-19 के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
10	क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं
	ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं, जो उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ग) कंपनी की इकाइयों के खातों को मुख्यालय में भेज दिया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनको संदर्भित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	घ) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पात्र, लाभ एवं हानि विवरण, तथा नकद प्रवाह विवरण इकाइयों से प्राप्त खातावाहियों तथा रिटर्न्स के अनुसार हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण जारी संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	च) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं है, जिसका कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।	कोई टिप्पणी नहीं
	छ) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए, के आधार पर, 31 मार्च, 2019 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
	ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता अनुलग्नक III में दी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
	झ) खातों के रखरखाव और प्रासंगिक अन्य मामलों से संबंधित कोई अहर्ता, निग्रह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

2018-19 के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
	ञ (कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में: (i) हमारी जानकारी में कोई भी लंबित मुकद्दमा नहीं आया है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा; (ii) कंपनी को लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर हानि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी। (iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में धन का हस्तांतरण कंपनी पर लागू नहीं था।	कोई टिप्पणी नहीं
(i)	क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है। ख) उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं। (ग) अचल संपत्तियों का स्वामित्व कंपनी के नाम पर है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii)	प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गईं।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii)	कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पक्षों को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iv)	कंपनी के पास धारा 185 के प्रावधान और अधिनियम की धारा 186 के तहत ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

2018-19 के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>लेखा परीक्षकों की टिप्पणी</th><th>प्रबंधन वर्ग का उत्तर</th></tr>
<tr><td>(v)</td><td>कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आने वाले जमा को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के संबंध में, कंपनी ने ऐसे खातों और रिकॉर्डों को बनाया और बनाए रखा है।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>क) कंपनी के कोलकाता और मुंबई संपत्तियों से संबंधित नगरपालिका कर और भूमि राजस्व के संबंध में 1341.82 लाख रू को छोड़कर, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया हैं, को छोड़कर कंपनी आम तौर पर प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और माल और सेवाओं जैसे अन्य सांविधिक बकाए सहित उचित प्राधिकृत निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करती है।

ख) आयकर या धन कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं सहित कुल राशि और वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है, परिशिष्ट क में दिए गए हैं।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। हालाँकि, इसने निम्नानुसार सरकार से ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है। कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र बकाया नहीं था।

<table>
<tr><th>विवरण</th><th>मूल राशि (रु लाख में)</th><th>उपार्जित ओर देय ब्याज (रु लाख में)</th></tr>
<tr><td>भारत सरकार – योजना ऋण</td><td>9478.00</td><td>5259.76</td></tr>
<tr><td>भारत सरकार- गैर योजना ऋण</td><td>2310.00</td><td>3303.02</td></tr>
</table></td><td>कंपनी ने भारत सरकार के ऋणों को चुकाना शुरू कर दिया और 2017-18 और 2018-19 के दौरान ऋण की आंशिक राशि चुका दी है।</td></tr>
</table>

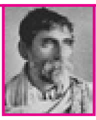

2018-19 के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
(ix)	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगली सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रतिभूतियों सहित) के माध्यम से एकत्र धन कंपनी पर लागू नहीं थे। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
(x)	लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किए गए कोई भी धोखाधड़ी संज्ञान में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi)	अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची V के अनुसार कंपनी द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/ प्रदान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xii)	यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह निधि कंपनी नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 में परिभाषित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiv)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी तरह का अधिमानी आवंटन या अंशों के निजी आवंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xv)	कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvi)	कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी।	कोई टिप्पणी नहीं

2018-19 के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
	अनुलंग्नक II	
1	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर किसी भी तरह के लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की जाती है।	कोई टिप्पणी नहीं
2	किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है। 31 मार्च 2018 को "दीर्घावधि ऋण" (नोट सं. 5) के तहत अवधि ऋण, पश्चिम बंगाल बिक्री कर ऋण के खाते में 82.48 लाख रुपए के मूल राशि के तहत 307.16 लाख रुपए अर्जित ब्याज शामिल था। कंपनी द्वारा नवंबर 2018 में ऋण की पूरी मूल राशि चुका दी गई है। उपार्जित ब्याज की अब तक मांग नहीं की गई है, कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय वित्त मंत्री के समक्ष इसकी छूट हेतु एक प्रार्थना कर अनुरोध किया है। इस प्रार्थना के आधार पर, जो उपयुक्त अधिकारियों को उनके अनुकूल विचार के लिए भेज दी गई थी, कंपनी ने 307.16 लाख रुपये की उक्त राशि “अन्य आय” के रूप में वापस लिखी है।	कोई टिप्पणी नहीं
3	कंपनी द्वारा केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन प्राप्त/ प्राप्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
	अनुलंग्नक क	
1	प्रबंधन द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार, भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं

ह/-

(पीएम चंद्रय्या)

प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं

निदेशक (वित्त)

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

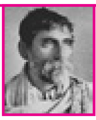

শতাব্দী প্রাচীন বেঙ্গল কেমিক্যাল এবার নতুন দিশায়

সাংবাদিক বৈঠকে বেঙ্গল কেমিক্যালের আধিকারিকেরা। মঙ্গলবার।

Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited eyes profit of Rs 150 cr in 2024-25

OUR CORRESPONDENT

The company, which had reported a net profit of Rs 4.5 crore in 2016-17, for the first time in six decades has made an income of Rs 120 crore and a profit of Rs 25 crore in fiscal 2018-19 and presently stands in the first position among the 13 PSUs in the health and pharma sector across the country

KOLKATA: Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited (BCPL) is eyeing a turnover of Rs 500 crore with a profit of Rs 150 crore in the financial year 2024-25.

This was announced by the company's managing director PM Chandraiah while sharing the company's financial results for the year 2018-19 on Tuesday.

The company, which had reported a net profit of Rs 4.5 crore in 2016-17, for the first time in six decades has made an income of Rs 120 crore and a profit of Rs 25 crore in fiscal 2018-19 and presently stands in the first position among the 13 PSUs in the health and pharma sector across the country.

"We have already started to push our products — primarily home care and personal care products — in the e-commerce sites too. At present, our FMCG offerings are available on Big Basket. We are in talks with some other e-commerce

portals and also leading retail chains such as Spencers and Big Bazaar," Chandraiah said. The company is hopeful of becoming a debt free organisation by 2022 and will be able to wipe off bank loans entirely.

"The present loan to the central government is to the tune of Rs 200 crore out of which Rs 85 crore is the interest. We have already written to the Ministry of Pharma and Ministry of Health and Family Welfare pleading for interest waiver. If they are kind enough to waive off the interest we will clear the accumulated losses earlier than 2023," he added.

The company had paid Rs 15 and Rs 15 crores, respectively in 2016-17 and 2017-18 to clear the bank loans.

Founded by legendary chemist Acharya Prafulla Chandra Roy in 1901, BCPL has improved its performance from Poor Corporate Governance Rating in 2013-14 to Excellent Corporate Governance Rating from 2015-16 onwards.

Out of 13 PSUs, under the union Ministry of Pharma and Ministry of Health and Family Welfare, BCPL is the only PSU which has been awarded the Excellent Corporate Governance Rating for the year 2017-18.

According to Chandraiah, the Excellent Corporate Governance Rating shows that the company has improved not only in financial front but also in other areas. The company that presently earns Rs40 crore revenue from medicines is in talks with the state government so that they get orders for medicines. Presently, the municipalities procure bleaching powder from BCPL. The company has earmarked one deputy manager for the purpose of taking it over with the state so that they place orders for antibiotics, ointments and other medicines.

২০২৫ সালে ৫০০ কোটি টাকা ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা বেঙ্গল কেমিক্যালসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার সংস্থা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে চায় বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। বর্তমানে সংস্থাটি ২৭ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারলে সেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করলেন বেঙ্গল কেমিক্যালসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ডিরেক্টর (ফিনান্স) পি এম চন্দ্রাইয়া। তিনি বলেন, আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি নজর দিচ্ছি ফিনাইল, তরল সাবানের মতো গৃহস্থালির পণ্যে। তার বিপণন বাড়াতে অনলাইন সংস্থা ও বহু শাখা বিপণির সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। ওই ধরনের ব্যবসার অঙ্ক এখন ৩০ কোটি টাকা। তাকেই বাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা। পাশাপাশি এমডি জানিয়েছেন, ২০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে তাঁদের ৮৫ কোটি টাকা সুদ বকেয়া আছে। সুদ ও আসল মিটিয়ে তাঁরা আর্থিকভাবে আরও দৃঢ় হতে পারেন। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে নিজেদের ঋণমুক্ত সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান তাঁরা। গত আর্থিক বছরে বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রায় ২৫ কোটি টাকা নিট লাভ করেছে। মোট আয়ের অঙ্ক ১২০ কোটি টাকা।

Bengal Chemicals plans to be debt-free in three years

AGE CORRESPONENT
KOLKATA, APRIL 30

India's oldest pharma company, Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BCPL), which has been on the profit-making path for the past two consecutive years after five decades of its nationalisation, is gearing up to become a debt-free company within next three years.

Once debt-free, the Kolkata-headquartered Central government entreprise will strive for getting the coveted mini-Ratna status among the Central public sector enterprises category. This was announced by the company's managing director (additional charge) and director finance P.M. Chandraiah while sharing the roadmap on Tuesday.

"We hope our company will be debt free by 2022. The present figure of debt amount stands at ₹200 crore out of which ₹85 crore account for interest on the principal amount. We have written to the ministry to waive the interest amount. We are looking at getting Mini-Ratna status by 2023 followed by ₹ 500 crore entity by 2025," he said.

Mr Chandraiah informed that BCPL still have an accumulated loss of ₹221 crore which would be wiped out in 2023. "We expect a growth rate of 20-25 per cent year on year basis. In 2018-19 FY, our company is likely to clock a net profit of ₹25 crore which is to grow up to ₹35 crore," he elaborated.

Eyes mini-Ratna

- The Kolkata-headquartered Central government entreprise will strive for getting the coveted mini-Ratna status among the Central public sector enterprises category

बंगाल केमिकल्स ने रखा 500 करोड़ रु. की आमदनी का लक्ष्य

सन्मार्ग संवाददाता, कोलकाता : भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी 400 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ देश की शीर्ष 100 सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शामिल हो गई है। निर्देशक पीएम चन्द्रय्या ने बताया कि 2018-19 वर्ष में 25 करोड़ रुपये के कुल लाभ के साथ 120 करोड़ रुपये की कुल आमदनी के बाद अब हमने 2025 तक 500 करोड़ रुपये की शीर्ष आमदनी का लक्ष्य बनाया है। वहीं पिछले साल 2017-18 में 10 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था। जबकि इससे इसके पहले वर्ष 2016-17 में केवल बंगाल केमिकल्स ने 4.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया और कुल 110 करोड़ रुपये की आय हुई। तब से, इसके वित्तीय स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले पांच वर्षों से, हम 27 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ रहे हैं और अगर हम आगले कुछ वर्षों के लिए 20-25 प्रतिशत का सीएजीआर बनाए रखने में सक्षम हैं, तो हम आसानी से 500 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल कर सकते हैं। उनके अनुसार, फिनेल, कीटाणुनाशक, फर्श और टॉयलेट क्लीनर जैसे घरेलू उत्पादों की बिक्री से योगदान 30 करोड़ रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि जेनेरिक दवाओं से 65 करोड़ रुपये की कमाई बढ़ेगी। कंपनी का वर्तमान में संचित घाटा 221 करोड़ रुपये का जिक्र करते हुए चन्द्रय्या ने उम्मीद जताई कि अगले चार वर्षों में कंपनी घाटे से मुक्ति पा लेगी।

মুনাফা করল বেঙ্গল কেম

নিজস্ব সংবাদদাতা

বছর তিনেক আগে বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালসে বেসরকারি লগ্নির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র। কলকাতা হাইকোর্ট তা খারিজ করায় আপাতত সেটি থমকে। এর মধ্যে পর পর তিন বছর মুনাফা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম ওষুধ সংস্থাটি। মঙ্গলবার সংস্থার কার্যনির্বাহী ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি এম চন্দ্রাইয়া জানান, গত অর্থবর্ষে ২৫ কোটি টাকা নিট মুনাফা হয়েছে। যা রেকর্ড। তাঁর দাবি, সব ঠিকঠাক চললে ২০২২-এর মধ্যে সংস্থা ঋণ মুক্ত হয়ে ২০২৩ সালে মিনিরত্ন স্বীকৃতি পাবে।

অতীত পরিসংখ্যান ঘেঁটে এ দিন তাঁরা জানান, এর আগে ১৯৬৬-৬৭ সালে ব্যবসা থেকে মুনাফা করেছিল সংস্থা। তার পরে যে ক'বার সামান্য মুনাফা হয়েছে, প্রতিবারই মূলত সংস্থা জমির একাংশ বিক্রি করেই তা হয়েছে। না হলে লোকসান হত। চন্দ্রাইয়ার দাবি, "গত তিন বছরে জমি বিক্রি না করেই লাভ বাড়িয়েছি।"

31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र

(रूपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों के फंड:					
अंश पूँजी	3	7,696.04		7,696.04	
संचय एवं अधिशेष	4	(14,374.46)		(16,900.36)	
			(6,678.42)		(9,204.32)
गैर चालू देयताएं:					
दीर्घावधि ऋण	5	20,072.78		21,021.23	
अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	574.54		547.74	
दीर्घावधि प्रावधान	7	727.29		950.86	
			21,374.61		22,519.83
चालू देयताएं:					
अल्पावधि ऋण					
व्यापर भुगतान	8	2,616.35		3,394.10	
अन्य चालू देयताएं	9	3,280.20		3,670.27	
अल्पावधि प्रावधान	10	299.34		355.57	
			6,195.89		7,419.94
कुल देयताएं			**20,892.08**		**20,735.45**
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां:					
अचल संपत्तियां:					
मूर्त संपत्तियां	11	9,782.75		10,286.73	
कार्यशील पूँजी	12	4,754.67		4,754.28	
			14,537.42		15,041.01
चालू संपत्तियां:					
इन्वेंटरीज	13	1,708.03		1,969.85	
व्यापार प्राप्य	14	3,521.31		2,252.32	
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15	63.36		242.09	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	380.79		653.15	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	681.17		577.03	
			6,354.66		5,694.44
कुल परिसंपत्तियां			**20,892.08**		**20,735.45**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1	-	-
खातों पर नोट	2		

उपर्युक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक(वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/ विभागाध्यक्ष

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
संचालन से राजस्व (सकल)	18	10,050.06		7,882.98	
घटाएं: उत्पाद शुल्क		-		81.83	
संचालन से राजस्व (शुद्ध)			10,050.06		7,801.15
अन्य आय	19		1,917.08		1,678.62
कुल आय			11,967.14		9,479.77
व्यय					
कच्चे माल की खपत	20		5,270.05		4,501.07
इनवेन्ट्रीज में परिवर्तन	21		262.33		(340.17)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	22		1,478.63		1,470.47
वित्त लागत	23		245.08		905.47
अन्य व्यय	24		1,672.97		1,424.97
मूल्यह्रास	11		512.18		512.20
कुल व्यय			9,441.24		8,474.01
कर-पूर्व लाभ			2,525.90		1,005.76
कर व्यय			-		-
कर के बाद लाभ (हानि)			2,525.90		1,005.76
1000/- रूपए के अंकित मूल्य वाले शेयर की प्रति शेयर कमाई (बेसिक और डाइलुटेड), रुपए में			328.21		130.69

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1
खातों पर नोट	2

उपर्युक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक(वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/ विभागाध्यक्ष

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
क प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
असाधारण मदों एवं कर से पहले शुद्ध लाभ	(i)		2,525.90		1,005.76
समायोजन					
मूल्यह्रास		512.18		512.20	
वित्तीय लागत		245.08		905.47	
ब्याज आय		-4.85		-18.76	
संपत्तियों से किराया		-1,409.62		-1,387.28	
अन्य		-160.79		-272.58	
वापस लिखे गए प्रावधान		-341.82		0.00	
संदिग्ध प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान		26.46		15.32	
अन्य (लाइव स्टॉक को बट्टे खाते में डाला गया)		0.00		4.95	
पूर्वावधि समायोजन		0.05		-187.76	
	(ii)		-1,133.31		-428.44
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	(iii)=(i+ii)		1,392.59		577.32
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:					
संचालन संपत्तियों में वृद्धि/ (कमी) का समायोजन :					
इन्वेंटरीज		261.82		-502.47	
व्यापार प्राप्य योग्य		-1,224.37		-87.48	
लघु अवधि ऋण और अग्रिम		202.95		-41.95	
अन्य चालू परिसंपत्तियां		10.51		46.08	
	(iv)		-749.09		-585.82
परिचालन देयताओ में वृद्धि/ (कमी) हेतु समायोजन					
व्यापार देय		-777.75		-431.47	
अन्य चालू देयताएं (अन्य देय)		-353.46		-382.25	
लघु अवधि प्रावधान		-78.90		-9.98	
दीर्घावधि प्रावधान		-223.57		-428.50	
असाधारण मदें		0.00		0.00	
	(v)		-1,433.68		-1,252.20
परिचालन से उत्पन्न रोकड़	(vi)=		-790.18		-1,260.70
(परिचालन गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निवल रोकड़ प्रवाह)	(iii+iv+v)		-790.18		-1,260.70

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक(वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/ विभागाध्यक्ष

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

(अविच्छिन्नित...2)

पृष्ठ-2

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
ख निवेश गतिविधियो से रोकड़ प्रवाह:				
डब्लुआइपी, अचल परिसम्पतियों पर पूंजी व्यय	-8.59		-156.53	
बैंक शेष, नगद और नगद				
समकक्ष नहीं माना गया				
परिपक्व सावधि जमा	125.16		1,082.29	
किरायेदारों से जमा	26.80		19.61	
प्राप्त ब्याज	4.85		18.76	
संपत्ति के निवेश किराए की आय	1,409.62		1,259.85	
अन्य (दावे)	160.79	1,718.63	272.59	2,496.57
ग वित्तीय गतिविधियो से रोकड़ प्रवाह विवरण				
दीर्घावधि ऋण	-932.48			
लधु अवधि ऋण	0.00		-1,271.08	
वित्तीय लागत	-47.42	-979.90	-68.42	-1,339.50
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/ (कमी) क+ख+ग		-51.45		-103.63
साल की शुरुवात में नकद और नकद समकक्ष		58.92		163.55
साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष		5.35		59.92
नकद और नकद समकक्ष का मिलान				
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष		63.36		242.09
घटाएं: टर्म डिपाजिट जिन्हें नकद और नकद समतुल्य				
नहीं माना गया		58.01		183.17
निवल नकद तथा नकद समतुल्य		5.35		58.92
वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य				
रोकड़	0.32		0.25	
चेक	0.00		0.00	
बैंक में चालू खाते में शेष	5.03	5.35	58.67	58.92

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक(वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/ विभागाध्यक्ष

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

1.0 वर्ष 2018-19 की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अुनसार बनाया और प्रस्तुत किया गया है। जीएएपी में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133, अधिनियम के प्रावधानों (जहां तक अधिसूचित किए गए हैं) के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक सम्मलित हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत उपचय के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जब नए लेखांकन मानकों को प्रारंभिक तौर पर अपनाया गया हो अथवा मौजूदा लेखांकन मानकों में संशोधन के कारण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना पड़े, के अलावा लेखांकन नीतियों का निरंतर उपयोग किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग:

सामान्य स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों में वांछित निर्णयों अनुमानों और वितियों विवरणों की तिथि को देयताओं और परिसम्पतियों की रिपोर्टेड राशि, आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्टेड राशि को प्रभावी बनाने की धारणाओं के अनुसार वितीय विवरणों को तैयार किया जाता है।

लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम भी इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। प्रबंधन के अनुमानों के आस-पास की परिस्थितियों में परिवर्तन से अवगत होने पर अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किये जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि के वितीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं, और यदि महत्वपूर्ण हो तो इनके प्रभावों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोट्स में किया जाता है।

1.3 चालू/ गैर- चालू संपत्ति एवं देयतायों का वर्गीकरण

सभी परिसम्पत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचलन सामान्य चक्र के अनुसार चालू/ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसम्पत्तियां

एक परिसंपत्ति को चालू तभी माना जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को संतुष्ट करती हो :

(i) इसकी वसूली होने की उम्मीद या बिक्री या क्षय के लिए आशायित, कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में हो ;

(ii) मुख्य रुप से कारोबार के लिए रखी गई हो ;

(iii) रिपोर्टिंग की तारीख से 12 महीने के अंदर वसूल होने की उम्मीद हो; अथवा

(iv) यह नकद व नकद समतुल्य है जब तक यह आदान-प्रदान या रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीने के लिए एक दायित्व व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से प्रतिबंधित है.

देयताएं

देयताएँ चालू तभी मानी जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को संतुष्ट करती हो:

(i) कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में ही इसका निपटारा होने की उम्मीद हो;

(ii) मुख्य रुप से कारोबार के लिए रखी गई हो ;

(iii) रिपोर्टिंग की तारीख से 12 महीने के अंदर इसके निपटारा होने की उम्मीद हो; अथवा

(iv) कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान करने का एक बेशर्त अधिकार नहीं है। देनदारियों की शर्तें, प्रतिपक्ष के विकल्प, इक्वटी को जारी कर इसका निपटान आदि इसके वर्गीकरण को प्रभावित न कर सके।

चालू सम्पत्तियां और चालू देनदारियां क्रमशः वित्तीय सम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की चालू स्थिति को शामिल करती है। बाकी सभी सम्पत्तियों को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संचालन चक्र:

संचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

1.4 अचल संपत्तियां:

(क) मूर्त सम्पत्तियां

(i) मूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण या निर्माण लागत पर वर्णित किया जाता है और सम्पत्ति के पुर्नमूल्यांकन का मूल्य जोड़कर और संचित मूल्यहास और हानि का मूल्य घटाकर इसमें निहित होता है। मूर्त अचल संपत्ति के एक मद की लागत में इसका खरीद मूल्य सहित आयात शुल्क और अन्य गैर-वापसीयोग्य कर या करारोपण और इसके उपयोग की जाने वाली जगह के लिए परिसंपत्ति को अपनी कार्यशील स्थिति में लाने की कोई विशेष लागत आदि शामिल है। क्रय मूल्य तक पहुँचने के लिए व्यापारिक छूट या रिबेट को घटा दिया जाता है। अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए चुकाए गए भुगतानों को तुलन पत्र की तिथि को दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत अदत्त दिखाया जाता है और जिन सम्पत्तियों को समय के पूर्व इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें ‘प्रगति कार्य’ में दिखाते है।

(ii) मूर्त सम्पतियों की मद से संबधित अनुवर्ती खर्चे तभी पूँजीकृत किये जाते हैं, जब भविष्य के लाभों को वर्तमान सम्पतियों से इसके पिछले मूल्यांकित प्रदर्शन स्तर में वृद्धि करे।

(iii)निर्माण समय के दौरान कमीशनिंग की तिथि तक किए गए आकस्मिक खर्चे पूंजीकृत किये जाते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्तियां

(i) अमूर्त संपत्तियों में ब्रैंड, ट्रेडमार्क और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, आदि सम्मलित हैं, जो लागत से संचित परिशोधन और हानि को घटाकर दिखाई जाती हैं, सम्मलित हैं। अमूर्त अचल सम्पति की लागत में आयात शुल्क और अन्य अप्रतिदेय कर और करारोपण और संपत्ति को इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किए गए अन्य खर्च सहित क्रय मूल्य सम्मलित है। क्रय मूल्य तक पहुचने के लिए अन्य ब्यापारिक छूट और रिबेट को घटा दिया जाता है। अमूर्त सम्पतियों के अधिग्रहण के लिए चुकाए गए अग्रिमों के बकायों को प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि को दीर्घावधि ऋण और अग्रिमो के अंतर्गत दर्शाया जाता है और और जो सम्पत्तियां इस्तेमाल के लिए समाप्त अवधि से पूर्व तैयार नहीं हैं, उनको विकासशील अमूर्त अचल संपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) अनुवर्ती खर्चे तभी पूँजीकृत किये जाते हैं जब यह विशिष्ट सम्पत्ति से संबधित हो और भविष्य के आर्थिक लाभ में वृद्धि करे।

1.5 वस्तु एवं सेवा कर:

कंपनी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू दरों पर उपलब्ध इनपुट क्रेडिट के समायोजन के अधीन वस्तु और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति पर चार्ज किया जाता है।

1.6 मूल्यहास/ परिशोधन:

अवमूल्यन किसी सम्पत्ति की कीमत, या कीमत में लगे घटित मूल्य या बचे हुए मूल्य से घटे हुए मूल्य को कहते हैं।

वर्ष के दौरान अभिगृहीत मूर्त अचल संपत्तियों (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और कार्यपूंजी) के संबंध में, मूल्यहास/ परिशोधन स्ट्रेट लाइन आधार पर चार्ज किया जाता है ताकि संपत्तियों के उपयोगी जीवन काल में इनकी लागत को बट्टे खाते में डाला जा सके और जो सम्पत्तियां 1 अप्रैल 2014 से पहले खरीदी गयी हैं उनकी 1 अप्रैल 2014 को लाई गयी राशि बचे हुए उपयोगी जीवनकाल में ह्ञषित की जाती है। उपयोगी जीवनकाल कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के भाग-सी के समान है।

अमूर्त अचल संपत्तियों का परिशोधन उनसे संबंधित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर कंपनी में सम्पति की उपयोग के लिए उपलब्धता की तिथि से शुरू करके स्ट्रेट लाइन के अनुसार किया जाता है।

1.7 ऋण लागत:

योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए निर्दिष्ट ऋण लागत, उन संपत्तियों के पूंजीकरण की तिथि तक उस पूँजी के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है। एक योग्य संपत्ति वह है जो इसके वांछित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के ब्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिस अवधि में वे किये गए हैं और लाभ और हानि विवरण से चार्ज किया जाता है।

1.8 देयताएं:

पूँजी और राजस्व दोनों तरह के प्रकृति के क्रयों के संबंध में देयता जारी सामग्री आवक पर्ची की तिथि के आधार पर लेखबद्ध की जाती है।

1.9 परिसंपत्तियों की हानि:

परिसंपत्ति को ख़राब तब माना जाता है, जब सम्पत्ति की रख-रखाव लागत इसकी वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाती है। एक ख़राब हानि उस वर्ष के लाभ हानि विवरण से चार्ज की जाती है, जिसमे संपत्ति ख़राब मानी गयी हो। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हो, तो पूर्व लेखावधि में स्वीकृत ख़राब हानि उत्क्रम की जाएगी।

1.10 निवेश:

(i) निवेश जो तात्कालिक वसूली योग्य और जिस तिथि में वह निवेश किया गया है, से बारह महीने से अधिक धारण नहीं करते, को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेश दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

(ii) प्रारंभिक स्वीकृति में, सभी निवेशों को लागत के रूप में मापा जाता है। लागत, क्रय मूल्य और दलाली, फीस और शुल्क जैसे प्रत्यक्ष निर्दिष्ट अधिग्रहण खर्चों को सम्मलित करती है। यदि निवेश अधिग्रहण और आंशिक अधिग्रहण अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियां जारी करके किया गया हो तो अधिग्रहण लागत जारी प्रतिभूतियों का उचित मूल्य होगी। यदि निवेश अन्य संपत्ति के विनिमय में अधिगृहित की गयी हो तो अधिग्रहण की गयी संपत्ति के उचित मूल्य के सन्दर्भ में अथवा अधिगृहित निवेश के उचित मूल्य, जो भी स्पष्ट साक्ष्य हो, के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

(iii) चालू निवेश निम्नतम लागत और व्यक्तिगत निवेश के लिए निर्धारित उचित मूल्य के आधार पर वितीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं। दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं। यधपि, मूल्य में गिराबट के लिए प्रावधान, मूल्य में अस्थाई गिराबट को छोड़ कर निर्धारित किये जाते हैं।

(iv) एक निवेश के अपवहन पर, इसकी वहन राशि और शुद्ध अपवहन प्राप्त आय के बीच के अंतर को चार्ज किया जाता है अथवा लाभ-हानि के विवरण में आकलित किया जाता है।

1.11 सरकारी अनुदान:

(i) <u>पूंजी अनुदान/ सब्सिडी:</u> विशिष्ट परिसम्पतियों से सबंधित पूँजी अनुदान/ सब्सिडी को परिसंपत्तियों के सकल मूल्यों से कम किया जाता है और परियोजनाओं के लिए पूंजी अनुदान के लिए पूंजी अनुदान पूँजी आरक्षित खाते में क्रेडिट किया जाता है एवं अपेक्षित शर्तें पूरी होने तक रखा जाता है।

(ii) <u>राजस्व अनुदान/ सब्सिडी:</u>

क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन और बकाया वेतन हेतु भारत सरकार की ओर से प्राप्त सहायक अनुदान को लाभ और हानि खाते के माध्यम से संबंधित लागत से मिलाया जाता है। अप्रयुक्त अनुदान चालू दायित्वों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं।

ख) अन्य सभी राजस्व अनुदान लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किए जाते हैं।

1.12 राजस्व मान्यता:

(i) सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से राजस्व तब स्वीकार्य होता है जब माल में संपत्ति, या सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं उनके स्वामित्व के प्रतिफल ग्राहकों को स्थानांतरित कर दिये जाते हैं और प्रतिफल की राशि जो वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न होगी, से संबंधित और इसकी वसूली से संबधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता ना रहे। राजस्व में उत्पाद शुल्क और लागू निवल बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ जीएसटी और लागू निवल छूट और भत्ते सम्मलित होते हैं।

(ii) बिक्री वापसी उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिसमें ग्राहकों से वापिस हुई हो।

(iii) रॉयल्टी, चरणबद्ध भुगतान, टेकनिकल नो-हाउ एरेंज्मेंट्स, विशिष्टता और पेटेंट सेटलमेंट और लाइसेंसिंग एरेंज्मेंट्स से प्राप्त आय को प्रासंगिक समझौते की शर्तों के अनुसार एक प्रोद्भवन आधार पर लिया जाता है। कोई भी गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क समझौते की शर्तें स्ट्रेट लाइन आधार पर स्वीकार्य हैं।

(iv) निर्यात प्रोत्साहन आय के रूप में स्वीकार्य हैं जब किए गए निर्यात के संबंध में योजना की स्थापित शर्तों के अनुसार क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार हो और जहां प्रासंगिक निर्यात आय का अंतिम संग्रह के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता न है।

(v) निवेश के निपटान/ बिक्री पर लाभ उस अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें निवेश बेचा जाता है/ निपटारा होता है।

(vi) लाभांश आय तब स्वीकार्य है, जब आय प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार्य हो जाए। ब्याज आय बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर अनुपात अवधि के आधार पर स्वीकार्य होती है। ऋण प्रतिभूतियों पर छूट और प्रीमियम परिपक्व अवधि पर अर्जित होता है।

(vii) किराए पर दी गई संपत्तियों से हुई किराया आय, किरायेदार के साथ किए गए समझौते के अनुसार उपचय आधार पर स्वीकार्य होती है।

1.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद:

विदेशी मुद्रा में लेन-देन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आते है, के अलावा का लेखा-जोखा जिस दिन लेन-देन हुआ, उसी दिन की तारीख की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। फॉरवर्ड अनुबंधों के अलावा, अन्य विदेशी मुद्रा में लेन-देन वर्ष के अंत में विनिमय दरों में परिवर्तित किए जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, लाभ और हानि खाते में समायोजित किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा ऋण वर्ष के अंत में विनिमय दरों में मूल्यांकित किए जाते हैं।

बकाया फॉरवर्ड अनुबंध, यदि हो तो, तुलन पत्र की तिथि में उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर फिर से बहाल किये जाते हैं।

1.14 इनवेन्ट्रीज:

अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत या शुद्ध वसूली (ट्रेड मूल्य का 16% घटा कर), जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल, पैकिंग सामान और पुर्जे, लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्रगतिशील कार्य, सामग्री लागत पर 30% की दर से श्रम लागत जोड़ने के आधार पर किया जाता है। बल्क अंतिम स्टॉक के मामले में कच्चे माल की लागत का 41% अपरीय लागत में जोड़ा जाता है। कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री के स्टॉक का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक के आधार पर किया जाता है और स्टोर्स और पुर्जों को भारित औसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1.15 नकद और नकद समतुल्य:

(i) नकद और बैंक शेष में बैंक में नकदी, रोकड़ शेष, चेक शेष, बैलेंस शीट तारीख से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि के साथ डिमांड डिपोजिट और बैंक डिपोजिट सम्मलित हैं।

(ii) नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य में नकदी और बैंक शेष, चेक शेष और बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध डिमांड डिपोजिट सम्मिलित हैं।

1.16 अनुसंधान और विकास लागत:

उत्पादों के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और विकास लागत, व्यय के रूप माने जाते हैं। विकास लागत जो नई अथवा बेहतर सामग्री की रूप-रेखा और परिक्षण, नए क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादों की प्रक्रिया और उत्पादन से संबधित है, को अमूर्त माना जाता है, जब कंपनी निम्नलिखित सभी का प्रदर्शन करती हैं:

(i) यह परिसंपत्ति के विकास को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से साध्य है और यह बिक्री/ उपयोग के लिए उपलब्ध है।

(ii) यह उम्मीद है कि इस तरह के विकास को पूरा कर लिया जाएगा और इसे बिक्री/ उपयोग में लाया जाएगा।

(iii) यह उम्मीद है कि ऐसी संपत्ति भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।

(iv) इस तरह के विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

(v) विकास के दौरान परिसंपत्ति के लिए विशेष रूप से व्यय का मूल्यांकन करना संभव है।

पूंजी स्वभाव के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय को अचल संपत्ति में जोड़ दिया जाता है। एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, लागत मॉडल परिसंपत्ति की आवश्यकता के अनुसार लागू किया जाता है, जो किसी भी जमा परिशोधन और संचित हानि अथवा संचित घाटा से कम हो। विकास लागत की मूल कीमत सालाना हानि के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होती है।

1.17 कर्मचारी लाभ:

(i) भविष्य निधि: कंपनी द्वारा प्रशासित भविष्य निधि न्यास में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए कंपनी निर्दिष्ट मासिक योगदान करती है। भविष्य निधि न्यास द्वारा लाभार्थियों के लिए देय न्यूनतम ब्याज प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। न्यास की संबंधित निवेश पर रिटर्न और अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी हो तो उसको पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

(ii) ग्रेच्युटी: निर्धारित सेवानिवृत्त योजना लाभ के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का एक दायित्व है। यह योजना सेवानिवृत्ति से निहित कर्मचारी, सेवायोजन के दौरान मौत या रोजगार की समाप्ति पर कर्मचारी के वेतन और रोजगार की शर्तों के आधार पर एक मुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान प्रदान करती है। निहित, सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर होता है। कंपनी तुलन-पत्र की तारीख में एक स्वतंत्र मुंशी द्वारा निर्धारित बीमांकिक वैल्यूएशन के अनुसार ग्रेच्युटी के प्रति दायित्व प्रदान करती है।

(iii) अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति/ छुट्टी वेतन: कंपनी की नीति के अनुसार, पात्र छुट्टियां कर्मचारियों द्वारा संचित की जा सकती है और भविष्यकाल में सेवा के दौरान उपयोग करने या भुनाने के लिए अग्रेनीत की जाती है। नकदीकरण, सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति/ जल्दी सेवानिवृत्ति पर, योजना की वापसी पर, इस्तीफे पर या कर्मचारी की मौत पर किया जा सकता है। लाभ का मूल्य कर्मचारी की वरिष्ठता और वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, कंपनी उस अवधि में ऐसे मुआवजे की अनुपस्थिति के लिए एक दायित्व रखती है, जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है जो कि पात्रता में वृद्धि करता है। कंपनी तुलन-पत्र की तारीख में एक स्वतंत्र मुंशी द्वारा निर्धारित बीमांकिक वैल्यूएशन के अनुसार अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति/ छुट्टी वेतन के प्रति दायित्व प्रदान करती है।

1.18 पट्टे:

(i) कंपनी जहां एक पट्टेदार है:

परिसंपत्तियों के पट्टों, जिसके तहत सभी जोखिम और स्वामित्व हक़ प्रभावी ढंग से पट्टादाता द्वारा बनाए रखा जाता है उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के तहत लीज भुगतान पट्टा अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन आधार पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं।

(ii) कंपनी जहां एक पट्टादाता है

पट्टे, जिसमें कंपनी काफी हद तक सभी जोखिमों और संपत्ति के स्वामित्व के लाभ को स्थानांतरण नहीं करती उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के अधीन संपत्तियां, स्थायी संपत्तियों में शामिल की जाती हैं। लीज आय पट्टा अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन आधार पर पहचानी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागत, एक व्यय के रूप में पहचानी जाती हैं। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसेकि कानूनी खर्च, दलाली लागत, इत्यादि लाभ-हानि विवरण में तुरंत दर्शाए जाते हैं।

1.19 खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी, कंपनी के विवरणों को बनाने और प्रस्तुतीकरण के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप इसके खंड की जानकारी तैयार करती है और कंपनी ने तीन प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड अर्थात रसायन, औषध और प्रसाधन सामग्री एवं गृह उत्पादों की पहचान की है।

1.20 आय पर कर:

(i) वर्तमान आयकर सहित कर की गणना लागू करदरों और कर कानून को इस्तेमाल करके की जाती है। यदि अतिरिक्त करों के लिए कोई देयता हो तो आकलन पूरा होने पर प्रदान/ चुकाया जाता है।

(ii) समय-सीमा पर अंतर-निर्धारण करों की गणना कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख द्वारा अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से लागू किया गया है। अस्थगित कर परिसंपत्ति को पहचाना जाता है और बिना किसी असंबद्ध अवमूल्यन और संचित घाटे को छोड़कर अन्य मदों के समय के अंतर के लिए अग्रेनित किया जाता है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि भविष्य में संपत्ति की वसूली हो सकती है। हालांकि, अनवशोषित ह्रास या घाटे को आगे ले जाने पर अस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, अगर आभासी निश्चितता है कि परिसंपत्तियों की वसूली करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में उनकी वसूली के लिए समीक्षा की जाती है।

1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) प्रावधान: एक प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होती है, जब पिछले घटना के फलस्वरूप कंपनी का एक वर्तमान दायित्व हो; दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों की एक बहिर्वाह आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो जाएगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। प्रावधान इसके वर्तमान मूल्य के लिए रियायती नहीं हैं और रिपोर्टिंग की तारीख में दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सबसे अच्छे अनुमान के आधार पर निर्धारित हैं। यह अनुमान प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को समीक्षित किए जाते हैं और मौजूदा सबसे अच्छा अनुमान दर्शाने हेतु समायोजित किये जाते हैं।

(ii) आकस्मिक देयताएं: आकस्मिक देयता एक संभव दायित्व है, जो कि अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है, जिनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से बाहर अनिश्चित भविष्यकाल में एक या एक से अधिक घटित और गैर-घटित घटनाओं के द्वारा की जाएगी या वर्तमान दायित्व जो कि स्वीकृत नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों की एक बहिर्वाह दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हो। एक आकस्मिक देयता भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उठता है जहां कि दायित्व स्वीकृत नहीं होती क्योंकि यह विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता। कंपनी आकस्मिक देयताओं को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरण में इसका प्रकटीकरण करती है।

(iii) आकस्मिक संपत्ति: आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं हैं। हालांकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का लगातार मूल्यांकन होता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह बढेगा तो परिसंपत्ति और संबंधित आय जिस अवधि में परिवर्तित हुई, उसमें मान्यता प्राप्त होगी।

1.22 पूर्वावधि और प्रीपेड लेन-देन और असाधारण मदें:

(i) पूर्व अवधि और प्रीपेड खर्चे से संबंधित आय/ व्यय अगर 25000/- रुपये से अधिक न हो तो उसे वर्तमान वर्ष का आय/ व्यय माना जाता है।

(ii) लाभ और हानि खाते के विवरण में असाधारण मदों को उस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का एक हिस्सा दर्शाया गया है। हर एक असाधारण मद की प्रकृति और राशि को लाभ और हानि खाते के विवरण में अलग से दर्शाया गया है, जिससे कि उसका प्रभाव वर्तमान लाभ-हानि पर देखा जा सके।

1.24 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान :

कंपनी अपने उत्पादों को विभिन्न सरकारी विभागों, निजी फर्मों और व्यापारियों को बेचती है। तुलन पत्र की तारीख को, कंपनी ने व्यापार प्राप्यों की वास्तविकता की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार प्रावधान किए गए। पूर्ण प्रावधान, हालांकि, सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशि जो तीन साल से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, के संबंध में किए जाते हैं।

1.24 प्रति अंश आय:

अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को वितरण योग्य शुद्ध लाभ/ (हानि) को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके मूल आय/ (हानि) प्रति शेयर की गणना की जाती है। इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू और शेयर विभाजन के आयोजन के लिए समायोजित किया जाता है। मंदित आय/ (हानि) प्रति शेयर की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण योग्य शुद्ध लाभ या हानि और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी संभावित मंदित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जब तक कि वे बाद की तारीख में जारी नहीं किए गए हैं।

2.0 खातों पर नोट

2.1 कंपनी औद्योगिक रसायन, औषधि एवं फार्मूलेशन तथा प्रसाधन सामग्री एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है।

2.2 भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फण्ड एवं इसके उपयोग:

(a) भारत सरकार ने अंश पूंजी और प्लांट के आधुनिकीकरण (मरम्मत और प्रतिस्थापन) के लिए 15200 लाख रुपये की राशि/ का ऋण दिया था, जैसा कि यहां विस्तृत रूप में दिया गया है:

(रूपए लाख में)

विवरण	राशि
अंश पूँजी [2007-08]	5500
आधुनिकीकरण के लिए योजना ऋण [2007-08 से 2011-12 एवं 2014-15]	9700
कुल	15200

(b) भारत सरकार से प्राप्त राशियों में से, कंपनी ने 31-03-2019 तक निम्नलिखित शीर्षों के तहत राशि का उपयोग किया है:

(रूपए लाख में)

विवरण	प्लांट एवं मशीनरी	भवन	कुल	कार्य प्रगति में पूंजी	कुल योग
मानिकतल्ला फैक्ट्री	1491.66	5502.17	6993.83	3261.50	10255.33
पानिहटी फैक्टरी	1346.02	1699.93	3045.95	105.27	3151.22
कानपुर फैक्ट्री	-	107.82	107.82	1387.90	1495.72
कुल	**2837.68**	**7309.92**	**10147.60**	**4754.67**	**14902.27**

(c) भारत सरकार ने 2005 से 2015 की अवधि के दौरान 1812 लाख रुपये के ब्याज वाले योजना ऋण और 561 लाख रुपये के ब्याज वाले गैर-योजना ऋण को जारी किया है। कंपनी ने 2018-19 में 350 लाख रूपए, 2017-18 में 592 लाख रूपए तथा 2010-11 में 170 लाख रूपए के योजना ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है तथा 2018-19 में 500 लाख रुपए का गैर-योजना ऋण का भी पुनर्भुगतान कर दिया है। चूंकि, कंपनी अब भारत सरकार को पूरे ब्याज वाले ऋण को चुकाने का इरादा रखती है, कंपनी ने संबंधित स्वीकृति आदेशों में निर्दिष्ट दरों के अनुसार ऐसे ऋणों की मूलभूत राशि पर ब्याज का लेखांकन किया है।

2.3 31 मार्च 2018 को "दीर्घावधि ऋण" के तहत ऋण में 82.48 लाख रूपए का मूल ऋण तथा 307.16 लाख रूपए का उपार्जित ब्याज शामिल था। जैसा कि नवंबर 2018 में अवधि ऋण को पूर्ण रूप से चुका दिया गया है और इसका उपार्जित ब्याज पिछले वर्षों में संचित हो गया है, जिस पर अब तक दावा नहीं किया गया है, कंपनी ने उसी की छूट के लिए सरकारी प्राधिकरणों को प्रार्थना की है। चूंकि यह प्रार्थना उपयुक्त अधिकारियों को उनके विचार और अनुमोदन के लिए भेज दी गई है, इसलिए कंपनी ने "अन्य आय" के तहत उक्त राशि वापस लिख दी है।

2.4 वर्ष के अंत में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ अल्पावधि सावधि जमा 58.01 लाख रुपये है, जिसमें उपार्जित ब्याज (पिछला वर्ष 183.17 लाख रुपये) शामिल है, जिसमें से 33.43 लाख रुपये की राशि बैंक गारंटी जारी करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ वचनबद्ध है।

2.5 लेखांकन मानक-15 के तहत कर्मचारी लाभ

(a) (i) कंपनी के पास पीएफ ट्रस्ट द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता है।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान के रूप में 55.47 लाख रूपए (पिछले वर्ष 58.80 लाख रूपए) लेखंकित किए हैं।

(iii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में EPS-95 में योगदान के रूप में 31.20 लाख रूपए (पिछले वर्ष 29.92 लाख रूपए) लेखंकित किए हैं।

(b) ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के संबंध में निर्धारित लाभ योजना/ दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ वर्ष के अंत में किए गए एक्चुएरियल मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि विवरण में लेखंकित किए हैं। वित्तीय विवरण में लेखंकित ऐसे कर्मचारी लाभों का विवरण नीचे दिया गया है:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी (गैर वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत	
		2018-19	2017-18	**2018-19**	2017-18	**2018-19**	2017-18
1.	बैलेंस शीट में लेखांकित राशि						
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**887.98**	1219.02	**405.50**	508.95	**12.95**	16.94
2.	दायित्वों के प्रारम्भिक और अंतिम शेष का मिलान						
	प्रारम्भिक शेष	**887.98**	1219.02	**405.50**	508.95	**12.95**	16.94
	लाभ का भुगतान	**277.35**	341.42	**100.48**	100.58	**2.43**	14.99
	वीमाकिंक लाभ/ (हानि)	**201.34**	331.04	**75.79**	103.45	**2.46**	3.99
	अंतिम शेष	**686.64**	887.98	**329.51**	405.50	**10.49**	12.95
3.	लाभ और हानि खाते में लेखांकित व्यय						
	वीमाकिंक लाभ/ (हानि)	**201.34**	331.04	**75.99**	103.45	**2.46**	3.99
4.	वीमकिंक मान्यताएं						
	मोर्टेलिटी टेबल	**2006-08**	2006-08	**2006-08**	2006-08	**2006-08**	2006-08
	सेवानिवृत्ति आयु	**58 वर्ष**	58 वर्ष	**58 वर्ष**	58 वर्ष	**58 वर्ष**	58 वर्ष
	संघर्षण दर	**2%प्रतिवर्ष**	2%प्रतिवर्ष	**2%प्रतिवर्ष**	2%प्रतिवर्ष	**2%प्रतिवर्ष**	2%प्रतिवर्ष
	छूट की दर	**7.80% प्रतिवर्ष**	7.80% प्रतिवर्ष	**7.80% प्रतिवर्ष**	7.80% प्रतिवर्ष	**7.80% प्रतिवर्ष**	7.80% प्रतिवर्ष
	महंगाई दर	**10.00% प्रतिवर्ष**	10.00% प्रतिवर्ष	**10.00% प्रतिवर्ष**	10.00% प्रतिवर्ष	**-**	-

#बोर्ड स्तरीय निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।

(c) कंपनी के वित्तीय रुग्ण होने तथा सरकारी अनुमोदन लंबित होने के कारण बीसीपीएल के कर्मचारियों का वेतन संशोधन (2007 वेतनमान) लागू नहीं किया जा सका है। चूंकि इस तरह के संशोधन की राशि का अभी पता नहीं चलता है, इसलिए कंपनी द्वारा इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

2.6 खंड रिपोर्टिंग- प्राथमिक खंड की जानकारी इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	केमिकल्स		फार्मास्युटिकल्स		कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद		आवंटित नहीं किये गए		कुल	
	2018-19	2017-18	**2018-19**	2017-18	**2018-19**	2017-18	**2018-19**	2017-18	**2018-19**	2017-18
राजस्व										
बाहरी बिक्री	**486.58**	430.04	**6544.45**	4966.92	**3019.03**	2404.19	**0.00**	0.00	**10050.06**	7801.15
अन्य आय	**-**	-	**-**	3.05	**0.97**	2.05	**1916.11**	1673.52	**1917.08**	1678.62
कुल राजस्व	**486.58**	430.04	**6544.45**	4969.96	**3020.00**	2406.24	**1916.11**	1673.52	**11967.14**	9479.77
परिणाम										
खंड परिणाम	**119.99**	109.94	**1613.81**	1042.42	**744.71**	504.69	**472.46**	331.27	**2950.97**	1988.32
ब्याज व्यय	**-**	-	**-**	-	**-**	0.00	**245.08**	905.47	**245.08**	905.47
मूल्यह्रास	**20.06**	20.14	**370.33**	368.09	**118.39**	119.36	**3.40**	4.61	**512.18**	512.20
प्रावधान	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**(332.20)**	(435.10)	**(332.20)**	(435.10)
कर-पूर्व निवल लाभ	**99.93**	89.80	**1243.48**	674.33	**626.32**	385.33	**556.18**	(143.70)	**2525.90**	1,005.76
कर	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	
कर के बाद निवल लाभ	**99.93**	89.80	**1243.48**	674.33	**626.32**	385.33	**556.18**	(143.70)	**2525.90**	1,005.76
अन्य सूचना										
खंड परिसंप_त्तियां	**168.19**	1948.81	**11125.44**	9921.50	**1591.53**	2087.61	**7998.73**	6,777.53	**20883.89**	20735.45
परिसंपत्तियों में वृद्धि	**-**	-	**6.51**	550.02	**1.69**	1.65	**-**	-	**8.20**	551.66
खंड देयताएं	**222.04**	2813.87	**14687.60**	14325.58	**2101.11**	3014.29	**10559.77**	9786.03	**27570.52**	29939.77

2.7 लेखा मानक-18 के अनुसार संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:-

i) श्री पी.एम. चंद्रय्या 25-11-2014 से निदेशक (वित्त) एवं
01-06-2016 से प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

निदेशकों का पारिश्रमिक:

(रूपए लाख में)

विवरण	श्री पीएम चन्द्रय्या	
	2018-19	2017-18
वेतन	**19.32**	12.98
पीएफ में अनुदान	**1.47**	1.38
अनुलाभ	**0.93**	0.95
कुल	**21.72**	15.31

जिन निदेशकों को कंपनी ने आवास और कार प्रदान किए हैं, जो भी लागू हो, उनसे वसूली की गयी है।

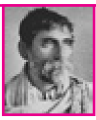

2.8 लेखा मानक-19 के अनुसार पट्टों का प्रकटीकरण- पट्टादाता के रूप में ऑपरेटिंग पट्टे

पट्टा किराया इन विवरणों में संबधिंत अनुबंधों में वर्णित किरायों के अनुसार आय के रूप में प्रकटित किया गया है-

(रूपए लाख में)

विवरण	2018-19	2017-18
क) अवधि के दौरान पट्टा किराया को आय के स्वरूप माना गया	1409.62	1387.28
ख) पट्टा किराया (कार्यालय परिसर):-		
सकल वहन राशि	1077.02	1077.02
संचित मूल्यह्रास	320.95	304.08
लाभ-हानि खाते में प्रकटित मूल्यह्रास	16.87	16.87

2.9 वस्तु एवं सेवा कर

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने मूल्य वर्धित कर (वैट), केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), केंद्रीय आबकारी कर (सीईडी) तथा सेवा कर (एसटी) के स्थान पर 01 जुलाई 2017 से माल और सेवाओं की आपूर्ति पर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चार्ज करने की शुरुआत की है। तदनुसार, कंपनी ने लागू दरों के अनुसार माल और सेवाओं की राज्यान्तरिक आपूर्ति के मामले में सीजीएसटी और एसजीएसटी और अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में आईजीएसटी चार्ज करना शुरू कर दिया था। 31 मार्च 2019 को परिचालन से राजस्व जीएसटी का शुद्ध प्रकटीकरण किया गया है। 31 मार्च 2019 को, कंपनी के पास 73.09 लाख रुपये (174.01 लाख रुपये) का अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है। गत वर्ष के परिचालन से प्राप्त राजस्व के संबंध में 30 जून 2017 तक का उत्पाद शुल्क शामिल था और इस तरह चालू वर्ष की टर्नओवर पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में नहीं है।

कंपनी एक रुग्ण यूनिट है और इसके पास आयकर अधिनियम के अंतर्गत वहन की गयी हानि और अनअवशोषित मूल्यह्रास की एक महत्वपूर्ण रकम है। प्रबंधन का मानना है कि निकटतम भविष्य में अधिशेष के द्वारा इस हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने सावधानीपूर्वक, 'आय पर कर के लिए लेखांकन' पर लेखामानक-22 के अनुसार वहन की गयी हानि और अनअवशोषित मूल्यह्रास के संबंध में स्थगित कर सम्पत्ति का प्रकटीकरण नहीं किया है।

2.10 रायपुर, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, यमुनानगर, और भुवनेश्वर में समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों को नियुक्त किया गया है। उन सीएंडएफ एजेंटो जो वर्ष के दौरान एजेंट नहीं रहे, सहित इन छ: सीएंडएफ एजेंटो के खातों को जैसेकि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, खातों में निगमित किया गया है।

2.11 वर्ष 2007-08 के दौरान, श्री एस.कर (कार्यप्रबंधक, कानपुर) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस धोखाधड़ी के प्रभाव को खातों में नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस मामले पर अभी भी न्यायिक फैसला आना बाकी है।

2.12 मौजूदा प्रचालन के अनुसार, 31.03.2019 को तीन वर्षों से ज्यादा बकाया उधारी (सरकारी ऋणों के अलावा) के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।

2.13 स्टॉक, विक्रय एवं कच्चे माल की खपत का विवरण -

(a) तैयार माल एवं निर्मित वस्तुओं की बिक्री:-

(रूपए लाख में)

माल की श्रेणी	प्रारम्भिक मूल्य		अंतिम मूल्य		विक्रय मूल्य	
	2018-19	2017-18	**2018-19**	2017-18	**2018-19**	2017-18
केमिकल्स:						
अलम फेरिक	**53.12**	7.77	**8.40**	53.12	**305.84**	527.78
फार्मास्यूटिकल्स:						
यूथेरिया	**5.04**	17.79	**5.69**	5.04	**216.54**	61.53
एक्यूआ सायिकोटिक्स	**7.11**	4.94	**2.92**	7.11	**67.01**	73.14
अन्य	**466.63**	394.98	**430.14**	466.63	**7563.13**	5469.90
कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद						
कैंट हेयर आयल	**2.60**	54.40	**45.75**	2.60	**229.05**	164.07
फिनोल	**315.40**	87.74	**86.54**	315.40	**1404.86**	1329.06
नैफ्थलीन बाल	**20.32**	25.60	**34.66**	20.32	**27.07**	29.65
अन्य	**72.51**	64.67	**79.80**	72.51	**236.56**	227.85
बल्क फिनिश्ड	**18.06**	1.00	**0.04**	18.06	**-**	-
कुल	**960.79**	658.88	**693.94**	960.79	**10050.06**	7882.98

(b) प्रगतिशील कार्य:-

(रूपए लाख में)

माल की श्रेणी	प्रारम्भिक मूल्य		अंतिम मूल्य	
	2018-19	2017-18	**2018-19**	2017-18
फार्मास्यूटिकल्स	41.87	-	**-**	41.87
कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद	32.40	36.01	**78.79**	32.40
कुल	74.27	36.01	**78.79**	74.27

(c) कच्चे और पैकिंग माल की खपत का संबंध विच्छेद:-

(रूपए लाख में)

विवरण	**2018-19**	2017-18
क्रूड ड्रग्स & एक्सट्रेक्टस	288.98	246.22
कार्बनिक रसायन और विलायक	2120.12	1806.38
अकार्बनिक रसायन और विलायक	324.89	276.81
आयल, वेजीटेबल्स & मिनरल्स	719.35	612.90
खनिज	347.92	296.43
पैकिंग सामग्री	748.56	637.79
अन्य	720.23	624.54
कुल	5270.05	4501.07

2.14 धोखाधड़ी या त्रुटि को रोकने और पता लगाने, संपत्ति की उचित अभिरक्षा और उपयोग तथा विभिन्न जानकारी की तैयारी के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है। वर्ष के दौरान प्रबंधन या कर्मचारियों जिनकी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है अथवा कंपनी द्वारा या उस पर कोई धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी नहीं देखी गई है, जो वित्तीय जानकारी पर अधिक प्रभाव डाल सकती है।

2.15 खाते में शेष राशि, व्यापार प्राप्तियों, अग्रिमों, जमा और अन्य चालू संपत्तियां वित्तीय विवरणों में पुस्तकों और कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर लेखंकित की गई है, तथा उन मामलों में जहां खाते की शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है, उनके लिए आवश्यक मूल्य निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा उनकी वास्तविकता और दायित्वों के बारे में समीक्षा की गई है।

2.16 कंपनी के निदेशक मंडल की राय में, व्यवसाय का सामान्य तरीके में परिसंपत्तियों का साध्य मूल्य तुलन पत्र में वर्णित से कम नहीं है। यह मूल्यांकन अचल संपत्तियों के मामले में लागू नहीं है।

2.17 वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अचल संपत्तियों की हानि नहीं हुई थी।

2.18 कंपनी के पास “आकस्मिक देयताओं" (नोट नं.2.21 का सन्दर्भ लें) के अलावा कोई मुकदमेबाजी या कानूनी/ विवादित मामले नहीं हैं, यदि कोई है, या मांग जिसके खिलाफ उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई भविष्य में कोई प्रभाव हो सकता है।

2.19 कंपनी को लंबी अवधि के अनुबंधों पर किसी भी भारी नुकसान के लिए लागू कानूनों या लेखा मानकों के तहत प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।

2.20 हालाँकि कंपनी के पास चुकता पूँजी से अधिक संचित हानि है, फिर भी गोइंग कंसर्न की निरंतरता के लिए कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह नहीं है। प्रबंधन के अनुमानों का उपयोग कंपनी के टर्निंग अराउंड के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसमें अभी तक कोई भी अनिश्चितता नहीं है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की इसकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

2.21 निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गयी:

आकस्मिक देयताएं:

(i) बिक्री कर अधिनियम के तहत दावे: 2780.33 लाख रुपए (गत वर्ष- 2768.72 लाख रुपये)

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दावे: 195.67 लाख रुपये (गत वर्ष-194.01 लाख रुपये)

(iii) लंबित मध्यस्थता/ अदालतों में ठेकेदारों/ मकान मालिक/ कर्मचारियों द्वारा दावे: 314.63 लाख रुपये (गत वर्ष-290.96 लाख रुपये)

(iv) कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा जारी किये गारंटी पर बैंक को दी गई काउंटर गारंटी 10.75 लाख रुपये (गत वर्ष- 148.29 लाख रुपये)

2.22 पूंजी खाते में बची हुई संविदाओं की अनुमानित राशि एवं प्रदान नहीं की गई

पूंजी खाते में बची हुई संविदाओं की अनुमानित राशि एवं प्रदान नहीं की गई 2753.93 लाख रुपए (गत वर्ष 2789.02 लाख रुपए) है।

2.23 प्रति शेयर मूल और घटी हुई आय की गणना के लिए आधार निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	2018-19	2017-18
लाभ-हानि खाते के अनुसार कर के बाद लाभ/ हानि	**2525.91**	1005.76
शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)	**769604**	769604
मूल एवं घटा हुआ प्रतिशेयर आय (रुपये में)	**328.21**	130.69

2.24 लघु-स्तरीय उपक्रमों के नाम जिनके लिए कंपनी दायी है, जो तुलन पत्र की तारीख में 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया हैं, नीचे दर्शाए गए हैं:

क्र.सं.	पार्टी का नाम	क्र.सं.	पार्टी का नाम
	शून्य		

उपरोक्त जानकारी, पक्षों के संबंध में संकल्पित की गई है, जिसमें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर लघु-स्तर और सहायक उपक्रमों के रूप में उनकी पहचान की जा सकती है।

2.25 वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न प्रावधानों का संचलन नीचे दिया गया है:-

(रूपए लाख में)

विवरण: प्रावधान-	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	उपयोग/ प्रतिलेखन	अंतिम शेष
ग्रेच्युटी	887.98	-	201.34	**686.64**
छुट्टी वेतन	405.50	-	75.99	**329.51**
छुट्टी यात्रा रियायत	12.95	-	2.46	**10.49**
संदिग्ध ऋण	98.37	-	52.41	**49.56**
संदिग्ध अग्रिम	227.02	-		**227.02**
कुल	**1631.82**	**-**	**332.20**	**1299.62**
गत वर्ष	2066.92	6.54	441.64	**1631.82**

2.26 पिछले वर्ष के आंकड़ें फिर से वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किये गए, जहां भी वर्तमान वर्ष से तुलना करने के लिए उनकी जरूरत पड़ी।

अभिज्ञान के लिए हस्ताक्षर

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक(वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29 अप्रैल 2019

3 अंश पूँजी

रूपए लाख में

विवरण		**31 मार्च 2019 तक**	31 मार्च 2018 तक
(क)	अधिकृत पूंजी: 800000 इक्विटी शेयर्स 1000/- रुपए प्रत्येक	**8,000.00**	8,000.00
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी: 769604 इक्विटी शेयर्स 1,000/-पूरी तरह से चुकित	**7,696.04**	7,696.04
कुल चुकता अंश पूंजी		**7,696.04**	7,696.04

3(क) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	**31 मार्च 2019 तक**	31 मार्च 2018 तक
साल की शुरुवात में बकाया शेयरों की संख्या	**769604**	769604
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	**-**	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	**769604**	769604

3(ख) 5% से अधिक शेयरों को निर्दिष्ट रखने वाले शेयरधारकों की संख्या

विवरण	**31 मार्च 2019 तक**		31 मार्च 2018 तक	
	धारित शेयरों की संख्या	**धारिता प्रतिशत**	धारित शेयरों की संख्या	धारिता प्रतिशत
भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके प्रत्याशी	**769604**	**100**	769604	100
कुल	**769604**	**100**	769604	100

4 संचय और अधिशेष

रूपए लाख में

विवरण		**31 मार्च 2019 तक**	31 मार्च 2018 तक
(क)	संचय	**7,798.87**	7,798.87
(ख)	लाभ-हानि खाते में जमा शेष अधिशेष (घाटा): प्रारंभिक शेष	**(24,699.23)**	(25,704.99)
	जोड़ें: वर्ष का लाभ (हानि)	**2,525.90**	1,005.76
	अंतिम शेष (ख)	**(22,173.33)**	(24,699.23)
कुल (क)+(ख)		**(14,374.46)**	(16,900.36)

5 दीर्घावधि ऋण

रूपए लाख में

विवरण	**31 मार्च 2019 तक**	31 मार्च 2018 तक
अवधि ऋण		
(i) सुरक्षित		
पश्चिम बंगाल सरकार बिक्री कर (नोट सं. 2.3 का सन्दर्भ लें)	-	82.48
उपरोक्त पर अर्जित और बकाया ब्याज	-	307.16
(ii) असुरक्षित		
(क) भारत सरकार -योजना ऋण	**9,700.00**	10,050.00
भारत सरकार-योजना ऋण पर अर्जित ब्याज	**5,259.76**	4,997.72
दिनांक / ब्याज दर / ऋण / ऋण चूक		
27.12.07 / शून्य / 2,000.00 / 2,000.00		
30.12.08 / शून्य / 1,000.00 / 1,000.00		
19.03.09 / शून्य / 1,000.00 / 1,000.00		
03.06.09 / शून्य / 1,000.00 / 1,000.00		
23.12.09 / शून्य / 490.00 / 490.00		
28.01.10 / शून्य / 950.00 / 950.00		
20.05.10 / शून्य / 2,000.00 / 2,000.00		
15.03.11 / शून्य / 500.00 / 500.00		
02.12.11 / शून्य / 60.00 / 60.00		
04.03.15 / 11.50% / 700.00 / 280.00		
9,700.00 / 9,280.00		
(ख) भारत सरकार - गैर योजना ऋण	**1,810.00**	2,310.00
भारत सरकार- गैर योजना ऋण पर अर्जित ब्याज	**3,303.02**	3,273.87
30.03.06 / 17.00% / 61.00 / 61.00		
30.03.07 / शून्य / 1749.00 / 1749.00		
1810.00 / 1810.00		
कुल	**20,072.78**	21,021.23

दो वर्ष की एक अधिस्थगन अवधि के बाद, सभी ऋण बर्षगांठ की तिथि को पांच समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है।

6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
किरायादारों एवं अन्य से जमा	574.54	547.74
कुल	574.54	547.74

7 दीर्घावधि प्रावधान

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	727.29	950.86
कुल	727.29	950.86

8 व्यापार देय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
लघु स्तर औद्योगिक इकाइयाँ#	-	33.07
अन्य	2,616.35	3,361.03
कुल	2,616.35	3,394.10

एमएसएमई जिनकी राशि 30 दिन से अधिक के लिए देय है, के नाम नोट-2.24 में दर्शाए गए हैं

9 अन्य चालू देयताएं

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
ऋण पर अर्जित ब्याज पर देय नहीं	9.09	102.62
एमएसएमई भुगतानों एवं सी एंड ऍफ़ डिपाजिट पर अर्जित ब्याज	0.77	37.53
बैंक ओवरड्राफ्ट	208.33	114.65
अन्य देयताएं:		
वैधानिक देयताएं	1,570.15	1,508.46
व्यय और अन्यों के लिए देय	229.21	454.53
कर्मचारियों एवं अन्यों के लिए देय	27.18	73.28
सरकारी सहायता का शेष	760.85	787.81
सरकारी सहायता पर ब्याज	64.25	116.25
वापसी योग्य जमा	410.37	475.14
कुल	3,280.20	3,670.27

10 अल्पावधि प्रावधान

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	299.34	355.57
कुल	299.34	355.57

11 अचल सम्पत्तियां (मूर्त)

रूपए लाख में

विवरण	1-4-18 को सकल ब्लॉक	वृद्धि	बेचीं गई/ समायोजित	31 मार्च 2019 तक	1-4-18 को मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	बेचीं गई/ समायोजित	31-3-19 तक संचयी मूल्यहास	31-3-19 को शुद्ध ब्लॉक	31-3-18 को शुद्ध ब्लॉक
1	2	3	4	5(2+3-4)	6	7	8	9(6+7-8)	10	11
पूर्ण स्वामित्व भूमि	124.74			**124.74**	-	-		-	**124.74**	124.74
पट्टाधृत भूमि	63.55			**63.55**	-	-		-	**63.55**	63.55
फ्रीहोल्ड भवन				-				-	-	
विनिर्माण	6,930.07	3.17		**6,933.24**	970.70	221.32		**1,192.02**	**5,741.22**	5,959.37
गैर-विनिर्माण	259.43			**259.43**	57.20	4.06		**61.26**	**198.17**	202.23
कार्यालय इमारत	1,695.42			**1,695.42**	390.32	26.64		**416.96**	**1,278.46**	1,305.10
रासायनिक मशीनरी	1,266.90			**1,266.90**	907.58	43.80		**951.38**	**315.52**	359.32
सामान्य मशीनरी	3,233.98			**3,233.98**	1,105.90	194.00		**1,299.90**	**1,934.08**	2,128.08
कम्प्यूटर	102.53	0.86		**103.39**	93.82	3.81		**97.63**	**5.76**	8.71
कुलर, फ्रिज और एसी	83.43			**83.43**	51.60	4.77		**56.37**	**27.06**	31.83
मुद्रण उपकरण	6.89			**6.89**	6.11	-		**6.11**	**0.78**	0.78
अग्नि उपकरण	3.03			**3.03**	1.82	0.15		**1.97**	**1.06**	1.21
फर्नीचर एवं फिटिंगस	180.24	1.08		**181.32**	92.06	10.18		**102.24**	**79.08**	88.18
मशीन और उपकरण	40.05	2.88		**42.93**	30.22	2.72		**32.94**	**9.99**	9.83
पशुधन	0.35			**0.35**	-	-		-	**0.35**	0.35
पुस्तकालय पुस्तकें	4.49			**4.49**	3.96	0.31		**4.27**	**0.22**	0.53
प्रयोगशाला	15.57	0.21		**15.78**	12.65	0.42		**13.07**	**2.71**	2.92
कुल	**14,010.67**	**8.20**	**-**	**14,018.87**	**3,723.94**	**512.18**	**-**	**4,236.12**	**9,782.75**	**10,286.73**
गत वर्ष	13,463.17	551.66	4.16	14,010.67	3,211.74	512.30	0.10	3,723.94	10,286.73	10,251.43

12 पूंजीगत कार्य में प्रगति

रूपए लाख में

विवरण	1 अप्रैल 2018 तक	वृद्धि	समायोजन/ घटाव	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**31 मार्च 2019 तक**
भवन	3,231.26	0.39			**3,231.65**
पी एंड एम	1,511.10				**1,511.10**
इलेकट्रिकल	11.92				**11.92**
कुल	**4,754.28**	**0.39**	**-**	**-**	**4,754.67**
गत वर्ष	5,149.40	420.85	272.01	543.96	5,149.40

13 इन्वेंटरीज

रूपए लाख में

विवरण	**31 मार्च 2019 तक**	31 मार्च 2018 तक
(क) कच्चा माल और पैकिंग सामग्री:		
[अ] कच्चा माल	**621.96**	664.52
[ब) पैकिंग सामग्री	**276.15**	241.80
कच्चा माल और पैकिंग सामग्री (क):	**898.11**	906.32
(ख) तैयार सामग्री और डब्लुआइपी इन्वेंटरी:		
[अ) तैयार सामग्री	**693.94**	960.79
(ब) कार्य प्रगति पर	**78.79**	74.27
[स] स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	**37.19**	28.47
तैयार सामग्री और डब्लु आइपी इनवेन्ट्री (ख)	**809.92**	1,063.53
कुल (क+ख)	**1,708.03**	1,969.85

14 व्यापर प्राप्य

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
(असुरक्षित):				
6 महीने से अधिक:				
अच्छा माना गया	**1,501.11**		220.31	
संदिग्ध माना गया	**53.75**		98.37	
		1,554.86		318.68
अन्य (6 महीने से कम)		**2,020.20**		2,032.01
		3,575.06		2,350.69
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**53.75**		98.37
कुल		**3,521.31**		2,252.32

15 नकद तथा नकद समतुल्य

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
(क) नकद तथा नकद समतुल्य		
(i) हाथ नकदी एवं कैश कार्ड शेष	0.32	0.25
(ii) चेक		
चालू खाते में	5.03	58.67
सावधि जमा में	58.01	183.17
कुल	63.36	242.09

16 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
असुरक्षित, अच्छा माना गया:		
सुरक्षा जमा वसूली योग्य	**239.91**	229.92
आपूर्तिकर्ताओं /परियोजना को अग्रिम	**250.71**	372.52
कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	**12.92**	16.11
पूर्वदत्त खर्च	**1.87**	5.51
अप्रयुक्त इनपुट जीएसटी	**73.09**	174.01
वैधानिक देय, शुल्क और कर का अग्रिम भुगतान	**29.31**	12.69
	607.81	810.76
घटाव: संदिग्ध अग्रिमों एवं अन्य हेतु प्रावधान	**227.02**	157.61
कुल	**380.79**	653.15

17 अन्य चालू संपत्तियां

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
किराया और अन्य प्राप्य योग्य	**540.95**	495.71
घटाव: किराया एवं अन्य प्राप्यों हेतु प्रावधान		69.41
	540.95	426.30
आयकर और अन्य जमा	**140.22**	150.73
कुल	**681.17**	577.03

18 परिचालन से आय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
उत्पादों की बिक्री	**10,050.06**	7,882.98
घटाव: उत्पाद शुल्क	-	81.83
कुल	**10,050.06**	7,801.15

19 अन्य आय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
क. ब्याज आय: बैंक जमा पर		**4.85**		18.76
ख. अन्य गैर-परिचालन आय:				
संपत्तियों से किराया	**1,409.62**		1387.28	
अन्य	**160.79**		272.58	
प्रतिलेखन प्रावधान	**341.82**		0	
		1,912.23		1,659.86
		-		-
कुल		**1,917.08**		1,678.62

20 खपत किए गए माल की लागत

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2018 तक	
प्रारंभिक स्टॉक-				
कच्चा माल	**664.52**		506.86	
पैकिंग सामग्री	**241.80**		222.72	
		906.32		729.58
जमा: क्रय-				
कच्चे माल का#	**4,409.63**		3939.05	
पैकिंग सामग्री (उत्पादन) का	**825.15**		718.67	
माल भाड़ा प्रभार- आवक	**27.06**		20.09	
		5,261.84		4,677.81
घटाव: अंतिम स्टॉक-				
कच्चा माल	**(621.96)**		(664.52)	
पैकिंग सामग्री (उत्पादन)	**(276.15)**		(241.80)	
		(898.11)		(906.32)
कुल		**5,270.05**		4,501.07

2018-19 में 917.55 लाख रूपए की लोन लाइसेंसिंग आधार पर की गई क्रय सम्मलित है (2017-18 में 831.23 लाख रूपए)

21 निर्मित माल एवं प्रगतिशील कार्य की इन्वेंटरी में परिवर्तन

रूपए लाख में

विवरण	**31 मार्च 2019 तक**		31 मार्च 2018 तक	
क. निर्मित माल: प्रारम्भिक स्टॉक	**960.79**		658.88	
घटाव: अंतिम स्टॉक	**693.94**		960.79	
कमी/ (वृद्धि)		**266.85**		(301.91)
ख. प्रगतिशील कार्य : प्रारंभिक स्टॉक	**74.27**		36.01	
घटाव: अंतिम स्टॉक	**78.79**		74.27	
कमी/(वृद्धि)		**(4.52)**		(38.26)
कुल		**262.33**		(340.17)

22 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ खर्चे

रूपए लाख में

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	**1,175.12**	1,346.83
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्चे	**111.29**	375.98
पी.एफ. और अन्य कोषों के लिए योगदान	**100.30**	90.49
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ	**101.12**	(90.19)
कर्मचारी कल्याण खर्चे	**102.09**	123.34
प्रयुक्त अनुदान	**(111.29)**	(375.98)
कुल	**1,478.63**	1,470.47

23 वित्तीय लागत

रूपए लाख में

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक और अन्य ऋणों/ अनुदानों पर ब्याज	**35.99**	60.62
भारत सरकार ऋण पर ब्याज	**197.66**	829.83
अन्य जमाओं आदि पर ब्याज	**11.43**	15.02
कुल	**245.08**	905.47

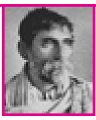

24 अन्य व्यय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क: विनिर्माण व्यय		
बिजली और ईंधन	**269.61**	241.15
मरम्मत:		
प्लांट और मशीनरी	**39.45**	41.51
इमारत	**21.11**	20.90
अन्य	**17.51**	12.20
वीमा	**7.30**	9.49
फैक्ट्री उत्पादन अन्य व्यय	**45.59**	70.84
उप-योग (क)	**400.57**	396.09
ख: प्रशासनिक व्यय		
दर और कर	**36.39**	38.06
प्रावधान और बट्टे खाते में डालना	**(44.61)**	20.27
पेशेवर शुल्क	**18.41**	22.62
अनुसन्धान एवं विकास ब्यय	**14.75**	
अन्य के लिए किराए	**29.45**	32.89
निदेशकों की बैठक फीस	**0.60**	0.65
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (संदर्भ नोट 24 (ए)	**2.98**	2.36
विविध खर्च (संदर्भ नोट 24 (बी)	**192.76**	209.78
पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 24 (सी)	**0.05**	(187.76)
उप-योग (ख)	**250.78**	138.87
ग: बिक्री व्यय		
बिक्री कर	**6.93**	0.34
छूट और कमीशन	**722.77**	590.73
माल भाड़ा प्रभार	**223.66**	213.21
अन्य बिक्री उपरिब्यय	**68.26**	85.73
उप-योग (ग)	**1,021.62**	890.01
कुल (क+ख+ग)	**1,672.97**	1,424.97

24 (ए) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक और व्यय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा फीस	**1.80**	1.44
कर लेखापरीक्षा फीस#	**0.29**	0.29
प्रमाणन फीस	**0.74**	0.43
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.15**	0.20
कुल	**2.98**	2.36

#कर लेखापरीक्षा कंपनी के कर परामर्शदाता द्वारा की जाती है।

24 (बी) विविध व्यय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन प्रेस और प्रचार	**9.79**	9.66
जमीन की बिक्री के लिए निविदा खर्चे		5.50
मुद्रण और लेखन सामग्री	**14.42**	12.85
डाक	**1.28**	1.50
वेबसाइट रखरखाव और इंटरनेट प्रभार	**1.32**	0.16
टेलीफोन	**8.28**	9.75
वाहन और रख-रखाव खर्चे	**14.19**	17.25
बैंक प्रभार एवं कमीशन	**1.78**	1.92
कानूनी खर्च	**4.56**	14.83
मनोरंजन खर्च	**1.62**	2.29
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	**2.63**	0.57
सदस्यता अंशदान	**1.57**	1.01
सेवा कर	**-**	1.77
किराये का खर्च	**2.04**	-
फाइलिंग फीस	**0.01**	1.32
यात्रा खर्च	**24.90**	33.62
सुरक्षा सेवा प्रभार	**84.14**	80.58
उपहार और दान	**0.05**	-
विविध खर्च	**20.18**	15.20
कुल	**192.76**	209.78

24 (सी) पूर्वावधि मदें

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
शुद्ध डेबिट मदें		
दर, कर और शुल्क		-
अन्य	**0.08**	5.25
उप-योग [क]	**0.08**	5.25
शुद्ध क्रेडिट मदें		
भाड़ा		10.00
विविध लेनदार, देनदार और एलडी		32.58
दर एवं कर		127.64
कानूनी खर्चे		20.01
अन्य	**0.03**	2.78
उप-योग [ख]	**0.03**	193.01
कुल (क+ख)	**0.05**	(187.76)

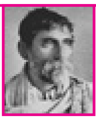

regarding the scales of pay and categorisation of employees, following the Arbitration Award by Snehangsu Kanta Acharyya. For 1968-69, the bonus had to be settled at 10% of the wages. Even on August 25, 1969 the shareholders were told that "the prospects were encouraging" and "negotiations for expansion of existing units are proceeding and diversification programmes being undertaken."

Indeed, earlier that year, the Board seriously considered and gave the go - ahead for the installation of a Sodium Bichromate Plant at Panihati. The initial investment was estimated at Rs.12 lakh. There was a "good market potential" for the product. The company was thinking of raising a bank loan for the purpose of floating a new company altogether in which " Bengal Chemical would have a controlling interest".

The low production of caffeine had been causing concern. An enquiry committee was formed to look into the causes, including low caffeine contents in the tea waste.

The offer of Shiratori Pharmaceutical Co. Ltd. of Japan for improved knowhow for caffeine production was accepted at a fee of US $ 7000, especially to meet the stringent quality requirements of Coca-Cola Corporation, an important customer.

In The Red

On the sultry afternoon of September 15, 1970, the shareholders were stunned when the Directors reported huge losses in the company's operations during 1969-70. There would be no dividends on Ordinary Shares, they were told.

This was the first time Bengal Chemical was in the red. The losses were as high as Rs.23, 65,635, with sales hovering around Rs.3 crore.

The Directors had met the previous afternoon at the Ganesh Chunder Avenue office to review the results. Present were Dr.Balindra Nath Ghose, Deva Prasanna Mukherjee, Dr. Bramha Prasad Sur, Sailendra Nath Ghose, Dr. Ajit Kumar Basu and Sobhanakhsa Basu. A special invitee was G. Basu, the noted chartered accountant and a financial expert.

The financial position was discussed in details. There were no two opinions that "the acute financial stringencies through which the company had been passing for some time past and the trading loss suffered by the company in 1969-70 were matters of grave concern demanding serious attention of the Management to tide over the situation".

Participating in the "momentous discussions" G.Basu suggested a number of remedies. These included expansion of activities at Bombay, an intensive sales compaign, launching new products and withdrawal of unremunerative ones, and bulk production of raw materials for other industries. According to him, the need of the hour was modernisation of the management structure. Studying the comparable case of a Bombay manufacturer could also help, he felt.

The Directors thought the suggestions worthwhile. They decided to act on them.

But before they could do that they had to explain to the shareholders the reasons that had led to the disastrous financial results.

Operation expenses were up. Cost of raw materials as percentage of value of production rose from 47% to about 50%. Employee expenses went up from Rs.72.74 lakh to Rs.87.52 lakh, but there was no corresponding increase in productivity.

On the sultry afternoon of September 15, 1970, the shareholders were stunned when the Directors reported huge losses in the company's operations during 1969-70. There would be no dividends on Ordinary Shares, they were told.

1951 - 1977

Drug prices couldn't be increased to offset rising costs as the Union Government issued the Drugs (Price Control) order. Market conditions were adverse for chemical products. Sulphuric Acid and Alum had to be sold at a loss. The only silver lining in the bleak scenario was a development on the legal front. On July 13, 1990 Justice K.L. Roy of the Calcutta High Court dismissed with costs a suit filed by Hoechst AG of West Germany against Bengal Chemical. It had alleged that its patent no. 58716 had been violated by BCPW's patent no. 67308 in respect of Diabinol, an anti-diabetic preparation. R.C. Deb, assisted by Somnath Chatterjee and Anindya Mitra, fought the legal battle on behalf of the company against the formidable multinational, represented by a Queen's Counsel, Blanco-

AIMING FOR THE SKY

IT WAS A DIFFICULT JOURNEY BUT BENGAL HAS COME A LONG WAY AND IS IN A POSITION TODAY TO SHOWCASE JUST THAT, AVERS **PM CHANDRAIAH,** MD & DIRECTOR (FINANCE), BENGAL CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD

In the wake of the Swadeshi movement many enterprises came afloat. But only a handful of them became successful brand names. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BCPL), the first pharmaceuticals company established in India by Acharya Prafulla Chandra Ray, the father of Indian Chemistry, is one of them.

STARTING OFF

The first factory was established at Maniktala in 1905. The second plant came up at Panihati and by the end of 1922, the plant for distillation and coal tar was in operation. Manufacturing of alum at Panihati began in 1924. "In 1934, the company started manufacturing at Mumbai and in 1949 started manufacturing from Kanpur. The sales of Bengal Chemicals jumped from ₹ 25,371 in 1901, the first year of operation, to ₹ 2 lakh in 1910 and ₹ 5 lakh in 1915," informs PM Chandraiah, MD and director (finance), BCPL.

The tremendous growth continued, but after the demise of Ray in 1944, things changed. From the late 1950s, the company started eroding. Union government took over the management of BCPL in 1977. To continue operations, GoI sanctioned a loan to BCPL in 1978-79 but these borrowing only added to the interest burden to the company. Many revival packages were given but they did not help change the state of things.

TURNING AROUND

Scenario changed after Chandraiah has joined as director (finance) in 2014. With his finance team, he chalked out a plan to complete all the pending activities of the finance department so that company could plan its financial operation afresh with the exact and accurate financial data available with them. It took him just six months to finalise three years backlog annual accounts and six years cost audit and the company became the first company to hold the AGM of 2016-17 in June 2017.

"BCPL reported its first ever net profit of ₹ 4.51 crore after its nationalisation, almost after five decades against reporting a loss of ₹ 36.55 crore in 2013-14. The company never looked back since. We are confident of earning net profit of ₹ 20 crore in 2018-19," avers Chandraiah.

BUSINESS IN BENGAL

It has changed a lot. "Just like our company that was once a loss-making one. The miraculous turnaround became possible due to the collective effort of each employee who now treat the company as their own. The scenario of doing business too has undergone a similar change with everyone keen to contribute to the state's success story. Sense of ownership can do wonders," says Chandraiah.

CURRENT CHALLENGES

There are challenges everywhere. "But we have to move ahead taking them in our stride. The biggest challenge is to get more orders. Pharmaceutical orders come only from the state and the central government. Our Home products face stiff competition despite being superior in quality. We refuse to compromise on quality and that raises prices. We want the government to help us with more orders," opines Chandraiah.

THE WAY OUT

Not just the state government. Help has to come from all sectors — from the administration to the machineries. "We are ready to take any challenges. In just five years, we can reach the pinnacle of success if we get adequate support. We have been getting Excellent Corporate Governance rating for the past three years," informs Chandraiah.

CONTRIBUTION TO BENGAL

BCPL is the pride of this state and the state is its pride. The company doing well is a marker for the state too. "Just like the company, the working culture in the state too has undergone a huge change and that too for the better. All our employees are from Bengal so that way we generate employment in huge numbers," shares Chandraiah.

THE WAY FORWARD

"We have come a long way but more needs to be done. In four five years, we will be in a position to apply for mini Ratna status, provided we maintain the tempo," he concludes.

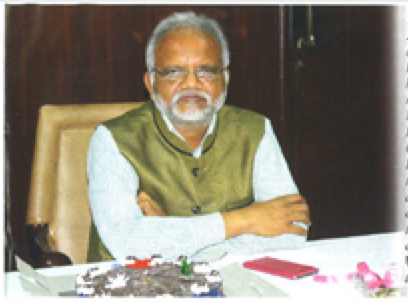

As the century old first Indian pharmaceutical company Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd (BCPL), had successfully come out of nearly seven decades of loss, its Managing Director and Director Finance Pilla Marri Chandraiah spoke to Kingshuk Banerjee about how he brought the radical change in the mind and work of the employees of this central government undertaking, to set the company on the right course, aiming at a turnover of ₹ 500 crore in the next five years to achieve Mini Ratna status.

Bengal Chemicals is on right course: MD Chandraiah

Q. What was the scenario when you took over as Director Finance?

A. Even after nationalisation and release of a number of financial packages on various occasions, the company's performance was not improved and was reporting losses regularly since 1977 and was referred to BIFR in 1992. The annual Accounts and the cost audit reports of the company were not finalised in time and there were four years of annual accounts and 6 Years of cost audit reports pending. Moreover, due to non-finalisation of annual accounts, cost audit reports and non-filing of annual returns, the Ministry of Company Affairs had earlier put the company and its Directors on the lists of "Defaulting Company" and "Defaulting Directors" respectively for the last 15 years.

Q. How did you clear this mess?

A. After ceaselessly working for six months with my finance team, all the backlog accounts are cleared. In fact such was the pressure of work that I used to take my eight member finance team to my official residence where they would rest for a few hours and would get refreshed and come back to office. After clearing the all pending audits and annual accounts the company as well as its directors could also get relieved from the defaulters' list by October 2015.

Q. How did you put the finance of the company on the right course?

A. On the financial front I took special efforts to streamline the situation and it started with stoppage of cash transactions by opening more than 220 Salary Accounts amid much resistance. Then followed closure of around 50 unnecessary bank accounts. Even advances taken as far as twenty years back were not adjusted. 80 such cases were taken into accounts and dues recovered.

Q. You also mitigated the problem of excessive direct cost.

A. Analysing the balance sheet I noticed that the procurement cost much above the industry norm and the root cause of this lied in the practice of yearly tender. So a quarterly tender process was introduced and pre-bid meeting held. In 2013-14, direct cost involving raw materials and packing materials was an astronomical 85% whereas it should be around 50 to 55%. Gradually things started changing with direct cost plunging to 54% in 2016-17 and 53% in 2017-18. Owing to the volatile global situation, the direct cost may increase in 2018-19 to 58% to 60%. In other words, in 2013-14 ₹ 60-62 was spent for raw materials and ₹ 20-22 was the packaging cost out of ₹100 as cost of production. Now raw materials costs plunged to ₹ 35 to 40 while packaging cost dipped to ₹ 10 to ₹ 15, out of ₹ 100 production cost.

విజయాల బాటలో బెంగాల్ కెమికల్స్

ఎండీ మరియు డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ చంద్రయ్య

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., कोलकाता

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

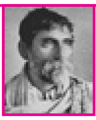

Bengal Chemicals makes profit for 2nd straight fiscal

KOLKATA: Bengal Chemicals & Pharmaceuticals (BCPL), a PSU under the Ministry of Chemicals and Fertilisers, has posted a net profit for the second successive fiscal in 2017-18, after suffering losses since 1953.

The company clocked a net profit of Rs 8.91 crore in the last fiscal on a revenue base of Rs 80 crore.

"BCPL registered net profit of Rs 8.91 crore in the last fiscal for the second year in a row. In the current fiscal, we are targetting a net profit of Rs 15 crore and the revenue to touch Rs 100 crore," MD of BCPL P M Chandraiah said.

The company is eyeing a turnover of Rs 200 crore by 2019-20, he told reporters here on Thursday.

Chandraiah said that the government gave a package of Rs 450 crore in 2006 to modernise and revive the company.

Saying that BCPL is totally debt-free now, he added that the company would gradually meet up the balance principal payment of Rs 16 crore due to the government by December 31, 2018.

On paying up the accumulated interest on government loans amounting to Rs 75 crore, Chandraiah said a waiver has already been sought.

BCPL manufactures home products, toiletries and pharmaceuticals (antibiotic injectables, tablets and capsules).

With factories located in Maniktala and Panihati (West Bengal), Mumbai and Kanpur, the company had written to the ministry to re-start manufacturing of anti-venoms, the approval of which is yet to come, he said.

The government in 2016 decided on a strategic sale of BCPL, he said, adding that there had been no progress so far on the matter.

Chandraiah said that all statutory dues of the employees had been cleared as on March 31, 2017.

Son of Telangana State sets sights Bengal Chem on 'Mini Ratna' status – A Historical Turnaround

Pilla Marri Chandraiah, Managing Director and Director Finance

After being a loss-making enterprise for nearly seven decades, the Central government-owned Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd (BCPL), recently scripted a turnaround. The century-old pharma company is now dreaming of becoming a Mini Ratna company in the next five years.BCPL's Managing Director and Director-Finance, Pilla Marri Chandraiah, has already charted a roadmap to increase the company's turnover from the current Rs. 78 crore to Rs. 500 crore in five years. He expects net profit to grow from Rs. 10 crore to Rs. 100 crore – a 10-fold jump.

Background

BCPL was started by 'Acharya' Prafulla Chandra Ray in his two-storey residence in north Kolkata, in 1901. BCPL aimed to bring about self-reliance in medicine and home products.After Ray's demise, the company's fortunes slipped and BCPL recorded its last profit in the early 1950s. Since then it has been in the red. Suffering from continuous losses and persistent labour problems, the company was nationalised in 1980.

Things began to change in 2014 when Chandraiah, who hails from Kalloda village, Jagityal district took charge as the company's Director-Finance (he was promoted to Managing Director in 2016). A huge restructuring of production sales and marketing, as well as administration, led the company to profits. In 2016-17, the company reported a net profit of Rs. 4.51 crore. Profits rose to Rs. 10.06 crore in 2017-18. In the first quarter of this fiscal, the company was in the black with a net profit of Rs. 5.12 crore.The company estimates a turnover of Rs. 105 crore in 2018-19, with net profit being in the Rs. 15-20 crore range.

The vision and strategy

It was the 'Vision and Strategy Plan' that was brought out in June 2016 that set a target of a Rs. 200-crore turnover by 2023-24, and becoming a Rs. 500-crore business entity by 2025-26.Chandraiah later advanced the target, and BCPL is now eyeing a Rs. 500 crore turnover in five years. He expects the turnover of the pharmaceutical division to increase eight-fold from the prevailing Rs. 50 crore to Rs. 400 crore. The turnover of the home products division, which is now barely Rs. 28 crore, should increase nearly four-fold to Rs. 100 crore.

In order to revive the company's fortunes, Chandraiah has attempted to streamline BCPL's finance, and reduce its administrative costs. A new 'injectable and capsule' business has also been initiated, paving the way for direct sales to stores.The injectable section began producing antibiotic injections in January 2018 in the newly-constructed Maniktala lab. The business has generated revenues of Rs. 8-10 crore in the current fiscal. The capsule business is witnessing robust growth and is expected to earn Rs. 20 crore in 2018-19.BCPL plans to restart production of its life-saving, anti-snake venom serum by 2020. Bengal Chemicals was first Indian company to produce the serum but it was later stopped.

The turnaround

The company's turnaround has been a bumpy ride Chandraiah's first task was to reinvigorate the employees. It began with the stoppage of cash transactions and the opening of more than 220 salary accounts, amid much resistance.In order to motivate the employees, he began organising birthday and retirement day celebrations Issue of appreciation letters for extraordinary work done by employees became a norm. The practice of paying full dues to retiring employees on their last day in office was initiated. The annual appraisal of employees was brought in to ensure transparency. CCTVs were installed in the corporate office, factories and depots.

बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: 6, गणेश चन्द्र एवेन्यू कोलकाता-700013

BENGAL CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

REGISTERED OFFICE: 6, GANESH CHUNDER AVENUE, KOLKATA-700013

प्रबंध निदेशक • MANAGING DIRECTOR

Sl.No	NAME	FROM	TO
1	SHRI P.K. RUDRA	22/07/1981	15/02/1982
2	SHRI B.L. KAWLRA	21/07/1982	28/02/1985
3	SHRI S.M. SUNDARAM	01/03/1985	30/09/1986
4	SHRI M.G. BANERJEE	01/10/1986	13/03/1993
5	SHRI S. NAVALAN	14/03/1993	30/06/1993
6	SHRI H. GANGULY	01/07/1993	23/11/1993
7	SHRI P. ROY	23/11/1993	30/04/2004
8	SHRI N.R.S. PHANI	24/05/2004	31/05/2007
9	SHRI SUPRAKASH KUNDU	01/06/2007	31/05/2013
10	SHRI S.L. BARUA	21/10/2013	04/02/2014
11	SHRI E.A. SUBRAMANIAN	05/02/2014	31/05/2016
12	SHRI PM CHANDRAIAH	01/06/2016	

ডিরেক্টর চান্দ্রেইয়ের নেতৃত্বে বেঙ্গল কেমিক্যালের অভাবনীয় সাফল্য

ডিরেক্টর শ্রী পি. এম. চান্দ্রেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৫ মার্চ: ভারতবর্ষে স্থাপিত প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বেঙ্গল কেমিক্যাল। শিল্পজগতে বিগত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পর ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ এ সমাপ্ত অর্থবর্ষে ইন-চার্জ ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা ফাইনান্স ডিরেক্টর শ্রী পি. এম. চান্দ্রেই এর নেতৃত্বে ১৬.৩ কোটি টাকা নেট লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১৪-র নভেম্বর মাসে বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর (ফিনান্স) হয়ে এলেন শ্রী চান্দ্রেই তখন প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে নেট ৬৬.৫৫ কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। সেই সময় বার্ষিক রিপোর্ট ফাইল না করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল ডিরেক্টরগণ আরওসি, কলকাতার নিকট ডিফল্টারের তালিকাভুক্ত হন। শ্রী চান্দ্রেই যোগদান করেই পূর্বকালীন অবস্থায় কোম্পানির বকেয়া বার্ষিক হিসাবপত্র ও ৬ বছরের বকেয়া কর্ম রেকর্ড আপডেট করেন। বর্তমানে অর্থবর্ষ ২০১৬-১৭ থেকে কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট অনুসারে এক নম্বরে অবস্থান করছে।

লোকসানে চলা বেঙ্গল কেমিক্যাল এখন লাভে চলছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ৩৭ কোটি টাকা। আর ২০১৬-১৭ তে লাভের মুখ দেখল ৪.৫১ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ তে ১০.০৬ কোটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ এ ২২ কোটি টাকা। যে কোম্পানি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে লোকসানে চলছিল বর্তমান ম্যানেজমেন্টের অধীনে প্রতিটি বিভাগে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা লাভের মুখ দেখতে শুরু করল।

শ্রী চান্দ্রেই কর্মীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে ভাবতে শিখিয়েছেন। তারা এখন নিজ নিজ কাজে অনেক বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ। পরিকল্পিত ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালস্ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ-কে শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র শিল্পজগতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

'कोमा' से बाहर आई बंगाल केमिकल्स

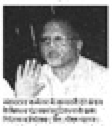

बी. अशोक को मिला विशेष प्रशंसा पुरस्कार 'स्कोप'

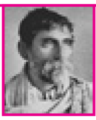

বেঙ্গল কেমিক্যালস্-এর ৯ কোটি টাকা মুনাফা

Bengal Chemicals keen on resuming anti-snake venom serum production

Proposal will require about ₹30 crore in capital expenditure, says firm's MD

INDRANI DUTTA
KOLKATA

Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL) which had forayed into anti-snake venom serum (ASVS) manufacture in India nearly half a century ago, is keen to resume production of this life-saving medication, shortage of which kills hundreds of people.

No records are available to pin point the exact year that the 118-year-old heritage company commenced ASVS production, but it is believed to be somewhere around 1920s, a company official said.

Its capacity was about one lakh vials. Snake bite morbidity is high in the Indian subcontinent with over one million bites annually, figures culled from several reports show. ASV is an antidote to the snake venom action and is provided free in government hospitals. Yet, there are only a handful of pharma companies making this.

> Only a handful of pharmaceutical companies make the serum

Snake bite deaths

Between 2013-15, an estimated 3252 deaths due snake bites were reported with West Bengal, Odisha , Madhya Pradesh and Uttar Pradesh accounting for the highest numbers.

Till 2006-07, BCPL manufactured ASVS at its Maniktala unit in east Kolkata. "However, this had to be stopped due to lack of GMP compliance at the unit," P. M. Chandraiah, BCPL's director finance and managing director in-charge told *The Hindu*.

An erstwhile sick PSU, BCPL has returned to profit and is now awaiting government nod to resume production of ASVS at the Maniktala unit.

"This would need around ₹30 crore capital expenditure and can generate a ₹30 crore turnover with four lakh vials capacity," he said. It adopts the equine plasma method of making the ASVS which needs horses.

NEWS & REVIEWS

TURNAROUND STORY OF BENGAL CHEMICALS

Acharya Prafulla Chandra Ray's Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BCPL) was nationalized in 1980 due to continuous reporting of losses and even after sanctioning of a Revival Package in 2006, its performance was not improved. However, after taking over charge by the new Management Team in 2014, Company started improving its overall performance and first time in the last six decades reported a Net Profit of Rs.1.35 Crore in H1 of this fiscal, against reporting of Net Loss of Rs.37 crores in 2013-14. This Turnaround is due to improvement in Financial Discipline, Transparency, Corporate Governance and dedicated hard work of its employees. The man behind this change is PM Chandraiah who joined BCPL in November, 2014 as Director (Finance). PM Chandraiah had started his career in 1984 as Fourth Class employee in NTPC with his 12th Class qualification and due to his high ambition, he completed B.Com. privately in 1986 and also acquired ICWAI qualification. But he did not get promotion in NTPC and hence left it in 1997 and joined IREDA as Officer. After that he never looked back from there and due to his sincere efforts, he had been regularly elevated and got higher posts in various PSUs like IRCON, NSPCL, EPIL and finally as Managing Director of BCPL in June 2016. He also worked in HR, Vigilance and Finance Departments of NTPC & IRCON and now due to his overall exposure in different companies and Departments, he is able to develop systems in BCPL and made it a "Turnaround Company". PM Chandraiah says that he feels proud to work with BCPL and he thanks Employees, Unions and Stakeholders for giving opportunity to work with them and said that his Company is targeting for a Net Profit of Rs.20 Crore on a Turnover of Rs.200 Crore by 2020.

Message:
"Dear CEOs and Board Members, please treat the organisation as your own Company and take all decisions with your HEART in the best interest of Company and your Nation as well. Prove that anybody can make a Company into a TURNAROUND COMPANY with his Dedication, Honesty, Sincerity and Heart Touching Efforts."

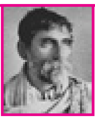

Out of Red, Bengal Chemical in Selloff Blues

India's oldest pharma company sees profit after 66 years but govt plans privatisation

Anuradha Himatsingka & Arijit Barman

Kolkata: "It's a world I left behind... Going back seeing a bottle of Cantharidine oil and a Ship match box... Made me nostalgic, too." Shah Rukh Khan, turned back the clock while talking about the art direction of his last film, based on the bootleggers of 1980's Gujarat, during a recent interview.

That's not the sepia-tinted memoirs of a Badshaah of Bollywood, but that of an entire generation growing up in pre-liberalised India. But everyone, including King Khan, will be pleasantly surprised that Cantharidine is still being manufactured from a plant in central Mumbai. It is also the same company that made the first anti-snake venom drug in the country and gave us popular household products like phenyl, naphthalene balls along with that sticky hair oil.

Bengal Chemicals & Pharmaceuticals (BCPL) is turning out to be a template of hope for many of its peers run by the government. India's oldest pharma company of 115 years has just turned profitable after languishing in the red for 66 years. A fortnight ago, its shareholders adopted the audited accounts and, in the process, acknowledged the massive yet-quiet-turnaround that its Managing Director PM Chandraiah, a cost accountant for 33 years, began scripting since 2014 when he joined from Engineers Projects India Ltd, also a PSU, as finance director. He was elevated earlier this year.

From dealing with militant trade unions to insouciant work ethic, Chandriah and his predecessor EA Subramanian had their work cut out. But with small tweaks in working capital management, the company brought down input costs by 15-20%.

65% Revenue from Pharma Division ▸▸ 18

Past Perfect, Present Tense

Plants: 2 in West Bengal, 1 each in Mumbai & Kanpur | Products: Household Products, Pharma, Industrial Chemicals

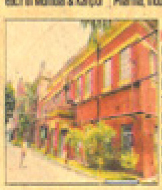

Key Brands: Cantharidine Hair Oil, Phenoid, White Tiger, Naphthalene Balls, Aqua Ptychotis, Kalmegh

MILESTONES

1901 - Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Works founded in Kolkata by Acharya Prafulla Chandra Roy

1980 - Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Works nationalised

1992 - Company referred to BIFR

2016 - Posts net profit after a 64 years

Government of India decides to offload stake in the company

40 वर्ष बाद बंगाल केमिकल्स ने कमाया लाभ

कोलकाता: केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल) ने 40 वर्षों के बाद 2016-17 में 4 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। पिछले वर्ष इसे 9.13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक पीएम चंद्रैया ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त करना है। कंपनी के मुनाफे में लौटने का श्रेय उन्होंने टीम वर्क को दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पांच वर्षों का समय मिला तो मैं इसे 200 से 300 करोड़ की कंपनी में बदल दूंगा। तब इसका लाभ 30 से 40 करोड़ रुपये होगा।

विनिवेश की तैयारी

केंद्र इस कंपनी के विनिवेश की तैयारी में है। 1977 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस कंपनी की स्थापना की थी। गत दिनों में कैबिनेट ने इसकी बिक्री को मंजूरी दी है। नीति आयोग ने पहले औषधि कंपनी के रूप में इसकी पहचान की है, जिनकी कुल भागीदारी निजी क्षेत्र को बेची जानी है। इस तरह इसके कार्य में पारदर्शिता और दक्षता लानी है। राय ने कहा कि मैं इस कंपनी को घाटे से निकाला है, अब इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लाभ प्राप्त करने की इच्छा है।

क्या है योजना

इस वित्त वर्ष में कंपनी इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। इससे कंपनी को 50 लाख का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। सरकारी ऋण से कंपनी अगले 8 करोड़ रुपये के ब्याज भार को घटाने की उम्मीद कर रही है। वित्त वर्ष 18 में इसके लिए उसका लक्ष्य 13 करोड़ रुपये के बैंक ऋण को चुकाना है। कंपनी का कुल कर्ज 260 करोड़ रुपये है। इसे सरकार की भागीदारी व कंपनी की 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की बिक्री कर पूरा किया जा सकता है।

Bengal Chemicals off sick bay

A STAFF REPORTER

Calcutta, Oct. 30: Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, a central public sector undertaking, is planning to complete the long-pending expansion of its manufacturing unit at Maniktala in Calcutta, having been able to improve its financial health in the ongoing fiscal.

Formed by Acharya Prafulla Chandra Roy in 1901, the Bengal-based company's journey has largely been downhill. Lack of modernisation and marketing initiatives had transformed it into a loss-making entity. The company was nationalised in 1981. However, the hemorrhaging continued and Bengal Chemicals was finally referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in 1992.

The company, after over six decades, has scripted a turnover in this fiscal.

Net profit at the end of the April-September period stood at Rs 1.16 crore on a total income of Rs 51.37 crore, surpassing the central government's profit target of Rs 1.05 crore in 2016-17.

The company is eyeing a turnover of Rs 200 crore by 2020. It plans to focus on the pharmaceuticals and home improvement segments.

"In 2006, Bengal Chemicals received a modernisation package from the Centre. But because of various technical, operational and administrative issues, some of the work could not be done till 2015. But in the last six months, we have been able to start the tablet, capsule and the ointment sections at our Maniktala factory. And by November-end or December, we hope to start the commercial production of dry powders and injectibles," said P.M. Chandraiah, managing director of Bengal Chemicals.

Besides Maniktala, the company has another unit at Panihati in Bengal. It also has a plant in Kanpur.

Bengal Chemicals has three business verticals — industrial chemicals, pharmaceuticals and home products.

Chandraiah said the share of pharmaceuticals to total business has increased significantly in the past few months. "In 2013-14, pharmaceuticals contributed only 30 per cent. This has now gone up to over 60 per cent, thus increasing the turnover," he said.

The company has received orders from various state governments (except Bengal) but over-the-counter sales will require more marketing initiatives, Chandraiah added.

He said the company would look to improve sales of its home products such as phenol and napthalene balls.

Bengal Chemicals hopes to receive a further budgetary support from the Centre to set up a unit to manufacture anti-snake venom serum at Maniktala. The company's long-term borrowings at the end of 2015-16 stood at Rs 217.40 crore. It has written to the government to convert loans to equity and waive off the accumulated interest so that the company is able to go out of the BIFR.

HEALTH WATCH

Figures in Rs crore; *April-September, 2016

	Income	Profit
2013-14	36.63	(36.55)
2014-15	65.53	(17.32)
2015-16	112.76	(9.13)
2016-17*	51.37	1.16

2017-18 में बंगाल केमिकल्स को हुआ 8.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

सन्मार्ग संवाददाता, कोलकाता: बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को वित्त वर्ष 2017-18 में 8.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। 2016-17 में कंपनी को 4.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। यह जानकारी बीसीपीएल के एमडी पीएन चंद्रशेखर ने दी। उन्होंने कहा कि कंपनी 2019-20 तक 200 करोड़ रुपये का कारोबार करने की उम्मीद है।

हम अगले वर्ष कोलकाता में दो दुकान वेलिंगटन और बागनगर में खोलेंगे। कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 28 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बैंक ऋण दे दिया गया है।

कंपनी ने 2017-18 में केंद्र सरकार का 6 करोड़ रुपये का ऋण चुका दिया है। 31 दिसंबर 2018 तक ऋण का संपूर्ण ब्याज चुका दिया जाएगा। बीसीपीएल होम उत्पाद टॉयलेटरीज और फार्मास्युटिकल्स (एंटीबायोटिक इंजेक्शन्स, टैबलेट्स और कैप्सूल) बनाती है। इस अवसर पर कंपनी के मैनेजर (मार्केटिंग) बिप्लव दास गुप्ता, तपन चक्रवर्ती, सिद्धार्थ सेन गुप्ता (डीजीएम)(एम) उपस्थित थे।

बोर्ड सदस्य, लेखापरीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारीगण

बंगाल केमिकल्स टर्नअराउंड

नियम-1: कर्मचारियों को यह महसूस करना चाहिए कि वे संगठन के असली मालिक हैं जहां वे काम कर रहे हैं, फिर कोई संगठन बहुत लंबे समय तक घाटे में नहीं चलेगा;

नियम-2: सभी संगठन के कर्मचारी हैं – कोई प्रबंध निदेशक नहीं, कोई निदेशक (वित्त) नहीं, कोई महाप्रबंधक नहीं, कोई चपड़ासी नहीं... संगठन के विकास और अस्तित्व के लिए प्रत्येक कर्मचारी की एक समान जिम्मेदारी है और प्रत्येक कार्य प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य है;

नियम-3: अनुशासन विकास लाता है - या तो यह एक 'मूल्य आधारित अंतर्निर्मित अनुशासन' है या यह भय से आता है;

नियम-4: काम करो, कमाओ और खाओ
(Do the Work, Earn Profits & Take the Salary)

नियम-5: नियोक्ता को सभी कर्मचारियों से अपने स्वयं के बच्चों के रूप में व्यवहार करना चाहिए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मेंटर / माता-पिता के रूप में व्यवहार करना चाहिए।

बंगाल केमिकल्स टर्नअराउंड

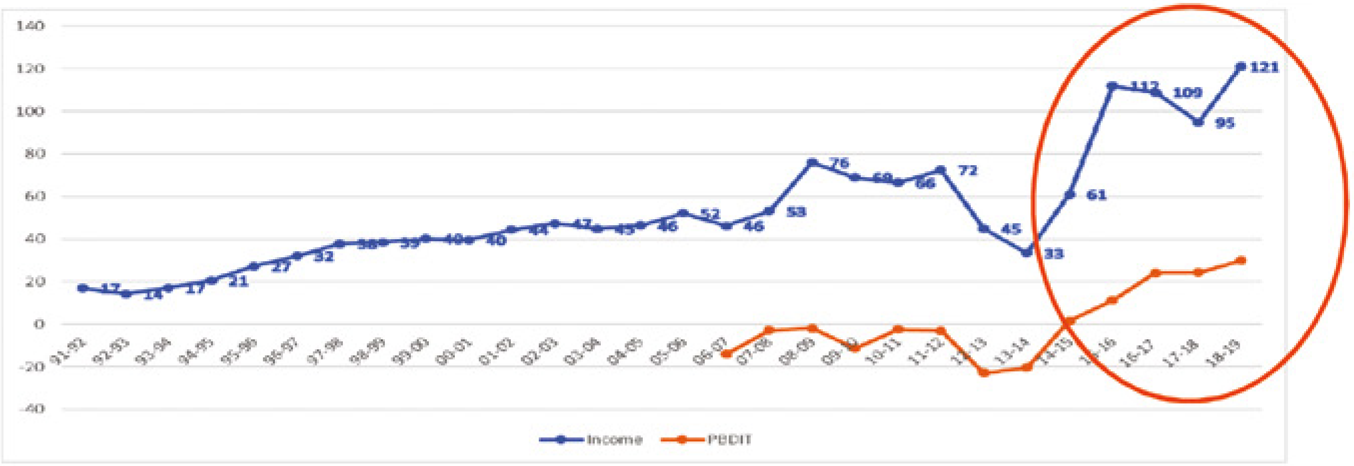

- **1901** - आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा स्थापना- स्वदेशी
- **1944** - संस्थापक का स्वर्गवास- गिरावट शुरू हुई
- **1977** - भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण- निरंतर हानि
- **1992** - बीआईएफआर को संदर्भित किया गया- कोई सुधार नहीं
- **2013** - हानि जारी रही और 40 से करोड़ अधिक पहुंच गई
- **2017** - पांच दशकों/ राष्ट्रीयकरण के बाद पहला लाभ
- **2019** - उच्चतम उत्पादन, आय तथा शुद्ध लाभ

गृह एवं निजी देखभाल उत्पाद

फिनॉल

कैंथाराईडिन हेयर आयल

फिनॉल

वाइट टाइगर

नैप्थालीन बॉल्स

ब्लीचिंग पाउडर

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
6, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता-700013

उत्पाद यहां उपलब्ध हैं:
रिटेल स्टोर:
- 6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
- 153, लेनिन सारणी, कोलकाता-700013
- 39, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700016
- 44, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता- 700036
- 502, एस.वी.सावरकर मार्ग प्रभादेवी, मुंबई – 400025

को-ऑपरेटिव स्टोर
- 168, मानिकतल्ला मेन रोड, कोलकाता-700054
- 49, बी.टी. रोड, पानिहटी, कोलकाता-700114 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल

वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in

Printed by : Semaphore Technologies Pvt. Ltd.